Ex.P.-402

एन्टी करप्शन ब्यूरो, छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांकः–पुअ/एसीबी/3169/2015 रायपुर, दिनांक :– 07.04.2015

प्रति

निदेशक,
राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान
जी.ई. रोड़,रायपुर छ0ग0

विषय :– सार्वजनिक वितरण प्रणाली छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्रदायित नमक पैकेट के पॉलिथीन के गेज का परीक्षण कर रिपोर्ट देने बाबत।

संदर्भ :– अपराध क्रमांक 09/2015–धारा:–13(2), 13(1)डी, पी.सी.एक्ट 1988, 109, 120बी भा0द0वि0 आर्थिक अपराध ब्यूरो।

––0––

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित अपराध की विवेचना के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा मंदीर हसौद, राजिम , अभनपुर,मण्डी परिसर दुर्ग, धमधा नाका दुर्ग, केशलूर जिला बस्तर, जगदलपुर जिला बस्तर, कोण्डागांव, कांकेर, धमतरी, तिलशीवा जिला सूरजपुर, प्रतापपुर जिला सूरजपुर, देवरीखुर्द जिला बिलासपुर, मारवाही जिला बिलासपुर, पेन्ड्रारोड जिला बिलासपुर, मडना पेन्ड्रारोड जिला बिलासपुर, लिंगियाडीह जिला बिलासपुर, करगीरोड़ जिला बिलासपुर, तखतपुर जिला बिलासपुर, जयरामनगर जिला बिलासपुर, बिल्हा जिला बिलासपुर, ओरदा जिला रायगढ़ के केन्द्रो मे संग्रहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्रदायित नमक के पैकेट संकलित किये गये। उपरोक्त संकलित नमक के पैकेट निम्न परिशिष्ठ अनुसार आपकी ओर परीक्षण हेतु भेजे जा रहे है :–

क्रमांक	सैम्पल सेट अनुक्रमांक	संग्रहण केन्द्र का नाम	कुल पैकेट की संख्या	दिया गया परिशिष्ठ
1.	1	मंदीर हसौद जिला रायपुर	12	64 से 75
2.	2	मंदीर हसौद जिला रायपुर	12	76 से 87
3.	3	मंदीर हसौद जिला रायपुर तथा धमधा नाका जिला दुर्ग	12	88 से 96 तथा 154, 155,156
4.	4	धमधा नाका जिला दुर्ग	05	157 से 161
5.	5	राजिम जिला गरीयाबंद	12	97 से 108
6.	6	राजिम जिला गरीयाबंद तथा अभनपुर जिला रायपुर	12	109 से 120
7.	7	अभनपुर जिला रायपुर	12	121 से 132
8.	8	अभनपुर जिला रायपुर तथा मण्डी परिसर जिला दुर्ग	12	133 से 136 तथा 162 से 169
9.	9	मण्डी परिसर जिला दुर्ग	12	170 से 181

recieved
Bhardwaj
7/4/15
TA Physics

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवरथले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू.
रायपुर

NOTES APPLICABLE TO THE SPECIFICATION OF GRADE 'A' AND 'COMMON' VARIETIES OF RICE.

1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as given in Bureau of Indian Standard "Method of analysis for Foodgrains" No's IS: 4333 (Part-I):1996 and IS: 4333 (Part- II): 2002 "Terminology for Foodgrains" IS: 2813-1995 as amended from time to time. Dehusked grains are rice kernels whole or broken which have more than ¼th of the surface area of the kernel covered with the bran and determined as follows:-

ANALYSIS PROCEDURE:- Take 5 grams of rice (sound head rice and brokens) in a petri dish (80X70 mm). Dip the grains in about 20 ml of Methylene Blue solution (0.05% by weight in distilled water) and allow to stand for about one minute. Decant the Methylene Blue solution. Give a swirl wash with about 20 ml. of dilute hydrochloric acid (5% solution by volume in distilled water). Give a swirl wash with water and pour about 20 ml of Metanil Yellow solution (0.05% by weight in distilled water) on the blue stained grains and allow to stand for about one minute. Decant the effluent and wash with fresh water twice. Keep the stained grains under fresh water and count the dehusked grains. Count the total number of grains in 5 grams of sample under analysis. Three brokens are counted as one whole grain.

CALCULATIONS:

$$\text{Percentage of Dehusked grains} = \frac{N \times 100}{W}$$

Where N = Number of dehusked grains in 5 grams of sample
W= Total grains in 5 grams of sample.

2. The Method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard "Method of sampling of Cereals and Pulses" No IS: 14818-2000 as amended from time to time.

3. Brokens less than 1/8th of the size of full kernels will be treated as organic foreign matter. For determination of the size of the brokens average length of the principal class of rice should be taken into account.

4. Inorganic foreign matter shall not exceed 0.25% in any lot, if it is more, the stocks should be cleaned and brought within the limit. Kernels or pieces of kernels having mud sticking on surface of rice shall be treated as Inorganic foreign matter.

5. In case of rice prepared by pressure parboiling technique, it will be ensured that correct process of parboiling is adopted i.e. pressure applied, the time for which pressure is applied, proper gelatinisation, aeration and drying before milling are adequate so that the colour and cooking time of parboiled rice are good and free from encrustation of the grains.

****

Copy to :-

1. The Chairman and Managing Director, Food Corporation of India (FCI), New Delhi.
2. Executive Director (Commercial), FCI HQ, New Delhi.
3. General Manager (QC), FCI, HQ, New Delhi.
4. General Manager (Marketing & Procurement), FCI HQ, New Delhi.
5. All Executive Director (Zones), FCI.
6. Managing Director, CWC, New Delhi.
7. The Secretary to the Government of India, Deptt. of Agri. & Coop., Krishi Bhawan, New Delhi.
8. Sr. PPS to Secretary (F&PD)/PPS to AS&FA/JS (P&FCI)/JS (Impex, SRA & EOP)/JS (Stg.)/JS (BP&PD (WDRA).
9. Director (P)/Director (FCI)/Director (PD)/Director (Finance)/JC (S&RA)/DC (S&R).
10. All QCC/IGMRI offices.
11. US (BP-I)/US (BP-II)/US (Py. I, II, III, IV)
12. DD(S)/DD (QC)/AD(QC).
13. Director (Technical), NIC with the request to put the information in the Ministry's website.

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

(Dr. SC Bansal)
Dy. Director (S&R)
For Dy. Commissioner (S&R)
Ph. 23383915

No.8-4/2012-S&I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

***

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated: 6th August, 2012

To,

The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of .... (All State Governments/UT Administrations)

Sub:- Uniform specifications of paddy, rice and coarse grains for Kharif Marketing Season 2012-13.

Sir,

I am directed to forward herewith the Uniform specifications of paddy, rice and coarse grains for procurement for the Central Pool during Kharif Marketing Season (KMS) 2012-13.

2. It is requested that wide publicity of the Uniform Specifications be made among the farmers in order to ensure that they get due price for their produce and rejection of the stocks is avoided. The procurement of paddy, rice and coarsegrains during KMS 2012-13 may be ensured by all the States/Union Territories and Food Corporation of India strictly in accordance with the uniform specifications.

Encl: as above.

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

Yours faithfully,
6/8/201
(B.C. Joshi)
Deputy Commissioner (S&R)
Tele # 23070474

Contd....

हेतु आवश्यक व्यवस्था उपार्जन केन्द्रों पर उपलब्ध करायी जावे । अनाज के बोरो में प्रापर स्टेनसिंल एवं स्टेचिंग की जावे । खाद्यान्न के निर्धारित गुणवत्ता के उपार्जन सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी अचानक जांच हेतु लगायी जावे ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार ।

(विकास शील)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

क्र/उर्पा/12-13/584 दि० 7-9-12

प्रतिलिपि
(1) कक्षप्रमुख, QC/PDS- CGSCSC मु. रायपुर
(2) जि.प्र० समस्त SCSC

7/9/12
General Manager
C.G. State Civil Supplies Corporation
H.O. RAIPUR

UNIFORM SPECIFICATION FOR BAJRA

(MARKETING SEASON 2012-2013)

The Bajra shall be the dried and matured grains of *Pennisetum typhoides*. It shall have uniform size, shape and colour. It shall be in sound merchantable condition and also conforming to PFA standards.

Bajra shall be sweet, hard, clean, wholesome and free from *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (khesari) in any form, colouring matter, moulds, weevils, obnoxious smell, admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the schedule below:

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No	Refractions	Maximum Limits (%)
1.	Foreign matter*	1.0
2.	Other foodgrains	3.0
3.	Damaged grains	1.5
4.	Slightly damaged & discoloured grains	4.5
5.	Shrivelled & Immature grains	4.0
6.	Weevilled grains	1.0
7.	Moisture content	14.0

* Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by weight shall be impurities of animal origin.

N.B.

1. The definitions of the above refractions and method of analysis are to be followed as given in Bureau of Indian Standard 'Method of analysis for Foodgrains' Nos. IS: 4333 (Part-I): 1996 and IS: 4333 (Part II) 2002 and "Terminology for foodgrains" IS: 2813-1995 as amended from time to time.
2. The method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard 'Method of Sampling of Cereals and Pulses' No. IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Within the overall limit of 1.0% for Foreign Matter, the poisonous seeds shall not exceed 0.5% of which Dhatura and Akra seeds (*Vicia* species) not to exceed 0.025% and 0.2% respectively.
4. Kernels with glumes will not be treated as unsound grain. During physical analysis the glumes will be removed and treated as organic foreign matter.
5. Within the overall limit of 1.5% for damaged grains the Ergoty kernels shall not exceed 0.05%.

******

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवरथले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

STATE CIVIL SUPPLIES CORP. H.O. RAIPUR

Quality Control measures to be taken by FCI and State procuring agencies for procurement of Paddy and Coarse grains during KMS 2012-13 — Annexure

1. Foodgrains should be procured strictly conforming to the uniform specifications prescribed by the Government of India.

2. Adequate number of mandies/procurement centers should be set up and operated efficiently, effectively and economically.

3. Wide publicity regarding procurement of paddy and coarse grains under MSP and quality specification should be given to create awareness amongst the farmers to bring only clean, dry paddy and coarse grains well within the uniform specification limits in the mandies for sale.

4. Proper cleaning of paddy and coarse grains stocks should be ensured before purchase. For this, necessary cleaning facilities should be provided in the purchase centers. Pucca mandi yards minimize the chances of inadvertent admixture of dust/clay/mud in the paddy and coarse grains being procured.

5. Quality inspectors/purchase staff at each and every purchase center must be fully equipped with analysis kits and moisture meters (duly calibrated).

6. They should be aware of the procedure for physical analysis of foodgrains including determination of moisture content and Govt. of India's Uniform specifications for the KMS 2012-13.

7. Quality inspectors/purchase staff must have adequate number of cloth bags and polythene bags for drawing samples. These samples should be regularly sent to the District Office Laboratory for analysis with proper labeling viz. name of mandi, date of sampling, commodity, signature of inspectors etc.

8. Adequate laboratory facilities for analysis of foodgrains at district level should be provided by the State procuring agencies.

9. Supervising officers should be continuously on the move for close supervision of the procurement operations including the quality of procured stocks.

10. Prior to purchase, the quality inspectors/purchase staff should inspect the stocks heap-wise to assess the quality and advise farmers to do necessary cleaning/upgradation, if required.

11. The quality inspectors /purchase staff must ensure proper stenciling of bags before placing/filling of stock procured. The stenciling inter alia must contain (i) Name of Procuring Agency, (ii) Mandi (iii) Commodity (iv) Crop year and (v) Net weight.

12. Proper record of each days purchase should be maintained. The details of rejected lots, if any with exceeding refractions should also be maintained in separate register.

****

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORP. RAIPUR

सत्यापित प्रति

(एस.डी. देवस्थले)
निरीक्षक ड.ओ. [illegible] / ए.सी.[illegible]

(8)

UNIFORM SPECIFICATION FOR RAGI

(MARKETING SEASON 2012-2013)

The Ragi shall be dried and matured grains of *Eleusine coracana*. It shall have uniform size, shape and colour. It shall be in sound merchantable condition and also conforming to PFA standards.

Ragi shall be sweet, hard, clean, wholesome and free from moulds, weevils, noxious smell, *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (khesari) in any form, colouring matter, admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the schedule below:

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No	Refractions	Maximum Limits (%)
1.	Foreign matter*	1.0
2.	Other foodgrains	1.0
3.	Damaged grains	1.0
4.	Slightly damaged grains	2.0
5.	Moisture content	12.0

* Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by weight shall be impurities of animal origin.

N.B.

1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as given in Bureau of Indian Standard 'Method of analysis for foodgrains' Nos. IS: 4333 (Part-I): 1996 and IS: 4333 (Part-II): 2002 and 'Terminology for foodgrains' IS: 2813-1995 as amended from time to time.
2. The method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard 'Method of sampling of cereals and pulses' No. IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Within the overall limit of 1.0% for foreign matter, the poisonous seeds shall not exceed 0.5% of which Dhatura and Akara seeds (*Vicia* species) not to exceed 0,025% and 0.2% respectively.
4. Kernels with husk will not be treated as unsound grains. During physical analysis the husk will be removed and treated as organic foreign matter.

*****

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION R.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक– एफ 4–18/खाद्य/2012/29/4501 रायपुर, दिनांक 26 सितंबर, 2012

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः– खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 के दौरान समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग हेतु राईस मिलों का पंजीयन विषयक ।

खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 में विगत वर्ष की भांति समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग तथा लेव्ही चावल प्रदाय हेतु राईस मिलों का पंजीयन किया जाना अनिवार्य है । विभाग की वेबसाईट http://cg.nic.in/khadya में उपलब्ध लिंक "मिल पंजीयन" के माध्यम से राईस मिलर द्वारा मिल पंजीयन संबंधी आवेदन तैयार किया जावे। इस संबंध में आवश्यक सॉफ्टवेयर एन.आई.सी. द्वारा दिनांक 30.09.2012 तक विभागीय वेबसाइट में अपलोड किया जायेगा । खरीफ वर्ष 2012–13 में कस्टम मिलिंग एवं लेव्ही चावल उपार्जन हेतु राईस मिलरों के पंजीयन एवं अन्य सुविधाओं हेतु विभागीय वेबसाईट में निम्न व्यवस्थाएं की गई है –

1. जिला खाद्य कार्यालय में मिल पंजीयन हेतु आवेदन पत्र जमा करना :–

(क) नया मिल पंजीयन (2012–13) –

जिन राईस मिलों का पंजीयन खरीफ वर्ष 2011–12 के दौरान नहीं किया गया है अथवा नई स्थापित राईस मिलों के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र वेब एप्लीकेशन के माध्यम से तैयार किए जा सकते हैं । इस हेतु वेबसाईट सें मिल पंजीयन के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें वांछित जानकारी मिलर द्वारा दर्ज किए जाने के उपरांत पंजीयन हेतु जिला खाद्य कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा ।

(ख) मिल पंजीयन नवीनीकरण (2011–12 में पंजीकृत) –

खरीफ वर्ष 2011–12 के दौरान जिन राईस मिलों का पंजीयन किया जा चुका है, खरीफ वर्ष 2012–13 के लिए उनके पंजीयन का नवीनीकरण किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु वेबसाईट में पृथक **मिल पंजीयन नवीनीकरण** लिंक उपलब्ध है । राईस मिल के संचालक द्वारा मिल का पंजीयन क्रमांक एवं पासवर्ड दर्ज कर पूर्व में प्रस्तुत आवेदन पत्र की इलेक्ट्रानिक प्रति का अवलोकन कर सकता है एवं उसमें आवश्यक संशोधन किया

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

(11)

अनुमति की समयावधि बढ़ाने संबंधी आवेदन इंटरनेट के माध्यम से जिला खाद्य अधिकारी को प्रेषित किए जा सकते हैं । साथ ही अपने आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की स्थिति एवं अन्य सुसंगत जानकारी भी पंजीकृत मिल के संचालकों द्वारा अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगी । मिल संचालक द्वारा इंटरनेट के माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र खाद्य अधिकारी के माड्यूल में प्रदर्शित होंगे, जिस पर कार्यवाही उपरांत जिला खाद्य कार्यालय द्वारा दर्ज जानकारी मिल संचालक के अवलोकन हेतु उपलब्ध हो जाएगी । इंटरनेट के माध्यम से मिल संचालकों द्वारा प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण कर उसकी जानकारी वेबसाईट में जिला खाद्य कार्यालय द्वारा नियमित रूप से दर्ज की जाए ।

उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग हेतु उपरोक्त निर्देशानुसार मिलों के पंजीयन का कार्य शीघ्र प्रारंभ करें ।

(विकास शील)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

पृ.कमांक– एफ 4–18/खाद्य/2012/29/4502 रायपुर, दिनांक 26 सितंबर, 2012

प्रतिलिपि :–

01. आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, रायपुर ।
02. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, रायपुर ।
03. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, रायपुर ।
04. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, रायपुर ।
05. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मंत्रालय, रायपुर ।
06. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
07. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश राईस मिलर्स एसोसिएशन, रायपुर ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

(12)

KMS Letter 2012-13

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 4–25/खाद्य/2012/29/ 4716 रायपुर, दिनांक 19 अक्टूबर, 2012

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीगढ़

विषयः– खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 में धान खरीदी हेतु मिलर्स से प्राप्त बारदाने के उपयोग बाबत् ।

संदर्भः– भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग का पत्र क्रमांक 15(8)/2004–PY . III दिनांक 10 अक्टूबर 2012।

भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के संदर्भित पत्र में खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 में खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 एवं खरीफ वर्ष 2012–13 में शासकीय धान की कस्टम मिलिंग करने वाले राईस मिलर्स के पास कस्टम मिल्ड चावल प्रदाय करने के उपरांत शेष एक भरती बारदानों एवं पीडीएस बारदानों का उपयोग किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य में करने हेतु अनुमति प्रदान किया गया है ।

किसानों की सुविधा के लिये मिलर्स एवं पी.डी.एस. से प्राप्त बारदानों को धान खरीदी हेतु उपयोग में लाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए –

1. <u>एक भरती बारदाने</u> :–

1.1 जिले में धान उपार्जन के लिये बारदाने संलग्न सूची–1 में दर्शित मात्रा की सीमा तक आवश्यकतानुसार एक भरती बारदाना मिलर्स से संग्रहण केन्द्रों में प्राप्त किया जावे ।

1.2 बारदाना भारत सरकार, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के पत्र क्रमांक 15(8)/2004-Py.III दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 में निर्धारित स्पेशीफिकेशन का होना चाहिए । उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न है ।

1.3 राईस मिलर्स से खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 का एक भरती बारदाना प्राप्त किया जावे । खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 के बारदाने में पहचान हेतु संग्रहण केन्द्रों में **"खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 हेतु"** का स्टेन्सील लगाकर छपाई किया जावे ।

1.4 बारदानों की गुणवत्ता की जांच कलेक्टर द्वारा नियुक्त खाद्य/ सहकारिता/राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा मिल पाईन्ट तथा मार्कफेड के संग्रहण केन्द्रों पर किया जावेगा । मिलर्स से मात्र खरीफ वर्ष 2011–12 एवं खरीफ वर्ष 2012–13 में कस्टम मिलिंग के लिए धान के साथ प्रदाय बारदानों में से शेष एक भरती बारदानों की ही प्राप्ति की जावेगी ।

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 4–21/खाद्य/2012/29/4776 रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर, 2012
प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः– खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन विषयक ।

विगत वर्षों की भांति खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 में भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य एवं निर्धारित स्पेसिफिकेशन के आधार पर राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का का उपार्जन किया जावेगा, जिस हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं –

1. **समर्थन मूल्य** –

भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 के लिए औसत अच्छी किस्म (एफ.ए.क्यू.) के धान एवं मक्का के लिए निम्नानुसार समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है –

धान कॉमन	–	रूपए 1250 प्रति क्विंटल
धान ग्रेड ए	–	रूपए 1280 प्रति क्विंटल
मक्का	–	रूपए 1175 प्रति क्विंटल

2. **उपार्जन की समयावधि** –

खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 के दौरान समर्थन मूल्य योजनांतर्गत राज्य के किसानों से धान की नगद खरीदी 1st नवंबर, 2012 से 31 जनवरी, 2013 तक व लिंकिंग के तहत खरीदी दिनांक 1 नवंबर, 2012 से 15 फरवरी, 2013 तक की जावेगी । समर्थन मूल्य पर कृषकों से मक्का की खरीदी दिनांक 1 नवंबर, 2012 से 30 मई, 2013 तक की जावेगी ।

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

जिलेवार धान के अनुमानित उपार्जन की जानकारी का पत्रक परिशिष्ट–1 पर संलग्न है ।

5. साख–सीमा की व्यवस्था –

समर्थन मूल्य पर धान के उपार्जन हेतु आवश्यक साख–सीमा की व्यवस्था राज्य शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा की जावेगी । समर्थन मूल्य पर मक्का के उपार्जन हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जावेगी ।

6. बारदानों की व्यवस्था –

6.1. अनुमानित 68.55 लाख मेट्रिक टन धान की भरती हेतु आवश्यक जूट एवं एच.डी.पी.ई. बारदानों का डी.जी.एस.एण्ड.डी. से कय कर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा जिलों को आवश्यकतानुसार संख्या में उपलब्ध कराया जावेगा। समर्थन मूल्य पर मक्का के उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को मांग अनुसार बारदाना उपलब्ध कराया जावेगा, जिसकी राशि का भुगतान छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा किया जावेगा ।

6.2. किसानों से धान क्रय करते समय जिस प्रकार के बारदाने का धान उपार्जन हेतु उपयोग किया जा रहा है अथवा मिलर अथवा परिवहनकर्ता को धान प्रदाय करते समय जिस प्रकार के बारदाने जारी किये जा रहे हैं, उसकी एंट्री सॉफ्टवेयर में की जावे । समिति के भैतिक सत्यापन के दौरान बारदाने के स्टॉक सही नहीं पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जावे ।

6.3. खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में मिलर्स से प्राप्त एक भरती बारदाने का उपयोग धान खरीदी हेतु किया जावेगा । जिलेवार बारदाने की मात्रा शासन द्वारा तय की जावेगी । भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पत्र क्रमांक 15(8)/2004--PY.III दिनांक 10 अक्टूबर, 2012 द्वारा निर्धारित

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

6.10. खरीफ विपणन वर्ष 2012—13 में कस्टम मिलिंग के लिये मिलर्स को धान के साथ प्रदाय जूट बारदाने को अति आवश्यक होने पर शासन से जारी निर्देशों के अनुसार ही वापस लिया जाना है एवं एच.डी.पी.ई. बारदानों को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा वापिस नहीं लिया जाना है । मिलर्स को देय राशि में से निम्नानुसार मान से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा मिलर के पास शेष बारदानों के एवज में राशि समायोजित किया /प्रदाय किया जावे :—

एक भरती जूट बारदाना हेतु	14 रूपये प्रति नग
दो भरती जूट बारदाना हेतु	7 रूपये प्रति नग
एच.डी.पी.ई. बारदाने हेतु	1 रूपये प्रति नग
पी.डी.एस. बारदाने हेतु	2 रूपये प्रति नग

6.11. जितने बारदाने वापस मिलर्स से लिये जायेंगे उनकी कटौती नही की जाएगी ।

7. उपार्जन हेतु आरंभिक व्यवस्था —

7.1. खरीफ विपणन वर्ष 2012—13 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिये किसानों का पंजीयन कराने के निर्देश विभाग द्वारा पूर्व में दिये गये हैं । खरीफ विपणन वर्ष 2012—13 में पंजीकृत किसानों से ही धान का उपार्जन किया जाएगा । जिन किसानों का पंजीयन नहीं हुआ है उनका पंजीयन धान उपार्जन अवधि के दौरान किया जा सकता है । किसानों के पंजीयन संबंधी जानकारी नियमिति रूप से विभागीय वेबसाइट में अपलोड की जावे ।

7.2. भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2012—13 हेतु धान एवं मक्का के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य एवं औसत अच्छी गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) के मापदण्डों का बैनर, हैण्डबिल, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से व्यापक प्रचार—प्रसार किया जावे ताकि राज्य के किसानों

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवरथले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू. / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

धान के सुरक्षित संग्रहण हेतु आवश्यक संख्या में पॉलिथीन कवर, ड्रेनेज सामग्री/ सीमेंट ब्लॉक/ फ्लाई ऐस ब्रिक्स एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था भी उपार्जन केन्द्रों में उपलब्ध होना चाहिए । उपरोक्त हेतु मार्कफेड द्वारा अग्रिम में राशि समितियों को प्रदाय किया गया है ।

7.6. धान खरीदी केन्द्रों में निर्धारित स्पेशीफिकेशन अनुसार ही धान लाये जाने हेतु पर्याप्त मात्रा में प्रचार–प्रसार किया जावे । विगत वर्ष राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्र के सभी एवं अनुसूचित क्षेत्रों में विगत वर्ष 1000 टन या अधिक धान का उपार्जन करने वाले उपार्जन केन्द्रों में समितियों द्वारा आर्द्रतामापी यंत्र क्रय कर रखे गये थे । खरीफ वर्ष 2012–13 में प्रदेश के सभी उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी के लिये नमी की जांच हेतु आर्द्रतामापी यंत्र रखे जावे। आर्द्रतामापी यंत्र के उपयोग हेतु समिति प्रबंधकों को आवश्यक प्रशिक्षण भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा दिलाया जावे । उपार्जन केन्द्रों में नमी की जांच कर किसानों को आवश्यक समझाईश दी जावे । किसी भी स्थिति में 17 % से अधिक नमी का धान क्रय नहीं किया जावे ।

7.7. समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के संग्रहण हेतु जहां तक संभव हो शासकीय भूमि का उपयोग किया जावे एवं यदि अपरिहार्य कारणों से निजी भूमि पर धान संग्रहण की आवश्यकता हो तो ग्राम पंचायत के माध्यम से निजी भूमि किराए पर ली जावे तथा निजी भूमि के किराए की राशि का भुगतान ग्राम पंचायत को किया जावे ।

7.8. प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में औसत अच्छी गुणवत्ता के धान एवं मक्का के किस्मवार सेम्पल कृषकों के अवलोकन हेतु अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किये जावे।

7.9. प्रत्येक गांव में धान एवं मक्का के बोवाई रकबे के साथ–साथ उत्पादन की जानकारी उपार्जन केन्द्र स्तर तथा जिला स्तर पर भी संधारित किया जावे ।

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)

निरीक्षक ... / ए.सी.

आदान-प्रदान होने के कारण सुविधा होगी। इंटरनेट कनेक्टीविटी हेतु आवश्यक राशि मार्कफेड द्वारा प्रशासकीय मद की राशि से समितियों को आवश्यकतानुसार अग्रिम में प्रदान की जावे ।

8.2.1. कम्प्यूटर में किसी प्रकार की खराबी आने की स्थिति में विगत वर्ष की भांति मेनुअल धान खरीदी का प्रस्ताव तत्काल प्रबंध संचालक, मार्कफेड को फैक्स के माध्यम से प्रेषित किया जाए । प्रबंध संचालक, मार्कफेड द्वारा एक बार में अधिकतम 03 दिवस के लिए मेनुअल धान खरीदी की अनुमति दी जा सकेगी । विगत वर्ष के निर्देशानुसार मेनुअल धान खरीदी के रिकार्ड संबंधित सहकारी समिति द्वारा रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे तथा कम्प्यूटर के ठीक होने के उपरांत इसकी एन्ट्री सुनिश्चित की जाएगी । मेनुअल खरीदी के दौरान संबंधित उपार्जन केन्द्र से मार्कफेड के संग्रहण केन्द्र को धान प्रदाय किया जाएगा एवं राईस मिलर्स को धान प्रदाय नहीं किया जाएगा । किसी भी समिति द्वारा संपूर्ण धान खरीदी अवधि के दौरान 10 दिवस से अधिक समय तक मेनुअल खरीदी किए जाने की स्थिति में आगले वर्ष धान उपार्जन उस समिति में नहीं की जावेगी ।

8.2.2. मेनुअल धान खरीदी के लिए आवश्यक स्टेशनरी की व्यवस्था जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा पूर्व से करा ली जावे ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें धान उपार्जन केन्द्रों को प्रदाय किया जा सके ।

8.2.3. प्रत्येक उपार्जन केन्द्र हेतु 7 माह के लिये कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सहकारी समिति द्वारा एवं इनका प्रशिक्षण कार्यकम मार्कफेड द्वारा निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

8.2.4. धान उपार्जन अवधि के दौरान जानकारी के आदान प्रदान हेतु मार्कफेड द्वारा केवल उन्हीं स्थानों के लिये रनर्स की नियुक्ति की जावे जहां पर ऑनलाईन धान की खरीदी नहीं हो रही है । मोटर साईकल रनर्स द्वारा प्रतिदिन धान उपार्जन केन्द्रों के कम्प्यूटर का डेटा प्राप्त करके विकासखण्ड मुख्यालय पर लाकर विकासखण्ड

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.

प्रशिक्षण कार्य मार्कफेड द्वारा कराया जा रहा है । कृपया मार्कफेड द्वारा जारी की गई समय सारिणी के अनुसार कम्प्यूटरीकरण कार्य से संबंधित सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिलावे ।

8.2.10. धान खरीदी के कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था का ट्रायल रन आपके जिले के प्रत्येक धान उपार्जन केन्द्र में दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 से प्रारंभ होकर दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 तक चलेगा । इस ट्रायल रन में सभी धान उपार्जन केन्द्र एवं संग्रहण केन्द्र भाग लेंगे । प्रत्येक धान उपार्जन केन्द्र का इसमें भाग लेना अनिवार्य होगा । जो केन्द्र इसमें भाग नहीं लेंगे उनमें धान उपार्जन की अनुमति नहीं दी जाएगी । कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा स्वीकृत सभी धान उपार्जन केन्द्रों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 के पूर्व पूर्ण हो जाए, और सभी केन्द्र इस ट्रायल रन में भाग लें ।

8.2.11. विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4–21/खाद्य/2012/29/4511 दिनांक 26 सितंबर 2012 के द्वारा धान उपार्जन कार्य प्रारंभ होने के पूर्व कलेक्टर द्वारा जिले में समितिवार प्रति हेक्टेयर अधिकतम उत्पादन के आधार पर उपार्जित की जाने वाली मात्रा का निर्धारण कर इसकी प्रविष्टि कम्प्यूटर साफ्टवेयर में दर्ज कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, ताकि निर्धारित मापदण्ड से अधिक विक्रय की प्रविष्टि कम्प्यूटर द्वारा स्वीकृत न की जा सके । यह कार्यवाही अनिवार्य रूप से 25 अक्टूबर, 2012 तक पूर्ण करा ली जावे ।

8.2.12. बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं कांकेर जिलों में हाट बाजार में धान की अधिकतम एक क्विंटल की सीमा तक चिल्हर खरीदी की जा सकती है । इस संबंध में पृथक से पंजी संधारित की जावे तथा उपार्जन की प्रविष्टि विक्रेता का नाम, पता, विक्रय की गई धान की मात्रा एवं उसका भुगतान कम्प्यूटर में दर्ज कराया जावे ।

C.G. STATE ... RAIPUR

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

सभी ग्रामों में इसका प्रचार–प्रसार कर दिया जाये ।

10.2. धान एवं मक्का का उपार्जन कृषकों से ऋण पुस्तिका के आधार पर ही किया जावेगा तथा क्रय मात्रा का इन्द्राज संबंधित समिति के प्रबंधक/अधिकृत कर्मचारी द्वारा अनिवार्य रूप से उसकी ऋण पुस्तिका में किया जावेगा ।

10.3. अधिया/रेगहा के माध्यम से उत्पादित धान उपार्जन केन्द्रों में विक्रय के लिए लाने वाले किसानों द्वारा भूमि की ऋण पुस्तिका लानी होगी तथा उसमें इन्द्राज किया जाएगा । इसके साथ ही स्वंय का वचन पत्र तथा भूमि स्वामी का सहमति पत्र भी उपार्जन केन्द्रों में प्रस्तुत करना होगा । सभी खरीदी केन्द्रों में ऐसी खरीदी के आंकड़ों को पृथक रूप से संधारित किया जावे ।

10.4. समितियों द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक (शासकीय अवकाश के दिवसों को छोड़कर) धान खरीदी की जायेगी तथा प्रत्येक शनिवार को क्रय किये गये धान की मात्रा, बारदानों का उपयोग तथा समिति को धान उपार्जन हेतु प्राप्त राशि के व्यय की पुष्टि धान खरीदी सॉफ्टवेयर में करना अनिवार्य होगा । पुष्टि के अभाव में आगामी सोमवार से धान का क्रय नहीं किया जा सकेगा ।

10.5. प्रदेश में बीज उत्पादक कृषकों का बीज निगम द्वारा उपार्जित करने हेतु बीज प्रमाणीकरण संस्था से धान बीज की शुद्धता एवं अंकुरण की जांच/परीक्षण करायी जाती है । उक्त जांच/परीक्षण में जिन कृषकों के बीज फेल हो जाते हैं, उसे औसत अच्छे किस्म का होने पर समर्थन मूल्य पर क्रय किया जावेगा । चूँकि परीक्षण के कार्य में समय लगता है, इसलिए धान बीज का समर्थन मूल्य पर चिन्हाँकित खरीदी केन्द्रों में इन किसानों से बीज निगम के प्रमाण पत्र के आधार पर उपार्जन 31 मई, 2013 तक किया जावे ।

10.6. यह सुनिश्चित किया जावे कि धान उपार्जन के कार्य में नियोजित सहकारी समितियों एवं राज्य की धान एवं मक्का उपार्जन हेतु

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)

निरीक्षक / ए.सी.

निगम, विपणन संघ, नागरिक आपूर्ति निगम, खाद्य एवं अन्य विभागों के अधिकारियों की टीमें गठित की जावे, जिन्हें कलेक्टर द्वारा संग्रहण केन्द्र आबंटित कर सतत निरीक्षण का कार्य सौंपा जावे । यह निरीक्षण दल धान एवं मक्का की गुणवत्ता, भण्डारण, परिवहन, बारदानों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता, कम्प्यूटरीकरण का संचालन, किसानों को सुचारू भुगतान आदि पर सतत निगाह रखेंगे और कलेक्टर को अपना नियमित प्रतिवेदन देंगे ।

11.2.3. सहकारी समिति स्तर पर सही गुणवत्ता एवं पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार सदस्यों को सम्मिलित करते हुए स्थानीय स्तर पर एक समिति गठित की जाये, जिसमें निम्नानुसार सदस्य रखे जावेंगे –

1. सहकारी समिति के अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी
2. संबंधित क्षेत्र के सरपंच
3. कलेक्टर द्वारा नामांकित 1 प्रतिनिधि
4. मा. प्रभारी मंत्री जी द्वारा अनुमोदित 02 जन प्रतिनिधि (राईस मिलर न हो)

11.2.4. उक्त समितियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि भारत शासन द्वारा निर्धारित औसत अच्छी गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) किस्म की धान एवं मक्का वास्तविक किसानों से ही क्रय किया जाए । समितियों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर अधिकतम उपज आकलन के आधार पर ही धान एवं मक्का उपार्जन का कार्य किया जावे ।

11.2.5. जिला एवं सहकारी समिति/उपार्जन केन्द्र स्तर पर गठित उपरोक्त समितियों के सदस्यों के नाम, पदनाम सहित जानकारी संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा विभाग को अनिवार्य रूप से 5 नवंबर, 2012 तक उपलब्ध कराया जावे ।

12. **भुगतान व्यवस्था –**

12.1. किसानों द्वारा विक्रय किए गए धान की राशि का भुगतान उपार्जन केन्द्र पर कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार किए गए चेक द्वारा तत्काल

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

12.9. सहकारी बैंकों अथवा भूमि विकास बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले कृषकों की ऋण–पुस्तिकाएं किसी भी परिस्थिति में संबंधित बैंक द्वारा अपने पास नहीं रखी जावेंगी ।

12.10. धान उपार्जन हेतु मार्कफेड द्वारा धान का समर्थन मूल्य, प्रासंगिक व्यय एवं धान भण्डारण व सुरक्षा व्यय की राशि जोड़कर अग्रिम के रूप में सहकारी समितियों को किसानों को भुगतान हेतु उपलब्ध कराई जाएगी । उपरोक्त उपलब्ध कराई गई राशि में से सर्वप्रथम किसानों को भुगतान किया जाएगा एवं किसानों को भुगतान पूर्ण होने के उपरांत ही शेष उपलब्ध राशि का उपयोग सहकारी समितियों द्वारा अन्य मदों में किया जाएगा ।

12.11. प्रासंगिक व्यय व धान भण्डारण व सुरक्षा व्यय के मद में प्रदाय की गई अग्रिम राशियों का समायोजन समिति द्वारा उक्त मदों में वास्तविक व्यय के आधार पर किया जाएगा तथा अव्ययित राशि को कमीशन की राशि से समायोजित किया जाएगा ।

13. समिति को इन्सेंटिव प्रदान करना –

खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 में ऐसी समितियों को प्रोत्साहन कमीशन प्रदाय किया जावे, जिनमें :–

1. समिति में शॉर्टेज/कमी की मात्रा निरंक हो तथा
2. समिति में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी हो।

समितियों एवं उनके कर्मचारियों को इन्सेंटिव के रूप में समिति के निर्धारित कमीशन (2.5%) के अतिरिक्त समर्थन मूल्य का 0.5 % प्रोत्साहन राशि (0.25 % समिति हेतु एवं 0.25 % समिति द्वारा धान खरीदी कार्य में नियोजित अधिकारियों व कर्मचारियों हेतु) प्रदाय की जावेगी । उपरोक्त हेतु राशि की व्यवस्था मार्कफेड को धान उपार्जन में प्राप्त होने वाली प्रशासनिक व्यय से की जावेगी ।

14. भण्डारण व्यवस्था –

14.1. धान के उचित भण्डारण हेतु भण्डारण केन्द्र स्थल का चयन,

सत्यापित प्रति
(एस डी देवस्थले)
निरीक्षक ए.सी.

15.3. धान के परिवहन हेतु आवश्यकतानुसार स्वीकृत परिवहन दर पर किसी भी परिवहनकर्ता से परिवहन का कार्य कराया जा सकता है । मार्कफेड द्वारा परिवहन नहीं कराये जाने की स्थिति में समितियों के द्वारा स्वीकृत परिवहन दर पर धान का परिवहन कराया जावे । इस हेतु समिति उसे धान भण्डारण व सुरक्षा मद अथवा प्रासंगिक व्यय के मद में प्रदत्त अग्रिम राशि का उपयोग परिवहन देयकों के भुगतान हेतु कर सकेगी तथा ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति विपणन संघ द्वारा समिति को की जाएगी ।

15.4. खरीदी केन्द्रों की भण्डारण क्षमता को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर द्वारा खरीदी केन्द्रवार बफर लिमिट निर्धारित किया जावे । बफर लिमिट से अधिक धान भण्डारण होने की स्थिति में तत्काल धान का परिवहन सुनिश्चित कराया जावे ।

15.5. खरीदी केन्द्रों से धान के उठाव हेतु एवं दोहरे परिवहन व्यय को रोकने हेतु अधिकाधिक मात्रा में धान सीधे मिलर्स को प्रदाय किया जाये । धान के त्वरित निराकरण हेतु आवश्यकतानुसार पुराने जिले के मिलर्स को संबंधित नये जिले के उपार्जन केन्द्रों से भी कस्टम मिलिंग हेतु सीधे धान प्रदाय किया जावे । मिलर्स को धान प्रदाय करने की प्रक्रिया कस्टम मिलिंग के निर्देश अनुसार की जाए ।

15.6. धान उपार्जन केन्द्रों से सहकारी समितियों के व्यय पर 10 प्रतिशत रेण्डम वजन कराने के उपरांत धान का प्रदाय किया जावेगा ।

15.7. समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन अवधि के दौरान पड़ोसी राज्यों से धान लाकर खरीदी केन्द्रों में विक्रय करने की आशंका रहती है । अतः 1 नवंबर, 2012 से 30 अप्रैल 2013 तक अन्य राज्यों से धान व चावल की आयुक्त/संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति की अनुमति से ही हो सकेगी । अतः सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर्स राज्य की सीमा पर आवश्यक चेकिंग दल तत्काल तैनात कर विभाग को सूचित करें ।

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवरथले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

धान उठाव पर मिलर्स को लोडिंग–अनलोडिंग कटौती नहीं करने पर आये व्ययों की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जावेगी ।

17. कस्टम मिलिंग –

17.1. खरीफ विपणन मौसम 2012–13 में पंजीकृत मिलों द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का कस्टम मिलिंग किया जाएगा । राईस मिलों के पंजीयन हेतु विभागीय निर्देश पूर्व में जारी किये जा चुके हैं । धान की कस्टम मिलिंग संबंधी समस्त कार्य का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है । इस संबंध में विस्तृत निर्देश कस्टम मिलिंग प्रकिया के संबंध में विभाग द्वारा जारी किए जा रहे हैं ।

17.2. विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजनांतर्गत राज्य की अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु चावल उपार्जन कार्य पूर्व की भांति नोडल एजेंसी के रूप में छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा किया जाएगा तथा सरप्लस चावल पूर्वानुसार भारतीय खाद्य निगम को प्रदाय किया जायेगा ।

18. पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण –

18.1. धान एवं मक्का उपार्जन के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जिले में प्रभारी सचिव को जिम्मेदारी दी जावेगी । इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जायेंगे ।

18.2. धान एवं मक्का उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग से संबंधित समस्याओं एवं कठिनाईयों को खाद्य विभाग के कॉल सेंटर नंबर 1800–233–3663 में दर्ज कराया जावे । कॉल सेंटर राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के रूप में संचालित किया जाएगा । कॉल सेंटर नंबर का प्रदर्शन प्रत्येक धान खरीदी केन्द्र में किया जावे । प्राप्त शिकायत का निराकरण 3 दिवस

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

कड़ी कार्यवाही की जावे ।

18.6. विगत खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 में 4 प्रतिशत से ज्यादा कमी वाले धान खरीदी केन्द्रों में खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 में कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी की निगरानी में धान खरीदी किया जाए । धान खरीदी का कार्य समिति के द्वारा किया जाएगा, किंतु निगरानी कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी करेंगे । नामांकित अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व हैं :–

1. पंजीकृत किसानों से समिति द्वारा धान खरीदी सुनिश्चित किया जावे ।
2. किसानों से प्रति हेक्टेयर अधिकतम उत्पादन के आधार पर धान का उपार्जन सुनिश्चित कराया जावे ।
3. किसानों के द्वारा विक्रय किये गये धान का इंद्राज समिति प्रबंधक द्वारा ऋण पुस्तिका में कराया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
4. धान एवं बारदाने के स्टॉक के स्टेटमेंट की एक प्रति में नामांकित अधिकारी प्रतिदिन हस्ताक्षर करेगा एवं भौतिक सत्यापन के दौरान यह जांच करेगा कि वास्तविक में उतना स्टाक उपलब्ध है या नहीं ।
5. समिति में बफर स्टॉक से ज्यादा धान होने पर उसके उठाव हेतु जिला विपणन अधिकारी को सूचित करेगा ।
6. नामांकित अधिकारी किसानों को समयानुसार भुगतान सुनिश्चित करायेगा एवं उसके द्वारा भुगतान स्टेटमेंट पर प्रतिदिन हस्ताक्षर किया जावेगा ।
7. धान एवं बारदाने की सुरक्षा हेतु समिति द्वारा पर्याप्त उपाय करने की निगरानी करेगा ।

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION RAIPUR

सत्यापित प्रति

(एस डी देवरशलें)

निरी[illegible]

की किसी गलती के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकार किया जाता है तो इसके फलस्वरूप होने वाली क्षति समिति द्वारा वहन की जाएगी।

20.3. धान उपार्जन केन्द्रों में कार्यरत समस्त व्यक्तियों का सामूहिक बीमा मार्कफेड द्वारा कराया जाये । इस हेतु उपार्जन केन्द्रों में कार्यरत व्यक्तियों की वांछित जानकारी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा मार्कफेड को उपलब्ध कराई जाये ।

कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन हेतु निर्धारित सभी आवश्यक कार्यवाहियां पूर्ण करते हुए समय–सीमा में विभाग को अवगत करावें ।

संलग्न:–उपरोक्तानुसार ।

23/10/12

(विकास शील)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

पृ.क्रमांक एफ 4–21/खाद्य/2012/29/4777 रायपुर, दिनांक 23 अक्टूबर, 2012

प्रतिलिपि –

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
3. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्री/राज्य मंत्रीजी, रायपुर ।
4. सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
5. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
6. समस्त संबंधित जिला प्रभारी प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
7. कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, रायपुर।
8. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग मंत्रालय, रायपुर को कंडिका 18 के संदर्भ में पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक आदेश प्रसारित करने हेतु प्रेषित ।
10. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर की ओर कंडिका 18.1 के संदर्भ में आदेश प्रसारित करने हेतु प्रेषित ।
11. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, रायपुर की ओर कंडिका

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू. / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

विपणन वर्ष 2012-13 में धान उपार्जन एवं निराकरण की अनुमानित कार्ययोजना

(मात्रा में टन में)

क्र.	जिले का नाम	उपार्जन केन्द्र की संख्या	संग्रहण केन्द्र की संख्या	उपार्जन अनुमान	समितियों से मिलर द्वारा सीधे उठाव	धान संग्रहण केन्द्रों में धान भण्डारण
1	रायपुर	120	5	525000	400000	125000
2	बलौदा बाजार	132	4	450000	210000	240000
3	गरियाबंद	59	0	210000	122000	88000
4.	धमतरी	80	5	450000	400000	50000
5	महासमुंद	115	5	600000	360000	240000
6.	दुर्ग	74	4	350000	210000	140000
7	बालोद	104	3	400000	211500	188500
8	बेमेतरा	79	1	360000	100000	260000
9.	राजनांदगांव	110	6	425000	150000	275000
10	कवर्धा	75	1	175000	50000	125000
11.	बिलासपुर	126	6	400000	240000	160000
12.	मुंगेली	74	2	225000	150000	75000
13	जांजगीर-चांपा	204	6	900000	425000	475000
14.	कोरबा	39	2	110000	90000	20000
15.	रायगढ़	119	4	500000	350000	150000
16.	सरगुजा	28	2	150000	90000	60000
17.	सूरजपुर	29	1	115000	75000	40000
18.	बलरामपुर	33	0	100000	30000	70000
19.	कोरिया	19	0	55000	55000	0
20.	जशपुर	22	1	55000	55000	0
21	बस्तर	58	1	85000	85000	0
22.	कोंडागांव	43	1	30000	30000	0
23.	नारायणपुर	6	0	5000	3000	2000
24.	कांकेर	111	3	150000	90000	60000
25.	दंतेवाड़ा	11	1	10000	2500	7500
26.	सुकमा	12	0	10000	6000	4000
27.	बीजापुर	13	0	10000	10000	0
		1895	64	6855000	4000000	2855000

नोटः– जिला कलेक्टर प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक मात्रा में धान समितियों से सीधे मिलर्स द्वारा उठाया जाये ।

(27)

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.ड...

Copy to :-

1. The Chairman and Managing Director, Food Corporation of India (FCI), New Delhi.
2. Executive Director (Commercial), FCI HQ, New Delhi.
3. General Manager (QC), FCI, HQ, New Delhi.
4. General Manager (Marketing & Procurement), FCI HQ, New Delhi.
5. All Executive Director (Zones), FCI.
6. Managing Director, CWC, New Delhi.
7. The Secretary to the Government of India, Deptt. of Agri. & Coop., Krishi Bhawan, New Delhi.
8. Sr. PPS to Secretary (F&PD)/PPS to AS&FA/JS (P&FCI)/JS (Impex, SRA & EOP)/JS (Stg.)/JS (BP&PD (WDRA).
9. Director (P)/Director (FCI)/Director (PD)/Director (Finance)/JC (S&RA)/DC (S&R).
10. All QCC/IGMRI offices.
11. US (BP-I)/US (BP-II)/US (Py. I, II, III, IV)
12. DD(S)/DD (QC)/AD(QC).
13. Director (Technical), NIC with the request to put the information in the Ministry's website.

(Dr. SC Bansal)
Dy. Director (S&R)
For Dy. Commissioner (S&R)
Ph. 23383915

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट-3(1) (28) (26)

खरीफ वर्ष 2012-13 में उपार्जित धान की खरीदी केंद्र से संग्रहण केंद्र को अंतर जिला धान स्थानांतरण हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम

(मात्रा मे. टन में)

क्र.	धान भेजने वाले जिले का नाम	धान प्राप्त करने वाले जिले का नाम	संग्रहण केन्द्र का नाम	स्थानांतरण हेतु धान की अनुमानित मात्रा
1	2	3	4	5
1	बलरामपुर	सरगुजा	अम्बिकापुर	4000
		सूरजपुर	सूरजपुर	20000
		जशपुर	पत्थलगांव	26000
		रायगढ़	मेडिकल ग्राउंड लोहरसिंग	23000
	योग			73000
2.	जांजगीर-चांपा	बिलासपुर	मस्तुरी	68000
		कोरबा	किसान राईस मिल कटघोरा	45000
		रायगढ़	खरसिया	27000
		महासमुंद	महासमुंद	64000
	योग			204000
3.	कबीरधाम	रायपुर	तिल्दा	92000
	योग			92000
4.	राजनांदगांव	दुर्ग	करंजा भिलाई	20000
			कौड़िया	30000
		धमतरी	चिटौद	60000
		कांकेर	चिटौद	43000
	योग			153000
5.	बेमेतरा	दुर्ग	जेवरा-सिरसा	20000
			सैलूद	55000
		रायपुर	जौंदा	75000
			तिल्दा	83000
	योग			233000
6.	बलौदाबाजार	रायपुर	तिल्दा	62000
			लखोली	41000
	योग			103000
7.	गरियाबंद	रायपुर	जौंदा	38000
	योग			38000
8.	दंतेवाड़ा	बस्तर	जगदलपुर	75000
	योग			7500
	महायोग			903500

(31)

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवरथले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 4–18 / खाद्य / 2012 / 29/4784 रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर, 2012

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः– खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग नीति विषयक ।

खरीफ वर्ष 2012–13 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य 1 नवंबर, 2012 से प्रारंभ होगा । खरीफ वर्ष 2012–13 में समर्थन मूल्य पर 68.55 लाख मेट्रिक टन धान का उपार्जन अनुमानित है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं भारत सरकार की अन्य योजनाओं तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए हमारे प्रदेश को लगभग 15 लाख मेट्रिक टन चावल की वार्षिक आवश्यकता है । अतः धान की आवक को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त योजनाओं के लिए आवश्यक लगभग 15 लाख मेट्रिक टन चावल के लिए लगभग 22.50 लाख मेट्रिक टन धान कस्टम मिलिंग हेतु मार्कफेड द्वारा रखा जाएगा । शेष धान का चावल बनाकर भारतीय खाद्य निगम को अंतरित किया जाएगा । उपार्जित धान के त्वरित निराकरण हेतु कस्टम मिलिंग की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है –

1. सी.एम.आर. डिलेवरी समयावधि –

खरीफ वर्ष 2012–13 के दौरान कस्टम मिलिंग के उपरांत निर्मित चावल के छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन अथवा भारतीय खाद्य निगम को डिलीवरी की समयावधि 1 नवंबर, 2012 से 30 सितंबर, 2013 तक होगी किन्तु डिलीवरी को जून, 2013 तक पूर्ण करने का प्रयास सर्वसंबंधितों द्वारा किया जायेगा।

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू. / ए.सी.

2. सी.एम.आर. उपार्जन एजेंसी --

2.1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य कल्याणकारी योजनाओं तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना हेतु राज्य के लिए आवश्यक चावल का उपार्जन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा संलग्न परिशिष्ट–1 अनुसार किया जाएगा ।

2.2. छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा भारत सरकार की योजनाओं तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए उपार्जित चावल का पृथक--पृथक लेखा संधारित किया जाएगा ।

2.3. राज्य की आवश्यकता से अधिक चावल का परिदान कस्टम मिलिंग के उपरांत मिलर्स द्वारा भारतीय खाद्य निगम को किया जाएगा ।

2.4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत राशनकार्डधारियों को अरवा चावल के साथ–साथ उसना चावल भी शासन निर्देशानुसार वितरित किया जावे एवं उक्त हेतु आवश्यकतानुसार उसना चावल का उपार्जन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन द्वारा किया जावे ।

2.5. विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत चावल उपार्जन हेतु राज्य शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा आवश्यक कार्यशील पूंजी की व्यवस्था की जावेगी ।

3. गुणवत्ता –

3.1. समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के उपरांत छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2012–13 हेतु निर्धारित विर्निदिष्टियों के अनुरूप सी.एम.आर. की प्राप्ति की जावेगी, जिसकी प्रति परिशिष्ट–2 पर संलग्न है।

3.2. भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2012–13 हेतु निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप चावल के उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ. ... / ए.सी. ...

कार्पोरेशन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जावे।

3.3. छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा उपार्जित किए जाने वाले कस्टम मिलिंग चावल की गुणवत्ता की विशेष रूप से निगरानी की व्यवस्था की जाए तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता का चावल प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

4. **कस्टम मिलिंग दर –**

खरीफ वर्ष 2012–13 में उपार्जित एवं राज्य शासन द्वारा संधारित धान की अरवा मिलिंग पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 30 रूपये प्रति क्विंटल होगी एवं उसना मिलिंग दर भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप होगी ।

5. **कस्टम मिलिंग प्रकिया –**

खरीफ वर्ष 2007–08 के दौरान कस्टम मिलिंग की प्रकिया का कम्प्यूटरीकरण किया गया है एवं खरीफ वर्ष 2012–13 में कम्प्यूटरीकृत प्रकिया के माध्यम से समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की मिलिंग का कार्य पूर्ण किया जाएगा । खरीफ वर्ष 2012–13 में कस्टम मिलिंग हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –

5.1. कस्टम मिलिंग हेतु मिल पंजीयन अनिवार्य रहेगा तथा मात्र पंजीकृत मिलों को ही कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति दी जाएगी । प्रत्येक मिल में विद्युत कनेक्शन स्थापित है इसका प्रमाणीकरण विद्युत मंडल के द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाए । ऐसी राईस मिलें जिनके संचालक द्वारा राज्य शासन के कस्टम मिलिंग निर्देशों का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित होता है अथवा विगत 3 वर्षो में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध में दोषसिद्ध पाए गए हैं, को पंजीकृत नहीं किया जाये तथा उन्हें कस्टम मिलिंग की अनुमति नहीं दी जाये। कृपया अपने जिले के समस्त राईस मिलर्स की बैठक लेकर उन्हें मिल पंजीयन की प्रकिया के संबंध में पूरी जानकारी प्रदाय कर दें एवं यह सुनिश्चित कर लें कि आपके जिले की मिलों का पंजीयन दिनांक 15 नवंबर, 2012 तक पूर्ण हो जाए । तथापि

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति

(एस.डी. देवस्थले)
निरीक्षक ह.ओ.डब्ल्यू. / ए.पी.

मिलों के पंजीयन की सुविधा धान उपार्जन अवधि के दौरान भी जारी रहेगी । राईस मिलों के पंजीयन हेतु विस्तृत शासन निर्देश पत्र क्रमांक एफ 4–18/खाद्य/2012/29/4501 दिनांक 26 सितंबर, 2012 के द्वारा जारी किये गये हैं ।

5.2. खरीफ वर्ष 2012–13 में कस्टम मिलिंग हेतु मार्कफेड द्वारा संचालित किसान राईस मिलों को धान प्रदाय किया जा सकेगा, किन्तु इसके लिए किसान मिल का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।

5.3. पंजीकृत मिल द्वारा आवेदन (लिखित अथवा ऑनलाईन) करने पर मिल को धान कस्टम मिलिंग की अनुमति मिल की क्षमता के आधार पर एक बार में कम से कम एक माह की मिलिंग क्षमता के बराबर (1 मेट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली मिल हेतु 400 मेट्रिक टन प्रतिमाह) दी जावे । मिलों को 100 मेट्रिक टन (अर्थात 1 स्टेक) के गुणक में मिलिंग अनुमति दी जावे । मिलों को एक बार में उनकी 6 माह की मिलिंग क्षमता से अधिक की अनुमति नहीं दी जाए । किसी भी मिल से अगला अनुबंध करने के पूर्व पिछले अनुबंध की मिलिंग पूरी करना अनिवार्य होगा । मिल से अगला अनुबंध करते समय पिछले अनुबंध के लिए धान मिलिंग के लिए उपयोग की गई बिजली के बिल की छायाप्रति प्राप्त करना अनिवार्य होगा । एक मिलिंग सीजन में मिल की 10 माह की मिलिंग क्षमता से अधिक का अनुबंध करने की अनुमति नहीं दी जावे । यदि इससे अधिक क्षमता की मिलिंग अनुबंध की अनुमति देना हो, तो कलेक्टर्स कारण दर्शाते हुए प्रबंध संचालक मार्कफेड के माध्यम से आयुक्त, खाद्य संचालनालय को निर्णय हेतु प्रस्ताव भेजेंगे ।

5.4. कलेक्टर्स द्वारा कस्टम मिलिंग की अनुमति जारी किए जाने के पश्चात उसी दिन मिलिंग हेतु जिला विपणन अधिकारी द्वारा अनुमति की पूरी मात्रा का अनुबंध **एक ही बार** में निष्पादित किया जावे । मिलर्स को प्रोत्साहित किया जाए कि वे आवेदन के साथ ही अनुबंध हेतु आवश्यक स्टाम्प पेपर

STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR C.G.

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

उपलब्ध करावें ताकि अनुबंध करने में विलंब न हो । छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन तथा भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा कराने के लिए अलग–अलग अनुबंध किए जायें।

5.5. धान के उठाव हेतु पूरा स्टेक हस्तांतरित किया जावे । किसी भी स्थिति में मिलर्स को स्टेक तोड़कर अथवा बोरों की छटाई कर धान जारी नहीं किया जावे ।

5.6. कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति धान की मात्रा का होगा । 1 नवंबर 2012 से 28 फरवरी 2013 तक की अवधि में कस्टम मिलिंग हेतु किये जाने वाले अनुबंधों में धान की मात्रा का जिलेवार किस्मवार अनुपात (मोटा, पतला एवं सरना धान) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के द्वारा निर्धारित किया जायेगा । आवश्यकतानुसार विपणन संघ द्वारा निर्धारित अनुपात में कलेक्टर के प्रस्ताव पर संशोधन प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किया जा सकेगा । जिला विपणन अधिकारी जिले के अनुपात के आधार पर धान का डिलिव्हरी आर्डर जारी करेगा । अंतर जिला मिलिंग की स्थिति में मूल जिले का जिला विपणन अधिकारी अन्य जिले के लिये डिलिव्हरी आर्डर जारी कर सकेगा । मूल जिले के धान के उठाव हेतु मूल जिले के अनुपात के आधार पर डिलिव्हरी आर्डर जारी करेगा एवं अन्य जिले के धान के उठाव हेतु अन्य जिले के अनुपात के आधार पर डिलिव्हरी आर्डर जारी करेगा । जिला विपणन अधिकारी द्वारा अंतर जिला मिलिंग हेतु निकटस्थ उपार्जन केन्द्र/संग्रहण केन्द्र से धान प्रदाय किया जावे ।

5.7. अंतर जिला परिवहन के संबंध में अन्य जिले के अनुपात के आधार पर धान का उठाव कराया जावे ।

5.8. सरना धान मात्र अरवा मिलिंग हेतु प्रदाय किया जावे एवं सरना

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

धान उसना मिलिंग हेतु प्रदाय नहीं किया जावे ।

5.9. राईस मिलर द्वारा कॉमन अथवा ग्रेड–ए जिस किस्म का धान का उठाव किया जाएगा उसी किस्म का चावल जमा कराया जावे ताकि मार्कफेड को किसी भी प्रकार की आर्थिक हानि न हो । इसका कड़ाई से पालन कराया जाए ।

5.10. धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण किए जाने के उपरांत से मिलर को धान के प्रदाय हेतु डिलेवरी आर्डर एवं अन्य आवश्यक एकरूप अभिलेख कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं । मार्कफेड द्वारा ऐसे आवश्यक अभिलेखों को एकरूप प्रारूप में आवश्यक संख्या में मुद्रित कराकर जिलों को उपलब्ध कराया जाए ताकि यदि किसी अपरिहार्य कारण से किसी अभिलेख को मेनुअल रूप में जारी किया जाना हो तो पूरे राज्य में इसकी एकरूपता बनी रहे ।

5.11. कस्टम मिलिंग पश्चात मिलर चावल की डिलेवरी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन या भारतीय खाद्य निगम को निकटतम चावल उपार्जन केन्द्र पर देंगे । छत्तीसगढ़ स्टेट सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा जिस जिले का मिलर है उसी जिले के निकटतम चावल उपार्जन केन्द्र में चावल प्राप्त किया जावे । **जिले में गोदाम में स्थान का अभाव होने की स्थिति में संलग्न परिशिष्ट– 3 अनुसार अन्य जिले के निकटतम गोदाम में चावल जमा कराया जावे ।** परिशिष्ट में उल्लेखित जिले के अतिरिक्त यदि किसी जिले में उपरोक्तानुसार अन्य जिले के निकटतम गोदाम में चावल जमा कराये जाने की आवश्यकता यदि है, तो संबंधित जिले के कलेक्टर, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को प्रस्ताव भेजेगा । प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन उक्त प्रस्ताव पर आयुक्त से अनुमोदन कराकर आदेश जारी कर सकेगें ।

5.12. चावल की कमी वाले जिलों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति
(एस.डी. देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू. / ए.सी.बी.
(छ.ग.)

23 अक्टूबर, 2012 की कंडिका 6.10 एवं 6.11 अनुसार कार्यवाही की जावे ।

7. परिवहन व्यवस्था –

7.1. समिति, संग्रहण केन्द्र से धान उठाव करने पर एवं नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने पर वास्तविक दूरी के आधार पर धान के परिवहन व्यय का भुगतान किया जावे । परिवहन व्यय का भुगतान जिले में निविदा के माध्यम से धान के परिवहन हेतु निर्धारित दर के आधार पर किया जावे । चावल परिवहन व्यय शासन निर्देश क्रमांक एफ 4–21/खाद्य/2012/29/4776 दिनांक 23 अक्टूबर, 2012 की कंडिका 15.2 में उल्लेखित अनुसार दी जावे । भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा करने पर परिवहन व्यय के भुगतान के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे ।

7.2. समिति स्तर से मिलर्स द्वारा धान उठाव पर लोडिंग–अनलोडिंग का 4 रूपये प्रति क्विंटल की कटौती नहीं की जायेगी । संग्रहण केन्द्र से धान उठाव करने पर लोडिंग–अनलोडिंग हेतु 4 रूपये प्रति क्विंटल की राशि परिवहन व्यय में से कटौती की जावे । कस्टम मिलिंग चावल के परिवहन देयकों में 4 रूपये प्रति क्विंटल की कटौती लोडिंग–अनलोडिंग व्यय के रूप में किया जावे ।

7.3. समितियों से सीधे मिलर्स को कस्टम मिलिंग के लिए धान प्रदाय हेतु प्रत्येक समिति से मिल की दूरी के मान से एक नक्शा इस प्रकार तैयार करें कि न्यूनतम परिवहन व्यय के साथ ही परिवहन करने में कम समय लगे । जिले की सीमावर्ती समितियों से यदि जिले के भीतर की मिलों की दूरी अधिक हो और सीमावर्ती जिले में कम दूरी पर मिलें उपलब्ध हों तो, न्यूनतम व्यय अनुसार अनुबंध किया जाए । जिले में उपलब्ध राईस मिलों की क्षमता के आधार पर वहां भण्डारित धान की कस्टम मिलिंग का कार्य कराया जाए । जिले के धान का निराकरण होने पर विगत वर्ष की भांति समीपवर्ती जिलों के कलेक्टर एवं प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ से चर्चा कर वहां उपलब्ध धान की कस्टम मिलिंग कराई जाए ।

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक ... / ए.सी. ...

23 अक्टूबर, 2012 की कंडिका 6.10 एवं 6.11 अनुसार कार्यवाही की जावे ।

7. परिवहन व्यवस्था –

7.1. समिति, संग्रहण केन्द्र से धान उठाव करने पर एवं नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने पर वास्तविक दूरी के आधार पर धान के परिवहन व्यय का भुगतान किया जावे । परिवहन व्यय का भुगतान जिले में निविदा के माध्यम से धान के परिवहन हेतु निर्धारित दर के आधार पर किया जावे । चावल परिवहन व्यय शासन निर्देश क्रमांक एफ 4–21/खाद्य /2012/29/4776 दिनांक 23 अक्टूबर, 2012 की कंडिका 15.2 में उल्लेखित अनुसार दी जावे । भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा करने पर परिवहन व्यय के भुगतान के संबंध में पृथक से निर्देश जारी किये जायेगे ।

7.2. समिति स्तर से मिलर्स द्वारा धान उठाव पर लोडिंग–अनलोडिंग का 4 रूपये प्रति क्विंटल की कटौती नहीं की जायेगी । संग्रहण केन्द्र से धान उठाव करने पर लोडिंग–अनलोडिंग हेतु 4 रूपये प्रति क्विंटल की राशि परिवहन व्यय में से कटौती की जावे । कस्टम मिलिंग चावल के परिवहन देयकों में 4 रूपये प्रति क्विंटल की कटौती लोडिंग–अनलोडिंग व्यय के रूप में किया जावे ।

7.3. समितियों से सीधे मिलर्स को कस्टम मिलिंग के लिए धान प्रदाय हेतु प्रत्येक समिति से मिल की दूरी के मान से एक नक्शा इस प्रकार तैयार करें कि न्यूनतम परिवहन व्यय के साथ ही परिवहन करने में कम समय लगे । जिले की सीमावर्ती समितियों से यदि जिले के भीतर की मिलों की दूरी अधिक हो और सीमावर्ती जिले में कम दूरी पर मिलें उपलब्ध हों तो, न्यूनतम व्यय अनुसार अनुबंध किया जाए । जिले में उपलब्ध राईस मिलों की क्षमता के आधार पर वहां भण्डारित धान की कस्टम मिलिंग का कार्य कराया जाए । जिले के धान का निराकरण होने पर विगत वर्ष की भांति समीपवर्ती जिलों के कलेक्टर एवं प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ से चर्चा कर वहां उपलब्ध धान की कस्टम मिलिंग कराई जाए ।

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION R.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक [illegible] ओ.डब्ल्यू. / ए.सी.[illegible]
[illegible]पुर (छ.ग.)

7.4. संग्रहण केन्द्र से कस्टम मिलर्स को धान इस प्रकार दी जावे कि परिवहन व्यय न्यूनतम हो । मिलर्स के नजदीक जो संग्रहण केन्द्र है प्रथमतः उन केन्द्रों से कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति दी जावे । नजदीक के संग्रहण केन्द्रों का धान समाप्त होने पर अगले नजदीक के संग्रहण केन्द्रों से कस्टम मिलिंग हेतु धान दी जावे ।

7.5. मिलर द्वारा संग्रहण केन्द्रों से धान उठाव करने पर धरमकांटा में तौल का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किया जावेगा ।

8. समितियों से धान का सीधे उठाव –

8.1. विगत वर्ष की भांति उपार्जन केन्द्रों से सीधे मिलर्स को अधिक से अधिक धान मिलिंग हेतु प्रदाय किया जावे जिससे भण्डारण, परिवहन एवं सूखत आदि मदों में मितव्ययता सुनिश्चित हो सके । समितियों में उपार्जित धान को सीधे कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स को देने की निम्नानुसार व्यवस्था की जावे –

8.1.1. पंजीकृत चावल मिलों को सबसे नजदीक की सहकारी समितियों से संबद्ध किया जावे और उन समितियों में उपार्जित धान का पूरा निराकरण होने तक उन मिलर्स को अन्य स्थान से धान न दिया जाए ।

8.1.2. मिलों का समितियों से संबद्धीकरण, समितियों की मिलों से दूरी, समितियों में उपार्जित धान की मात्रा एवं मिल की मिलिंग क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर्स द्वारा किया जाए । किसी समिति को एक या अधिक मिल से तथा किसी मिल को एक या अधिक समिति से संबद्ध किया जा सकेगा । इस हेतु मिल की मिलिंग क्षमता तथा परिवहन पर होने वाले व्यय इत्यादि को ध्यान में रखा जाए ।

8.2. अनुबंध अनुसार धान की मात्रा संबद्ध समितियों में उपार्जित धान में से मिल को दी जावे । मिलर जिला विपणन अधिकारी से प्रथमतः डिलेवरी आर्डर

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति
(एस.डी. देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू. / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

प्राप्त करें उसके बाद सहकारी समिति स्तर पर स्कंध प्राप्त करेंगे । समितियां किसी भी स्थिति में बिना डिलेवरी आर्डर के और डिलेवरी आर्डर में उल्लेखित मात्रा से अधिक धान मिलर को प्रदाय नहीं करेंगी । बिना डिलेवरी आर्डर के अथवा डिलेवरी आर्डर में उल्लेखित मात्रा से अधिक धान समितियों से उठाने वाले मिलर्स को तत्काल काली सूची में डालते हुए उनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जावे । इसके अतिरिक्त बिना डिलेवरी आर्डर के अथवा डिलेवरी आर्डर में उल्लेखित मात्रा से अधिक धान मिलरों को देने वाली समितियों के कर्मचारियों के विरूद्ध भी विभागीय कार्यवाही एवं अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्यवाही की जाए।

8.3. **कस्टम मिलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत राईस मिलर्स को भुगतान योग्य राशि के एवज (कैश गारंटी) में भी धान प्रदाय किया जावे ।**

8.4. जिला विपणन अधिकारी डिलेवरी आर्डर कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से जारी करेंगे तथा इसमें प्रदाय किए जाने वाले धान की प्रतिभूति का पूरा विवरण होगा । यदि प्रतिभूति अग्रिम चावल जमा के रूप में होगी तो जिला विपणन अधिकारी इसे तभी स्वीकार करेंगे जब वह इसकी पुष्टि इंटरनेट पर उपलब्ध छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन अथवा भारतीय खाद्य निगम के सी.एम.आर. प्राप्ति केन्द्र से जारी चावल की अभिस्वीकृति से कर लें । डिलेवरी आर्डर की एक प्रति मिलर को दी जाएगी । डिलेवरी आर्डर की इलेक्ट्रानिक प्रति सर्व संबंधितों को तत्काल इंटरनेट पर भी उपलब्ध हो जाएगी । खरीफ वर्ष 2012–12 की भांति डिलेवरी आर्डर की इलेक्ट्रानिक प्रति ऑफ लाईन खरीदी वाले खरीदी केन्द्रों हेतु खरीदी केन्द्र तक पहुंचाने का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा नियुक्त मोटर साईकिल रनर्स द्वारा किया जाएगा ।

8.5. मिलर का प्रतिनिधि जब समिति अथवा संग्रहण केन्द्र पर धान उठाने के लिए पहुंचेगा, तब समिति/संग्रहण केन्द्र के कम्प्यूटर में मिलर द्वारा लाए

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक ...ओ.डब्ल्यू / ए.सी...
...र (छ.ग.)

गए डिलेवरी आर्डर का कमांक भर कर उसकी इलेक्ट्रानिक प्रति से मिलान किया जाएगा । यह मिलान हो जाने पर ही मिलर को धान दिया जाएगा । मिल के पंजीयन के समय मिलर के प्रतिनिधियों के फोटो एवं हस्ताक्षर भी प्राप्त किए जाएंगे जो समितियों एवं संग्रहण केन्द्रों के कम्प्यूटरों में उपलब्ध रहेंगे । समितियों एवं संग्रहण केन्द्रों में धान के उठाव के समय इनका मिलान भी किया जाएगा ।

8.6. सहकारी समिति द्वारा कस्टम मिलर को धान प्रदाय कर दिए जाने के उपरांत स्कंध में कोई कमी आने पर मिलर की जिम्मेदारी होगी । धान के उठाव के समय मिलर या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा धान की पावती समिति प्रबंधक को तत्काल दी जावेगी ।

8.7. अनुबंध की निर्धारित अवधि में मिलर धान उठाव सुनिश्चित करेंगे । विलंब की स्थिति में अनुबंध में दण्ड का प्रावधान किया जावे ।

8.8. धान उपार्जन हेतु गठित जिला स्तरीय समिति व उपार्जन केन्द्रों हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी को निर्देश जारी करें कि वे प्रत्येक समिति से कस्टम मिलर्स द्वारा उठाए गए धान की प्रतिदिन समीक्षा करें तथा उपार्जन केन्द्रों में नियमित रूप से धान का भौतिक सत्यापन करें । यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी परिस्थिति में मिलर द्वारा समिति से उठाव किए गए धान का पुनर्चक्रण (Recycling) संभव न हो ।

8.9. भारतीय खाद्य निगम को कस्टम मिल्ड चावल के बिल छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के स्थानीय कार्यालय द्वारा शीघ्र प्रस्तुत कर उसका भुगतान 15 दिन के अंदर करा लिया जाए ताकि राज्य शासन पर अनावश्यक ब्याज व्यय भार न आये ।

8.10. किसी भी स्थिति में समिति स्तर से अथवा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के संग्रहण केन्द्र से मिलर्स को धान छटनी कर प्रदाय नहीं किया जावे। मिलर्स को कस्टम मिलिंग हेतु स्टेक का हस्तांतरण किया जावे, जिसमें 120 मेट्रिक टन अर्थात 3000 बोरे के धान का हस्तांतरण होता है ।

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION RAIPUR

सत्यापित प्रति
(एस.डी. देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

8.11. संग्रहण केन्द्रों से धान "प्रथम आवक प्रथम जावक" (FIFO) के आधार पर प्रदान किया जावे । उपार्जन केन्द्रों में भी धान प्रदाय करते समय यथासंभव "प्रथम आवक प्रथम जावक" (FIFO) के सिद्धांत का पालन किया जावे ।

8.12. मार्कफेड द्वारा मिलर्स से किए जाने वाले अनुबंध में यह प्रावधान किया जावे कि मिलर्स द्वारा अग्रिम में जमा कराये गये ऐसे चावल पर जिसके ऐवज में मार्कफेड द्वारा प्रदेश में धान उपलब्ध नहीं होने पर धान प्रदाय नहीं किया जा पाता है, उस चावल का भुगतान मार्कफेड द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित लेव्ही दर पर किया जावे ।

9. कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति –

9.1. कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं भारतीय खाद्य निगम के कस्टम मिल्ड चावल उपार्जन केन्द्रों पर की जाएगी । कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति किस चावल उपार्जन केन्द्र पर की जाना है, इसका स्पष्ट उल्लेख अनुबंध में होगा । कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति उसी जिले के चावल उपार्जन केन्द्र में की जाएगी जिस जिले में मिल स्थित है ।

9.2. कस्टम मिल्ड चावल मिलर द्वारा लाए जाने पर चावल उपार्जन केन्द्र में इंटरनेट पर उपलब्ध अनुबंध की इलेक्ट्रानिक प्रति से मिलान किया जाएगा, और उसी स्थिति में चावल स्वीकार किया जाएगा जब अनुबंध में चावल उस उपार्जन केन्द्र में जमा कराना दर्शाया गया हो ।

9.3. मिलर द्वारा चावल लाये जाने पर सेम्पल लेने, सेम्पल पर्ची बनाने, सेम्पल का विश्लेषण करने तथा चावल प्राप्त करने का पूरा कार्य कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा तथा इसी साफ्टवेयर से चावल की अभिस्वीकृति जारी की जाएगी । अभिस्वीकृति की एक प्रति प्रिंट करके मिलर को दी जाएगी । छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज के

सत्यापित प्रति
(एस.डी. देवरथले)
निरीक्षक ... / ए.सी. ...

द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित चावल की विनिर्दिष्टियों के अनुसार चावल उपार्जन किया जावे ।

10. अन्य –

10.1. खरीफ वर्ष 2012–13 के लिए धान उपार्जन की प्रकिया के साथ–साथ समस्त संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कस्टम मिलिंग प्रकिया के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्धारित नीति की पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण दिया जाए ताकि जानकारी के अभाव में धान की कस्टम मिलिंग में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो ।

10.2. उपार्जित धान की त्वरित मिलिंग हेतु राईस मिल संचालकों से चर्चा कर मिल पंजीयन के साथ–साथ मिलिंग हेतु आवेदन प्राप्त कर धान खरीदी प्रारंभ होने से पूर्व ही अग्रिम अनुमति जारी कर मिलिंग हेतु अनुबंध कर लिया जावे । मिलिंग हेतु अग्रिम अनुबंध किए जाने के साथ–साथ मिलर्स से चर्चा कर उन्हें अधिकाधिक मात्रा में समितियों से सीधे धान उठाव हेतु प्रोत्साहित किया जावे ।

10.3. जिले में संचालित राईस मिलों की मिलिंग क्षमता के आधार पर प्रतिमाह मिलिंग हेतु धान के उठाव की मात्रा का लक्ष्य निर्धारित कर तदनुसार तत्काल अनुमति, अनुबंध एवं धान के निराकरण की कार्ययोजना तैयार कर ली जावे, जिससे धान की अधिक आवक होने के दौरान व्यवस्थित एवं सुगम रूप से प्रत्येक माह लक्ष्य अनुसार धान की कस्टम मिलिंग सुनिश्चित हो सके ।

10.4. कस्टम मिलिंग से संबंधित साफ्टवेयर में खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, जिला विपणन अधिकारी, जिला प्रबंधक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, कलेक्टर, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ तथा राज्य शासन, सभी के लिए मानिटरिंग माड्यूल है । सभी स्तरों पर इसका उपयोग करके प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए एवं साथ ही सभी आवश्यक

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

रिपोर्ट भी प्रतिदिन तैयार की जाए ।

कृपया कस्टम मिलिंग से संबंधित उपरोक्त निर्देशों के प्रभावी कियान्वयन हेतु सर्व संबंधितों को अविलंब निर्देशित करें तथा विभाग के सभी निर्देशों का पूर्ण कियान्वयन सुनिश्चित करें । इन निर्देशों से अपने जिले के राईस मिल एसोसियेशन के पदाधिकारियों को भी अवगत करायें ।

(विकास शील)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

कमांक एफ 4–18 / खाद्य / 2011 / 29/4785 रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर, 2012

प्रतिलिपि –

01. सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
02. प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम 16–20 बारह खंम्बा लेन, नई दिल्ली ।
03. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
04. निज सहायक, माननीय मंत्री, समस्त छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
05. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
06. समस्त प्रभारी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
07. आयुक्त, जनसंपर्क, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर प्रकाशनार्थ ।
08. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ ।
09. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, रायपुर ।
10. आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, रायपुर ।
11. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, रायपुर ।
12. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, रायपुर ।
13. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्या., रायपुर ।
14. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, छत्तीसगढ़ रायपुर ।

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)

15. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मंत्रालय, रायपुर ।

16. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राईस मिल एसोसिएशन, रायपुर ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

C.G. STATE CIVIL CORPORATION RAIPUR

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

45

परिशिष्ट-1

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन में खरीफ विपणन वर्ष 2012—13 में विकेन्द्रीकृत चावल उपार्जन योजनांतर्गत जिलेवार कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन का प्लान

क्रं.	जिले का नाम	स्वयं के जिले के लिये	अन्य जिले के लिये	कुल लक्ष्य
1.	रायपुर	74602	35000	109602
2.	बलौदा बाजार	64823	0	64823
3.	गरियाबंद	35310	0	35310
4.	धमतरी	37994	25684	63678
5.	महासमुंद	62150	0	62150
6.	दुर्ग	69685	0	69685
7.	बालोद	37609	0	37609
8.	बेमेतरा	38643	0	38643
9.	राजनांदगांव	72732	0	72732
10.	कवर्धा	48378	0	48378
11.	बिलासपुर	110495	0	110495
12.	मुंगेली	40700	0	40700
13.	जांजगीर–चांपा	90673	0	90673
14.	कोरबा	61732	0	61732
15.	रायगढ़	88231	0	88231
16.	सरगुजा	58674	19011	77685
17.	सूरजपुर	49016	15692	64708
18.	बलरामपुर	6000	0	6000
19.	कोरिया	36000	0	36000
20.	जशपुर	49192	0	49192
21.	बस्तर	61688	0	61688
22.	कोंडागांव	37950	0	37950
23.	नारायणपुर	2000	0	2000
24.	कांकेर	46300	48200	94500
25.	दंतेवाड़ा	1500	0	1500
26.	सुकमा	6700	0	6700
27.	बीजापुर	0	0	0
	योग	1288777	143587	1432364

(16)

सत्यापित प्रति

(एस.डी. देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
"हितवाद परिसर" अवंति विहार तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

क्रमांक / मक्का / 2012–13 / 155 रायपुर, दिनाँक 31 / 10 / 2012

प्रति,

जिला प्रबंधक
छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो.
जिला -- समस्त

विषय :– खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 में मक्का उपार्जन के संबंध में निर्देश।
संदर्भ :– छ.ग. शासन का पत्र क्र. एफ 4–21 / खाद्य / 2012 / 29 / 4776, रायपुर दि. 23.10.12

खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 में मक्का उपार्जन समर्थन मूल्य के अंतर्गत करने बाबत् शासन से संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ है। जिसकी प्रतिलिपि आपको भी पृष्ठांकित की गई है, तदानुसार विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी औसत अच्छे किस्म का मक्का समर्थन मूल्य के अंतर्गत उपार्जन हेतु निम्नलिखित निर्देशों का पालन करते हुए व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे :–

1. भारत सरकार द्वारा औषत अच्छे किस्त का मक्का हेतु समर्थन मूल्य में रू. 1175.00 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

2. भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य अंतर्गत मक्का उपार्जन के मापदण्ड निर्धारित किया गया है जो कि निर्धारित मापदण्ड की छायाप्रति संलग्न है।

   अतः निर्धारित मापदण्ड अंतर्गत समर्थन मूल्य पर मक्का उपार्जन सुनिश्चित किया जावें। विशेष कर नमी में विशेष ध्यान दिया जावे। अमानक स्तर अथवा नमीयुक्त का मक्का उपार्जन कदापि नहीं किया जावें।

3. राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर कृषकों से मक्का उपार्जन हेतु समयावधि दिनांक **01 नवम्बर 2012 से 30 मई 2013 तक निर्धारित की गई है।** अतः निर्धारित समयावधि अंतर्गत समर्थन मूल्य पर जिले में उपार्जन किया जावें।

4. मक्का की खरीदी प्रारंभ होने से पूर्व प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में मक्का की भर्ती तथा **तुलाई एवं गुणवत्ता** सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक बारदाना, कांटाबाट इत्यादि की व्यवस्था की जावे। मक्का उपार्जन हेतु स्थान का चिन्हाकन करते समय विशेष रूप से यह ध्यान रखा जावे कि ऐसे स्थानों की भूमि **नीची अथवा गडढे** वाली न हो अपितु आस–पास के स्थान से पर्याप्त रूप से **ऊंचा स्थान** हो जिससे **आकस्मिक** वर्षा की स्थिति में संग्रहित मक्का के खराब होने की स्थिति निर्मित न हो।

5. प्रत्येक उपार्जन केन्द्र में औसत अच्छे गुणवत्ता के मक्का का सेम्पल कृषकों के अवलोकन हेतु अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जावे। साथ ही समर्थन मूल्य पर मक्का उपार्जन का **प्रसार हेतु कपड़े बेनर, हैण्डबिल आदि के माध्यम** से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे ताकि राज्य के किसानों को उपरोक्त के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सके।

सत्यापित प्रति
(एस.डी. देवस्थले)
निरीक्षक ... ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
... (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
नया रायपुर

क्रमांक एफ 4–18/ खाद्य/2012/29/4852 नया रायपुर, दिनांक 8 नवम्बर, 2012

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय-- खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 में कस्टम मिलिंग के संबंध में अनुमति, अनुबंध एवं डिलेव्हरी आर्डर की नवीन प्रकिया।

संदर्भ:– विभागीय निर्देश क्रमांक एफ 4–18/खाद्य/2012/29/4784 दिनांक 26.10.2012

संदर्भित विभागीय पत्र की कंडिका 5.6 में दिये गये निर्देशानुसार 01 नंवबर 2012 से 28 फरवरी 2012 की अवधि में कस्टम मिलिंग हेतु किये जाने वाले अनुबंधों में धान की मात्रा का जिलेवार उसना एवं अरवा मिलिंग हेतु अनुपात का निर्धारण प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।. कृपया निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिशिचत करें :–

1. **मिल पंजीयन** :–

1.1 जिले में स्थापित राईस मिलो का पंजीयन दिनांक 15.11.2012 तक किया जाना सुनिश्चित करें।

1.2 राईस मिलों के पंजीयन के संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4–18/खाद्य/2011/29/4501 दिनांक 26.09.2012 एवं पत्र क्रमांक एफ 4–18/खाद्य/2011/29/4830 दिनांक 03.11.2012 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ।

2. **खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 के धान का निराकरण** :–

2.1 खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 के अनुबंध की समस्त कार्यवाही 25.11.2012 तक संपन्न की जाए ।

2.2 खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 के अनुबंध के विरूद्ध जिन मिलर्स के द्वारा धान उठाव कर लिया गया है एवं चावल जमा नहीं किया गया है, ऐसे मिलर्स के

सत्यापित प्रति
(एस.डी. दिवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी
रायपुर (छ.ग.)

डिलिव्हरी आर्डर जारी करेगा ।

4.2 उपार्जित धान के शीघ्र निराकरण हेतु मूल जिले के मिलर्स से धान खरीदी के प्रारंभ से ही जिला विपणन अधिकारी द्वारा अंतर जिला मिलिंग हेतु उपार्जन केन्द्रों में धान की उपलब्धता के आधार पर मिल से अन्य जिले के निकटस्थ उपार्जन केन्द्र से धान प्रदाय किया जावे । अंतर जिला मिलिंग की स्थिति में भी मूल जिले का जिला विपणन अधिकारी ही अन्य जिले के लिये डिलिव्हरी आर्डर अन्य जिले के अनुपात के आधार पर जारी कर सकेगा । इस हेतु पृथक से शासन या मार्कफेड से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी ।

5. <u>संग्रहण केन्द्र से मिल को धान प्रदाय</u> :–

मिल जिस संग्रहण केन्द्र से संबंद्ध है, उस संग्रहण केन्द्र से संबद्ध उपार्जन केन्द्रों में किस्मवार धान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संबंधित संग्रहण केन्द्र से मिल को धान प्रदाय किया जा सकता है । इस हेतु भी पृथक से शासन या मार्कफेड मुख्यालय से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी ।

6. <u>पतला के स्थान पर मोटा धान का उठाव</u> :–

मिलर्स के द्वारा यदि अनुमति में उल्लेखित पतला धान की मात्रा के विरूद्ध यदि मोटा धान का उठाव करना चाहता है, तो मिलर के द्वारा मोटा चावल जमा कराकर मोटा धान का उठाव किया जा सकता है ।

7. <u>नागरिक आपूर्ति निगम में चावल उपार्जन</u> :–

विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजनांतर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 हेतु निर्धारित लक्ष्य अनुसार नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा कराया जावे । खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 के धान का चावल खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 के लक्ष्य के विरूद्ध जमा कराया जा सकता है । नागरिक आपूर्ति निगम में चावल का उपार्जन इस प्रकार किया जावे कि जिले में मासिक आवश्यकता का न्यूनतम 4 माह एवं अधिकतम 6 माह का स्टॉक उपलब्ध रहे ।

(विकास शील)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु जिलेवार निर्धारित अनुपात की जानकारी

क्रं.	जिला का नाम	उसना मिलिंग अनुपात		अरवा मिलिंग अनुपात		
		मोटा	पतला	मोटा	पतला	सरना
1.	रायपुर	60	40	0	55	45
2.	बलौदाबाजार	60	40	0	55	45
3.	गरियाबंद	60	40	0	55	45
4.	दुर्ग	60	40	20	0	80
5.	बेमेतरा	60	40	20	0	80

सत्यापित प्रति

(एस.डी. देवस्थले)
निरीक्षक ई.ओ.डब्ल्यू. / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

विकल्प जिलों की सूची

क्रं.	मूल जिले का नाम	विकल्प जिलों की सूची
1.	रायपुर	बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, कबीरधाम
2.	धमतरी	राजनांदगांव, बालोद
3.	महासमुंद	जांजगीर–चांपा
4.	दुर्ग	राजनांदगांव, बेमेतरा
6.	बिलासपुर	मुंगेली, जांजगीर–चांपा
7.	कोरबा	जांजगीर–चांपा
8.	रायगढ़	जांजगीर–चांपा, बलरामपुर
9.	सरगुजा	बलरामपुर
10.	जशपुर	बलरामपुर
11.	सूरजपुर	बलरामपुर
12.	बस्तर	दंतेवाड़ा, बालोद, बीजापुर, नारायणपुर
13.	कोण्डागांव	बालोद

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति
(एस.डी. देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

53

छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

"हितवाद परिसर" अवंति विहार तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

क्रमांक/उपार्जन/2012–13/171 रायपुर, दिनॉक 16/11/2012

प्रति,

जिला प्रबंधक
छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो.लि.
समस्त .... (छ.ग.)

विषय :-- खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 के लिए केन्द्रवार चावल उपार्जन का लक्ष्य, गुणवत्ता एवं फीफो का पालन संबंधी निर्देश।

सचिव, छ.ग.शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग के द्वारा जारी कस्टम मिलिंग निर्देश खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 अनुसार राज्य के लिए 1432364 मे.टन चावल उपार्जन का जिलेवार लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें गोदाम की उपलब्धता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए तीन--तीन माह का लक्ष्य तैयार कर संलग्न किया गया है।

उपरोक्त लक्ष्य के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है :--

1. चावल का उपार्जन भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार निर्धारित गुणवत्ता का चावल उपार्जन करना सुनिश्चित करें।
2. गुणक्त्ता परिक्षण पश्चात लाट रिजेक्ट होने से मिलर के असहमत होने पर तत्काल मिलर के समक्ष संबंधित तकनीकि कर्मी द्वारा खाद्य अधिकारी के प्रतिनिधि एवं मिलर के समक्ष **04 सेम्पल** निकाला जावेगा, जिसमें 01 सेम्पल गोदाम में, एक सेम्पल मिलर को, 01 सेम्पल संबंधित जिला कार्यालय को एवं 01 सेम्पल मुख्यालय भेजा ज़ावेगा।
3. उक्त सेम्पल में मिलर के नाम, स्टेक नम्बर एवं जिले के स्थान पर एक गुप्त कोड दिया जावेगा।
4. लॉट का परिक्षण जिला प्रबंधक द्वारा किसी भी प्रयोग शाला से करायेगा, यदि लॉट मानक है, तो संबंधित तकनीकि कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी, यदि लॉट अमानक स्तर का पाया जाता है तो संबंधित मिलर्स के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।
5. खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 में उपार्जित चावल को प्रथम प्राथमिकता से वितरण करें, तत्पश्चात ही खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 का चावल वितरण करना प्रारंभ करेंगे।
6. खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 में उपार्जित चावल का वितरण भी इसी तरह फीफो के आधार पर करेंगे। **उदाहरणार्थ** – दुर्ग, प्रदाय केन्द्र में तीन उपार्जन केन्द्र है, दुर्ग, हथखोज एवं बोरई। उक्त सभी उपार्जन केन्द्र दुर्ग प्रदाय केन्द्र के अंतर्गत आता है, अतएव जिला प्रबंधक, दुर्ग का दायित्व है कि सभी गोदामों को मिलाकर फीफो का पालन करेंगे। यह कदापि नहीं कि उपार्जन केन्द्र, दुर्ग में माह मार्च में उपार्जित चावल वितरण हो जाये, जबकि बोरई एवं हथखोज़ उपार्जन केन्द्र में माह दिसम्बर, जनवरी में उपार्जित चावल भण्डारित रह जाये। उक्त प्रक्रिया पूर्णतः अनुचित है। तथा भण्डारित चावल में कीड़े लगने की संभावना हमेशा बनी रहेगी है।

D:\Shukla 2012\L - F.doc 135

General Manager
C.G. State Civil Supplies Corporation
H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक ... ओ.डब्ल्यू / ए.सी ...
...पुर (छ.ग.)

(54)

7. जिला प्रबंधकों को पुनः निर्देश दिये जाते हैं कि वे तकनीकी कर्मियों का उपयोग केवल चावल उपार्जन में ही न किया जावे, अपितु समस्त खाद्यान्नो के भण्डारण एवं वितरण की जवाबदारी के साथ--साथ पाला साफ--सफाई कर वितरण योग्य बनाने की जवाबदारी भी सौंपी जारी है।

अतएव उपरोक्तानुसार उपार्जित चावल के गुणवत्ता व रख--रखाव तथा फीफो का पालन न करने से भण्डारित चावल में कीड़े लगने पर संबंधित तकनीकी कर्मी, गोदाम प्रभारी एवं जिला प्रबंधक के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(कौशलेन्द्र सिंह)
प्रबंध संचालक

क्रमांक/उपार्जन/2012–13/ 171 A   रायपुर, दिनॉक 16 / 11 / 2012

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ.ग.शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, छ.ग.शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग, संचालनालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, समस्त को सूचनार्थ।
4. खाद्य अधिकारी, समस्त को सूचनार्थ।
5. महाप्रबंधक (परिवहन), छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो.लिमि., मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. प्रबंधक (साविप्र), छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो.लिमि., मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
7. गुणवत्ता कक्ष, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो.लिमि., मुख्यालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

sd
प्रबंध संचालक

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

D:\Shukla 2012\L - F.doc 136

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

55

CG State Civil Supply Corp Ltd Head Office - Raipur(CG)

DISTRICT	Procurement Center	Capacity	DCP Target for KMS 2012-13(tons)					DCP TARGET
			NOV12 to DEC12	JAN13 To MAR13	APR13 To JUN13	JUL13 To SEP13	TOTAL	
यपुर	Abhanpur	7000	1500	5600	3900	0	11000	
	Arang(Raipur)	3600	400	3500	1900	0	5800	
	Ama Seoni	3000	0	500	100	0	600	
	CWC Kharora	4000	600	3000	1600	0	5200	
	Dharseevan	2800	1200	2800	2400	0	6400	
	Gudhiyari	12400	5200	11700	6000	0	22900	
	Mandir Hasoud	23400	3500	9500	8700	0	21700	
	Neora	21000	1800	7800	1600	0	11200	
	Raipur CWC-1	13000	600	10300	4300	0	15200	
	Raipur CWC-2	8800	700	3700	2500	0	6900	
	Raipur CWC-3	22000	0	0	0	0	0	
	Raipur CWC-4	10000	0	0	0	0	0	
	SWC Kharora	1000	600	1100	1000	0	2700	
	Total	132000	16100	59500	34000	0	109600	109602
बलौदा बाजार	Balodabazar	6300	4000	5700	4500	0	14200	
	CWC-1	15000	5000	10000	4900	0	19900	
	CWC-2	10000	2000	6000	2600	0	10600	
	Bhinoudi	1700	0	2400	1200	0	3600	
	Bilaigarh	2800	2300	3100	2900	0	8300	
	Kasdol	2800	1500	3800	2900	0	8200	
	Total	38600	14800	31000	19000	0	64800	64823
गरियाबंद	Devbhog	2800	1400	1500	2100	0	5000	
	Gariyaband	6400	3200	5400	4900	0	13500	
	Mainpur	3600	1200	1700	1500	0	4400	
	Rajim	25000	3600	5700	2800	0	12100	
	Fhingeswar	1000	0	300	0	0	300	
	Total	38800	9400	14600	11300	0	35300	35310
धमतरी	Chitod	29000	1900	5300	1200	0	8400	
	Kurud	19100	3100	5400	1200	0	9700	
	Sihawa	5639	1300	4500	1500	0	7300	
	SWC Dhamtari	47500	9500	24200	4600	0	38300	
	Total	101239	15800	39400	8500	0	63700	63678
महासमुंद	Bagbahra	12506	1300	8500	2800	0	12600	
	Basna	9600	3000	9600	3200	0	15800	
	DB-Mahasamund	6050	0	0	0	0	0	
	Fhingeswar		0	0	0	0	0	
	Mahasamund	8760	3000	8800	4850	0	16650	
	Mandirhasoud		0	0	0	0	0	
	Pithora	6000	1500	5700	1500	0	8700	
	Saraypali	13000	2400	5000	1000	0	8400	
	Total	55916	11200	37600	13350	0	62150	62150
दुर्ग	Borai	16000	200	15100	2700	0	18000	
	Hathkhoj	48000	6900	14100	4000	0	25000	

(एस.डी.देवरथले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

General Manager
C.G. State Civil Supplies Corporatio
H.O. RAI

	SWC-Durg	37000	3000	19700	4000	0	26700	
	Total	101000	10100	48900	10700	0	69700	69685
लोद	Balod	7500	3500	5600	2100	0	11200	
	Balod(Jagatara)	10800	300	6000	2900	0	9200	
	Chitoud	3000	600	1500	1500	0	3600	
	Doundi	2800	600	1500	1400	0	3500	
	Doundilohara	1800	600	1500	1300	0	3400	
	Gunderdehi	3600	700	3000	3000	0	6700	
	Total	29500	6300	19100	12200	0	37600	37609
तेरा	Bemetara	6000	2100	6500	6000	0	14600	
	Saja(Durg)	1000	1100	3000	3000	0	7100	
	Borai	12000	1500	11500	4000	0	17000	
	Total	19000	4700	21000	13000	0	38700	38643
राजनांदगांव	Basantpur	35942	7400	15500	8300	0	31200	
	Chhuriya	3600	1500	3000	2500	0	7000	
	Chouki	3600	1500	3000	2500	0	7000	
	Dongargarh	7522	4000	5400	3000	0	12400	
	Khairagarh	2000	1400	3600	2700	0	7700	
	Maanpur	1000	100	300	300	0	700	
	Mohala	2800	1600	2700	2400	0	6700	
	Total	56464	17500	33500	21700	0	72700	72732
वर्धा	Bodla	4308	1100	3000	3000	0	7100	
	Pandariya	3847	1100	3000	3000	0	7100	
	SWC Kawardha	16800	5900	15700	12600	0	34200	
	Total	24955	8100	21700	18600	0	48400	48378
बिलासपुर	Bilha	6360	2900	6800	4700	0	14400	
	Devrikhurd	14000	1800	9500	3100	0	14400	
	Jayramnagar	7500	3100	9700	5200	0	18000	
	Kargi Road	2000	1300	5100	3000	0	9400	
	Linglyadlh	10800	1100	6700	4200	0	12000	
	Marwahi	3300	1000	1800	1200	0	4000	
	Pendra Road	10000	3700	9500	3100	0	16300	
	Takhatpur	2700	1600	4100	1800	0	7500	
	Tifra	15500	2100	8000	4400	0	14500	
	Total	72160	18600	61200	30700	0	110500	110495
मुंगेली	Lormi	5800	1600	8500	4500	0	14600	
	Mungeli	7500	4100	9500	5500	0	19100	
	Sargaon	1000	2000	3000	2000	0	7000	
	Total	14300	7700	21000	12000	0	40700	40700
जांजगीर-चाम्पा	Akaltara	31761	4800	21100	7200	0	33100	
	Baradwar	7100	1500	4000	2000	0	7500	
	Champa	10742	900	8000	3600	0	12500	
	Dabara	2300	700	3500	2600	0	6800	
	Naila	6900	2100	9000	5400	0	16500	
	Sakti	5600	1200	7500	5600	0	14200	
	Total	64403	11200	53100	26400	0	90700	90673
कोरबा	Katghora	10000	5100	15000	10000	0	30100	
	Korba(Urga)	9000	2700	14000	7500	0	24200	
	Paali	1800	1500	3000	3000	0	7500	
	Total	20800	9300	32000	20500	0	61800	61792

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

General Manager
C.G. State Civil Supplies Corporation
H.O. RAIPUR

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

रायगढ़	CWC Kharsiya	11000	1200	10000	0	0	11200	
	Raigarh CWC-1	6000	1200	4000	0	0	5200	
	Raigarh CWC-2	10000	1200	12700	500	0	14400	
	Klrodhimal Nagar	18200	1700	8200	2000	0	11900	
	SWC Baramkela	1000	1000	1500	500	0	3000	
	SWC Dharmjaigarh	800	600	3000	1000	0	4600	
	SWC Gharghora	4600	600	4200	1000	0	5800	
	SWC Kharsiya	4000	500	4300	1000	0	5800	
	SWC Lailunga	1800	400	2600	700	0	3700	
	SWC Loharsing	15000	1000	8000	1000	0	10000	
	SWC Sarangarh	3800	1600	9000	2000	0	12600	
	Total	76200	11000	67500	9700	0	88200	88231
सरगुजा	Ambikapur	20000	6000	20500	16000	12500	55000	
	Lakhanpur	3812	1500	3000	3000	3000	10500	
	Sitapur	6360	1400	4600	3200	3000	12200	
	Total	30172	8900	28100	22200	18500	77700	77685
सूरजपुर	Pratappur	3585	1200	3000	3000	0	7200	
	Surajpur(on rent)	16200	4200	12000	8000	4000	28200	
	Vishrampur	17400	4200	13100	8000	4000	29300	
	Total	37185	9600	28100	19000	8000	64700	64708
बलरामपुर	Ramanujgam	16000	1100	3000	1900	0	6000	6000
कोरिया	Baikunthpur	5483	2200	7000	5000	0	14200	
	Chirmiri-SWC	3600	1500	2600	2400	0	6500	
	Manendragarh	5799	2800	6500	6000	0	15300	
	Total	14882	6500	16100	13400	0	36000	36000
जशपुर	Bagicha	2072	600	1900	900	0	3400	
	Jashpur	2900	400	2900	900	0	4200	
	Kunkuri	3710	2600	6500	3700	0	12800	
	Pathalgaon	21400	4800	10500	10400	3100	28800	
	Total	30082	8400	21800	15900	3100	49200	49192
बस्तर	Jagdalpur	16800	7700	18000	11000	6000	42700	
	Karpanwand	5000	0	3900	2100	0	6000	
	Ghatlohnga	5480	2000	6000	4500	500	13000	
	Total	27280	9700	27900	17600	6500	61700	61688
कोंडागांव	Keshkal	4600	2800	7500	6500	0	16800	
	Kondagaon	11300	3500	10200	7450	0	21150	
	Total	15900	6300	17700	13950	0	37950	37950
नारायणपुर	Narayanpur	5400	500	1500	0	0	2000	2000
कांकेर	Bhanupratappur	9000	3200	12100	6500	6000	27800	
	Charama	7000	2700	7000	6000	6000	21700	
	Kanker	18000	5700	15400	8900	4900	34900	
	Naraharpur	2500	1100	3000	3000	3000	10100	
	Total	36500	12700	37500	24400	19900	94500	94500
दन्तेवाड़ा	Dantewada	4500	100	1100	0	0	1200	
	Gidam	4700	0	300	0	0	300	
	Total	9200	100	1400	0	0	1500	1500
सुकमा	Sukma	3800	900	5800	0	0	6700	6700
	Grand Total	1071738	236500	750000	390000	56000	1432500	1432364

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवरथले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

General Manager
C.G. State Civil Supplies Corporation
H.O. RAIPUR

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION RAIPUR

(58)

KMS Letter 2012-13

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
<u>महानदी भवन, नया रायपुर</u>

क्रमांक– एफ 4–18 / खाद्य / 2012 / 29/5297 रायपुर, दिनांक 11 दिसंबर, 2012

प्रति,

1. आयुक्त,
   खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर. संचालनालय,
   रायपुर
2. प्रबंध संचालक,
   छत्तीसगढ़ राज्य सह. विपणन संघ, रायपुर
3. प्रबंध संचालक,
   छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम
   रायपुर
4. महाप्रबंधक,
   भारतीय खाद्य निगम
   रायपुर
5. प्रबंध संचालक,
   छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम
   रायपुर

विषयः– Fixation of the Provisional rates of Custom Milled Rice (CMR) (FAQ) and cost of new 50 Kg. Gunny Bages used by the Government of Chhattisgarh and its agencies for the procuremtne of Custom Milled Rice (FAQ) for the Central Pool and for DCP scheme during the Kharif Marketing Season 2012-13.

विषयांतर्गत भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 192(17)/2012-FC.A/Cs दिनांक 6 दिसबंर, 2012 द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 के लिये सेंट्रल पूल तथा डी.सी.पी. स्कीम के लिये कस्टम मिल्ड राईस (CMR) (FAQ) के प्रोव्हिजनल दर एवं इकानामिक कास्ट की जानकारी दी गयी है, जिसकी छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्नः– उपरोक्तनुसार ।

(विकास शील)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति
(एस.डी. देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

(59)

No: 192(17)/2012-FC.A/Cs
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public distribution
Department of Food and Public Distribution

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated 6th December, 2012

To,

The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of Chhattisgarh,
Raipur.

पत्र क्रमांक..... 5720
दिनांक ... 11/12/2012

Subject: Fixation of the **Provisional** rates of **Custom Milled Rice (CMR) (FAQ)** and cost of new 50 kg. Gunny Bags used by the Government of **Chhattisgarh** and its agencies for the procurement of Custom Milled Rice (FAQ) for the Central Pool and for DCP scheme during the Kharif Marketing Season **2012-13.**

Sir,

I am directed to convey the approval of the Government of India for payment of the following **provisional** rates of Custom Milled Rice **(CMR) (FAQ)** and the economic cost for the Central Pool and DCP scheme under the price support operation to the Government of **Chhattisgarh** and its agencies during the Kharif Marketing Season **2012-13.**

For Central Pool Operations:

(i) Incidentals for the stocks of CMR, which are handed over to the Food Corporation of India for the Central Pool (item wise details of procurement incidentals are enclosed at Annexure-I):

(Rs./qtl)

Commodity	Common	Grade 'A'
Raw-rice	**2293.41**	**2343.13**
Par-boiled rice	**2257.54**	**2306.08**

(For central pool stocks for transportation of paddy from purchase centres/mandis to mills and for rice from mills to storage godowns, transportation charges from 0 kms onwards will be payable based on the rates fixed by the District Collectors of the State or FCI's rate whichever is lower.)

For DCP Operation

(ii) Economic Cost for the stocks of CMR retained by the State Government for distribution under the scheme of decentralised procurement operation (Item wise details of the economic cost are enclosed at Annexure-II):

(Rs./qtl.)

Commodity	Common	Grade 'A'
Raw-rice	**2523.10**	**2575.49**
Par-boiled Rice	**2484.52**	**2535.68**

Note:

(i) This costing is for new gunny bags only. In case procurement of paddy is done in once used gunnies, separate order will be issued for the same.

2. The payment of commission to Societies will be subject to the conditions laid vide this Deptt.'s Order no. 192(4)/2003-FC A/Cs (Vol.II) dated 16.10.2012

10121 OSD Food put up 10/12/12

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

3. In addition to the above, the following elements/items are also to be reimbursed to the State Government:

(ii) Guarantee Fee, if it is actually paid by the agencies to the State Government for obtaining credit, would be payable on actual basis, subject to a maximum of 1/8% of MSP worked out on the estimated quantity of paddy delivered to FCI procured under Price Support Scheme (PSS) for the Central Pool. *No interest on delayed payment on this account will be payable.*

4. Milling charges have been allowed @ Rs.10 per qtl. for raw and Rs.20 per qtl. for par-boiled rice, excluding Rs.5.00 per qtl. as transportation charges upto 8 kms from purchase centre to mill to FCI godowns on paddy as well rice.

5. The Custom Milled Rice would be delivered by the procuring agencies to FCI, in new 50 kg bags only, in its local godowns upto the scale point and the stacking in the FCI godown will be done by FCI.

6. The rate/cost of Custom Milled Rice (CMR) and other elements as indicated above are provisional. The State Government should send its claims for final incidentals alongwith accounts audited by the auditors appointed by the Comptroller and Auditor General and documentary proof and detailed justification for each item at the earliest after the end of the season.

7. To ensure proper utilization of funds/subsidy being released by the Government of India, the FCI may insist on requisite certificates from the State Government and its agencies before release of incidentals on account of statutory charges i.e. Market Fee, RD Cess etc. as per past practice.

8. These rates/cost sheets are only for paddy/CMR procured by the State agencies/FCI and not for any other party acting either on behalf of such State agency or the FCI. These rates would not be benchmarked to fix rate for such parties.

9. This issues with the approval of the Integrated Finance Division vide their Dy. No.2197 /FA/ dated 4.12.2012.

Yours faithfully,

Dated:

(Sanjay Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tele: (011) 23073798

Copy to:
1. The Executive Director (Procurement), FCI, 16-20, Barakhamba Lane, New Delhi-110001.
2. The Executive Director (Finance), FCI,16-20, Barakhamba Lane, New Delhi-110001.
3. The Senior Regional Manager, FCI Regional Office-Chhattisgarh, Raipur.
4. The Director of Commercial Audit & Ex-Officio Member Audit Board – IV, 10 Bahadur Shah Zaffar Marg, New Delhi – 110002.
5. The Principal Director of Commercial Audit & Ex-Officio Member Audit Board – IV, North Zone, 2nd Floor, Khadya Sadan, 16-20, Barakhamba Lane, New Delhi-110001.
6. Adviser (Cost)/DS (Py. II)/DS (Finance)/US (Finance)/US(FC.A/Cs)
7. Guard File.

(Sanjay Kumar)
Under Secretary to the Government of India

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

(61)

Annexure –I

No.192 (17)/2012-FC-A/cs
Government of India
Department of Food and Public Distribution
Provisional Economic cost of **Custom Milled Rice (FAQ) delivered to FCI** for Central Pool during the Kharif Marketing Season **2012-13** in respect of Government of **Chhatisgarh** and its agencies

******

(Rs./qtl.)

S. No.	Item of incidentals	Raw Rice		Par-boiled Rice	
		Common	Grade A	Common	Grade A
1	**Minimum Support Price (MSP)**	1250.00	1280.00	1250.00	1280.00
2	**Statutory Charges:**				
	(i) Market Fee @2% of MSP	25.00	25.60	25.00	25.60
	(ii) Nirashrit Shulk @0.20% of MSP	2.50	2.56	2.50	2.56
	(iii) Commercial Tax @ 5% of MSP	62.50	64.00	62.50	64.00
3	**Mandi Labour Charges**	10.37	10.37	10.37	10.37
4	**Driage** @1% of MSP	12.50	12.80	-	-
5	**Commission to Societies** @2.5% of MSP*	31.25	32.00	31.25	32.00
6	**Custody & Maintenance Charges @ 1.84/qtl per month for 2 months #**	3.68	3.68	3.68	3.68
7	**Interest Charges** for 2 months @12.30% p.a. on MSP, Statutory charges and Mandi labour charges.	27.68	27.03	27.68	27.03
8	**Milling Charges** excluding transportation charges within a distance of 0- 8 kms from the mill on paddy as well as rice.	10.00	10.00	20.00	20.00
9	**Administrative charges** @ 2.5% of MSP for central pool stocks only	31.25	32.00	31.25	32.00
10	**Cost of 1 qtl. of milled paddy**	**1466.73**	**1500.04**	**1464.23**	**1497.24**
11	Out turn ratio	67%	67%	68%	68%
12	**Sub-Total**	**2189.15**	**2238.87**	**2153.28**	**2201.82**
13	**Cost of new gunny bags including 5% entry** tax ^^	73.40	73.40	73.40	73.40
14	**Gunny Depreciation for new gunnies$**	29.36	29.36	29.36	29.36
15	**Internal transportation of gunnies**	1.50	1.50	1.50	1.50
16	**Cost of 1 qtl. of rice**	2293.41	2343.13	2257.54	2306.08

\# Custody and maintenance charges would be released on production of a certificate by the State Government that these charges have been incurred by it. Restricted to State Govt. claim.

^^ Includes branding charges, safety stitch, cess, education cess, CST, inspection charges, development charges, terminal charges and railway freight.

*Subject to condition laid down vide letter No. 192(4)/2003-FC A/Cs (Vol.II) dated 16.10.2012.

$Gunny depreciation is for procurement of paddy in new gunny bags.

Dated: 6.12.2012.

(Sanjay Kumar)
Under Secretary to the Government of India

सत्यापित प्रति
(एस.ई. देवरथले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

(62)

(60)

Annexure –II

No.192 (17)/2012-FC-A/cs
Government of India
Department of Food and Public Distribution

Provisional Economic cost of **Custom Milled Rice(FAQ)** retained for distribution under the **decentralised procurement** operations during the Kharif Marketing Season 2012-13 in respect of Government of **Chhatisgarh** and its agencies

******

(Rs./qtl.)

S. No.	Item of incidentals	Raw Rice		Par-boiled Rice	
		Common	Grade A	Common	Grade A
1	**Minimum Support Price (MSP)**	1250.00	1280.00	1250.00	1280.00
2	**Statutory Charges:**				
	(i) Market Fee @2% of MSP	25.00	25.60	25.00	25.60
	(ii) Nirashrit Shulk @ 0.20% of MSP	2.50	2.56	2.50	2.56
	(iii) Commercial Tax @5% of MSP	62.50	64.00	62.50	64.00
3	**Mandi Labour Charges** (Handling Charges)	10.37	10.37	10.37	10.37
4	**Transportation Charges** for transportation of paddy as well as rice from purchase centres to mills and from mills to storage points from 0 km onwards.	38.80	38.80	38.80	38.80
5	**Driage** @1% of MSP	12.50	12.80	-	-
6	**Commission to Societies** @2.5% of MSP^	31.25	32.00	31.25	32.00
7	Custody & Maintenance Charges @ 1.84/qtl per month for 2 months (CAP) #	3.68	3.68	3.68	3.68
8	**Interest Charges** for 2 months @12.30% p.a. on MSP, Statutory charges and Mandi labour charges	27.68	27.03	27.68	27.03
9	**Milling Charges** excluding transportation charges within a distance of 0-8 kms on each side on paddy as well as rice.	10.00	10.00	20.00	20.00
10	**Administrative charges** @1% of MSP	12.50	12.80	12.50	12.80
11	**Cost of 1 qtl. of milled paddy**	1486.78	**1519.64**	**1484.28**	**1516.84**
12	Out turn ratio	67%	67%	68%	68%
13	**Sub-Total**	**2219.07**	**2268.12**	**2182.76**	**2230.65**
14	**Cost of new gunny bags** including 5% entry tax ^^	73.4	73.4	73.4	73.4
15	**Internal transportation of gunnies**	29.36	29.36	29.36	29.36
16	**Gunny Depreciation for new gunnies$**	1.50	1.50	1.50	1.50
17	**Acquisition Cost of 1 qtl. of packed rice**	**2323.33**	**2372.38**	**2287.02**	**2334.91**

\# Custody and maintenance charges would be released on production of a certificate by the State Government that these charges have been incurred by it. Restricted to State Govt. claim

^^ Includes branding charges, safety stitch, cess, education cess, CST, inspection charges, development charges, terminal charges and railway freight.

^ Subject to condition laid down vide letter No. 192(4)/2003-FC A/Cs (Vol.II) dated 16.10.2012

$ Gunny depreciation is for procurement of paddy in new gunny bags.

Dated: 6.12.2012

(Sanjay Kumar)
Under Secretary to the Government of India

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति
(एस.डी. देवरथले)
निरीक्षक ई.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

Annexure –II (Contd.)

No.192 (17)/2012-FC-A/cs
Government of India
Department of Food and Public Distribution
Provisional Rates of Custom Milled Rice (FAQ) retained for distribution under the decentralised procurement operations during the Kharif Marketing Season 2012-13 in respect of Government of Chhattisgarh and its agencies

****

(Rs/qtl)

S.No.	Items of incidentals	Raw rice		Par-boiled	
		Common	Grade 'A'	Common	Grade 'A
A.	ACQUISITION COST				
1.	Cost of CMR	2323.33	2372.38	2287.02	2334.91
B.	DISTRIBUTION				
1.	Storage charges @Rs.5.31 per qtl. per month for 4 months (covered) #	21.24	21.24	21.24	21.24
2.	Handling & Transportation charges	30.56	30.56	30.56	30.56
3	Interest Charges @12.30% p.a. for 4 months on acquisition cost minus interest	93.56	95.61	92.10	94.10
4	Transit and Storage loss @0.35% of acquisition cost excluding cost of gunnies, internal transportation of gunnies and gunny depreciation.	7.77	7.94	7.64	7.81
5	Administrative Charges @ 2.5% of MSP of paddy equivalent to 1 qtl. of rice or actuals which ever is less for the quantity retained by the State Government for distribution under PDS	46.64	47.76	45.96	47.06
6	Total Distribution Cost	199.77	203.11	197.50	200.77
C	ECONOMIC COST OF CMR				
7	Acquisition cost+ Distribution cost (A+B)	2523.10	2575.49	2484.52	2535.68

Note: The Food Secretary of the State is required to give a certificate that the CMR has been kept under covered storage.
Custody and Maintenance Charges would be released on production of certificate by the State Government that these charges have been incurred by it.

Dated: 6.12.2012

(Sanjay Kumar)
Under Secretary to the Government of India

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

हितवाद भवन परिसर, अवंति विहार मुख्यालय रायपुर

क्वालिटी कंट्रोल मेन्युअल

खरीफ वर्ष 2012—13 हेतु

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवरथले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORP.
H.O.
RAIPUR

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य शासन के निर्देशानुसार साविप्र के तहत् वितरण हेतु चावल का उपार्जन निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप किया जाता है। निगम का प्रमुख उद्वेश्य शासन की नीतियों के तहत् स--समय खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है।

साविप्र के तहत् वितरण किये जाने वाले चावल की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप होना अनिवार्य है, अनाज सजीव जैविक पदार्थ है, जिसमें विभिन्न वातावरणीय तत्वों के कारण भण्डारंण के दौरान परिवर्तन होता हैं, अतः उपार्जन एवं भण्डारण के दौरान गुणवत्ता बनाये रखना भी निगम का प्रमुख उद्देश्य है।

निगम में गुणवत्ता नियंत्रण का संगठनात्मक स्टॉफ ढांचा (पैटर्न)

शासन के नियमानुसार चावल एवं अन्य खाद्यान्न उपार्जन के दौरान गुणवत्ता मानकों के परीक्षण एवं नियंत्रण तथा भण्डारण के दौरान उपार्जित चावल की गुणवत्ता के अनुरक्षण करने तथा इस संदर्भ में समय--समय पर जारी दिशा--निर्देशों के पालन हेतु निगम में पृथक से तकनीकी संवर्ग स्थापित किया गया है। खाद्यान्न की प्राप्ति के समय से लेकर उसके वितरण के समय तक खाद्यान्न की गुणवत्ता बनाये रखना तकनीकी स्टाफ के कार्य कौशल और निपुणता पर निर्भर करता है।

1. तकनीकी स्टाफ के ढांचे में मुख्यालय स्तर पर प्रबंधक, सहायक प्रबंधक तथा तकनीकी सहायक की पद स्थापना की गई है।
2. उपार्जन केन्द्रों पर पदस्थ तकनीकी सहायक की प्राथमिक जिम्मेदारी फील्ड में तकनीकी कार्य निष्पादित करना है। इन कार्यों में भारत/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/विनिर्देशों के अनुसार खाद्यान्न उपार्जन हेतु सेम्पलिंग एवं विश्लेषण करना तथा भण्डारण के दौरान खरीदे गये खाद्यान्न का रख--रखाव, अनुरक्षण (Maintenance & Preservation) करना एवं आवश्यकतानुसार Prophylactic एवं Curative उपचार करके खाद्यान्न की गुणवत्ता बनाये रखना, खाद्यान्न का पाक्षिक निरीक्षण एवं उसका रिकार्ड संधारण करना, फीफो (FIFO) का पालन करना एवं खाद्यान्न की स्थिति का मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना शामिल है।
3. मुख्यालय पर पदस्थ प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक (क्यू.सी.) आवश्यकतानुसार केन्द्रों का दौरा कर उपार्जित एवं भण्डारित खाद्यान्न का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते है तथा गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त पत्रों/शिकायतों/अपीलों आदि के निराकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही संपादित करते है।

चावल का उपार्जन :--

छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमि. द्वारा शासन के निर्देशानुसार विकेन्द्रीयकृत (Decentralized) उपार्जन योजना के अंतर्गत राज्य में वर्ष भर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरण कराने हेतु चावल का उपार्जन किया जाता है, छ.ग. राज्य में प्रमुख रूप से उपभोक्ताओं द्वारा अरवा चावल (Raw rice) तथा कहीं--कहीं उसना चावल (Parboiled rice) खाया जाता है। अतः नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा मुख्यतः अरवा चावल की खरीदी की जाती है। कभी--कभी आवश्यकतानुसार उसना चावल भी खरीदा जाता है। यह मात्रा प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार निर्धारित की जाती है। निगम द्वारा खरीफ वर्ष में लगभग 14--15 लाख मे. टन चावल खरीदा जाता है।

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

(66) (64)

01. धान, चावल एवं मोटे अनाजों के उपार्जन का मापदंड–

खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 हेतु धान, चावल एवं मोटे अनाजों के यूनीफार्म स्पेशीफिकेशन निर्धारण के संबंध में केन्द्र शासन एवं राज्य शासन से प्राप्त निर्देशानुसार मुख्यालयीन पत्र क्र./क्यू.सी./2011–12/ निर्देश /428 रायपुर दिनांक 10.09.2012 द्वारा निर्धारित मापदण्डों को सूचित किया गया है। चावल उपार्जन हेतु निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार है –

Uniform specification of Paddy, Rice and other food grains for the K.M.S. 2012-13 -

Rice shall be in sound merchantable condition, sweet,dry,clean,wholesome of good food value,uniform in color and size of grains and free from moulds,weevils,obnoxious smell, admixture of unwholesome poisnous substances, *Argemone mexicana* and *lathyrus sativus* (Khesari) in any form, or colouring agents and all impurities except to the extent in the schedule below. It shall also confirm to PFA standards:

Schedule of Specification

S. No.	Refractions		Maximum Limits(%)	
			Grade'A'	Common
1.	Brokens*	Raw	25.0	25.0
		Parboiled/single parboiled rice	16.0	16.0
2.	Foreign Matter**	Raw/Parboiled/single parboiled rice	0.5	0.5
3.	Damaged#/ Slightly Damaged grains	Raw	3.0	3.0
		Parboiled/single parboiled rice	4.0	4.0
4.	Discoloured Grains	Raw	3.0	3.0
		Parboiled/ single parboiled rice	5.0	5.0
5.	Chalky Grains	Raw	5.0	5.0
6.	Red Grains	Raw/Parboiled/single parboiled rice	3.0	3.0
7.	Admixture of lower class	Raw/Parboiled	6.0	-
8.	Dehusked Grains	Raw/Parboiled/single parboiled rice	12.0	12.0
9.	Moisture content @	Raw/Parboiled/single parboiled rice	14.0	14.0

* Including 1% small brokens.

** Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by weight shall be impurities of animal origin.

\# Including pin point damaged grains.

@ Rice (both Raw and Parboiled/Single parboiled) can be procured with moisture content upto a maximum limit of 15% with value cut. There will be no value cut up to 14%. Between 14% to 15% moisture,value cut will be applicable at the rate of full value.

निगम द्वारा चावल के अतिरिक्त अन्य खाद्यान्नों जैसे गेहूं, मक्का आदि का भी उपार्जन किया जाता है, जिनसे संबंधित निर्धारित मापदण्ड संलग्न है।

विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित दिशा–निर्देशों के साथ जारी संलग्नकों का अध्ययन करे।

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक ... / ए.सी. ...

67

UNIFORM SPECIFICATION FOR MAIZE

(MARKETING SEASON 2012-2013)

The maize shall be the dried and matured grain of *Zea mays*. It shall have uniform shape and colour. It shall be in sound merchantable condition and also conforming to PFA standards.

Maize shall be sweet, hard, clean, wholesome and free from *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (khesari) in any form, colouring matter, moulds weevils, obnoxious smell, admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the schedule below:

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No.	Refractions	Maximum Limits (%)
1.	Foreign matter*	1.0
2.	Other foodgrains	2.0
3.	Damaged grains	1.5
4.	Slightly damaged, discoloured and touched grains	4.5
5.	Shrivelled & Immature grains	3.0
6.	Weevilled grains	1.0
7.	Moisture content	14.0

* Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by weight shall be impurities of animal origin.

N.B.

1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as given in Bureau of Indian Standard 'Method of Analysis for Foodgrains' Nos. IS: 4333 (Part-I): 1996 and IS: 4333 (Part-II): 2002 and 'Terminology for foodgrains'. IS: 2813- 1995 as amended from time to time.
2. The method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard 'Method of sampling of cereals and pulses' No. IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Within the overall limit of 1.0% for foreign matter, the poisonous seeds shall not exceed 0.5% of which Dhatura and Akra Seeds (*Vicia* species) not to exceed 0.025% and 0.2% respectively.
4. The small sized maize grains, if the same are otherwise fully developed, should not be treated as shrivelled and immature grains.

******

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक ई.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

68

. UNIFORM SPECIFICATION FOR INDIAN WHEAT OF ALL VARIETIES FOR RABI MARKETING SEASON 2011-12 (as per Govt. of India norms)

05.1 Wheat shall :

a) be the dried mature grains of Triticum vulgare, T. compactum, T. sphaerococcum, T durum, T aestium and T. dicoccum..
b) have natural size, shape, colour and lustre.
c) be sweet, clean, wholesome and free from obnoxious smell, discolouration, admixture of deleterious substances including toxic weed seeds and all other imparities except to the extent indicated in the schedule below.
d) be in sound merchantable condition.
e) not have any admixture of Argemone mexicana and Lathyrus salivus (khesari) in any form, colouring matter and any obnoxious, deleterious and toxic material
f) Conform to PFA Rules.

05.2 Schedule showing the maximum permissible limits of different refractions in Fair Average Quality of Wheat.

Foreign Matter %	Other food grains %	Damaged grains %	Slightly damaged grains %	Shrivelled & Broken grains %
0.75	2.00	2.00	6.00	7.00

05.3 NOTE:

1. Moisture in excess of 12% and upto 14% will be discounted at full value. Stock containing moisture in excess of 14% are to be rejected.
2. Within the overall limit specified for foreign matter, the poisonous weed seeds shall not exceed 0.4% of which Dhatura and Akra (Vicia species) shall not be more than 0.025% and 0.2% by weight respectively.
3. Kernels with glumes will be treated as unsound grains during physical analysis, the glumes will be removed and treated as organic foreign matter.
4. Within the overall limit specified for damaged grains, ergot affected grains shall not exceed 0.05%
5. In case of stocks having living infestation, a cut at the rate of Rupee One per quintal may be charged as fumigation charges.
6. For weevilled grains determined by count, following price cuts, in addition to other cuts, if any, will be imposed.
   i) from the beginning of the season till end of August, the rate of cut will be @Re.1/- per qtl., for every 1% or part thereof.
   ii) from 1st September till end of October, no cut will be imposed up to 1% while for any excess, the cut will be @ Re.1/- per qtl., for every 1% or part thereof.
   iii) from 1st November till end of the season no cut will be imposed up to 2% while for any excess, the cut will be @ Re.1/- per qtl., for every 1% or part thereof.
   iv) stocks containing wevilled grains in excess of 3% will be rejected.

Method of Analysis:

As given in Bureau of Indian Standard No.IS 4333 (Part I and II) 1967 and as amended from to time except for weevilled grains which are to be determined by count method.

DEFINITIONS OF REFRACTONS:

As contained in BIS Specifications No.2813-1995.

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवरथले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

02. चावल उपार्जन की प्रकिया–

A. डम्पिंग (Dumping) -

चावल उपार्जन हेतु संबंधित मिलर द्वारा अनुबंध के अनुसार निर्धारित उपार्जन केन्द्रों पर निर्धारित मात्रा का लॉट लाया जाता है एवं इसे निरीक्षण, सेम्पलिंग एवं विश्लेषण हेतु निर्धारित प्रकिया एवं दस्तावेजों के साथ डम्प किया जाता है। लॉट का उचित निरीक्षण एवं सेम्पलिंग हेतु आवश्यक है कि लॉट को गोदामों के बाहर प्लेटफार्म अथवा उपलब्ध स्थान पर डम्प किया जाए। 'U' (shape) आकृति में की गई डम्पिंग सबसे उचित मानी जाती है।

B.चावल का प्राथमिक निरीक्षण (Preliminary inspection)–

चावल लॉट डम्प होने के उपरांत सर्वप्रथम लॉट का निम्न बिन्दुओं के आधार पर प्राथमिक निरीक्षण किया जाए –

अ– लॉट निर्धारित मात्रा का है तथा निर्धारित मात्रा की पूर्ण संख्या प्राप्त हो चुकी है।
ब– लॉट के प्रत्येक बोरे पर निर्धारित रंग में स्पष्ट मार्का लगा हो।
स– प्रत्येक बोरे पर सिलाई के साथ कपड़े का फ्लेग लगा हो।
द– बोरों पर लगे छापे (Marka) एवं फ्लेग पर मिल का नाम एवं पता, चावल का प्रकार एवं किस्म, खरीफ वर्ष 2012–13 , चावल का वजन 50 किग्रा नेट, लॉट नम्बर इत्यादि स्पष्ट रूप से पठनीय हो एवं बोरों में डबल मशीन सिलाई की गई हो।
इ– बोरे साफ–सुथरे हो एवं कटे–फटे न हो, बोरे विपणन संघ द्वारा उसी वर्ष धान के साथ प्रदाय किये गये हों एवं बोरों पर निर्धारित रंग में मार्का लगाया गया हो। बोरों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि बोरों की गुणवत्ता के आधार पर ही चावल की गुणवत्ता का अनुरक्षण होता है तथा गोदाम में पाला स्वीपेज आदि की मात्रा का नियंत्रित किया जा सके।

यदि लॉट के बोरे, स्टेन्सिल इत्यादि सही है तो तकनीकी सहायक लॉट के प्रत्येक या अधिकतम बोरों का परखी से सामान्य निरीक्षण करेंगे एवं देखेंगे कि प्रत्येक बोरे में एक ही प्रकार का (Uniform)चावल है, चावल देखने में अच्छा (Merchantable) है, खराब गंध न हो, पुराना चावल न मिला हो, कीटग्रस्त न हो। यदि चावल कीटग्रस्त हो, पुराना चावल मिला हो, पाला वेरियेशन हो, मर्चेन्टेबल न हो तो उस लॉट को स्वीकृत नहीं करना है तथा प्राथमिक निरीक्षण के आधार पर ही अस्वीकृत करते हुए रिजेक्शन पत्रक तैयार करे।

03. चावल सेंम्पलिंग:–

प्राथमिक निरीक्षण उपरांत चावल की Appearance संतोषप्रद हो तो उस लॉट के बोरों में से लगभग 2–2½ किग्रा. चावल सेम्पल परखी से निकालिये। (परखी को उपयोग करने के संबंध में चित्र संलग्न) प्राप्त सेम्पल को निर्धारित आकार की कपड़े की चार थैली में पैक करके रखिये। प्रत्येक थैली में लगभग 500 ग्राम चावल होना चाहिये। सेम्पल निकालने के बाद लगभग 100 ग्राम चावल किसी पॉलिथीन बैग में रखना चाहिए, ताकि चावल की वास्तविक नमी प्रतिशत देखी जा सकें।

एक थैली विश्लेषण के लिये, एक मिलर्स/पार्टी को, एक एस.डब्ल्यू.सी. को एवं एक स्वयं के रिकॉर्ड के लिये रखिये। रखे हुए सेम्पल अच्छी तरह से बांध कर उन पर सील लगी हुई होना चाहिए। यदि विश्लेषण में सेम्पल निर्धारित मापदण्ड का पाया जाता है तो उसे स्वीकृत करने की प्रकिया अपनाये तथा आवश्यक कार्यवाही उपरांत संबंधित लॉट का स्वीकृति पत्रक जारी करें।

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थलें)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

CORRECT AND INCORRECT WAYS OF USING A SAMPLING SPEAR

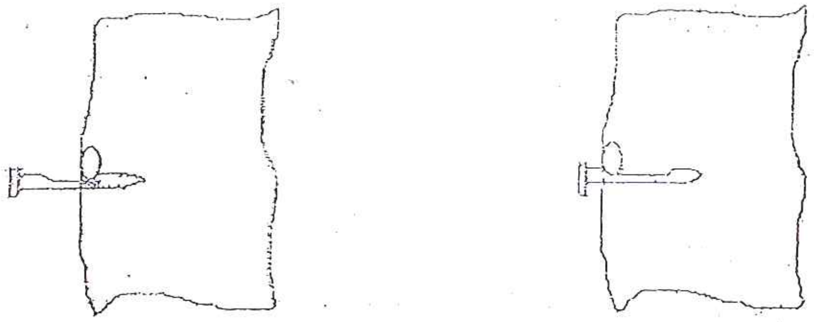

INCORRECT : A sampling spear inserted with its open side facing upwards is filled with grains from the outer few centimetres only.

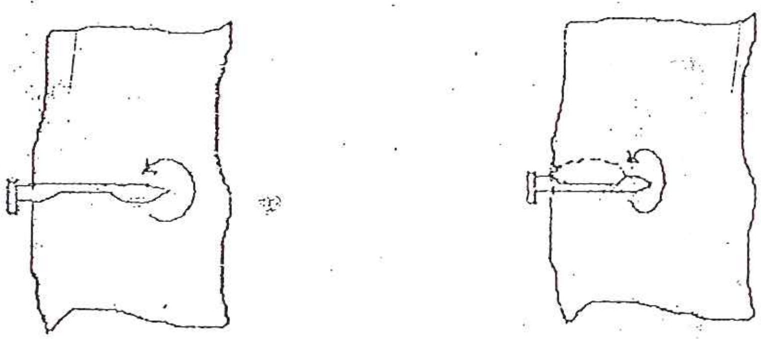

CORRECT : A sampling spear inserted with its open side facing downwards and then turned through 180° collects a more representative sample.

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति

(एस.डी. देवस्थले)

निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.

(छ.ग.)

DIVIDING GRAIN SAMPLE BY CONING AND QUARTERING METHOD

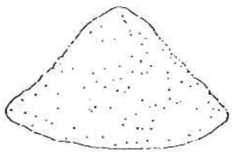

A. Grain mixed and coned

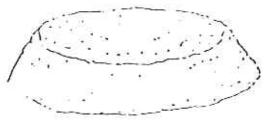

B. Cone flattened for quartering

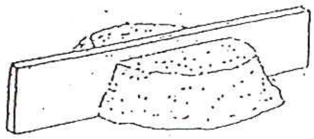

C. First division

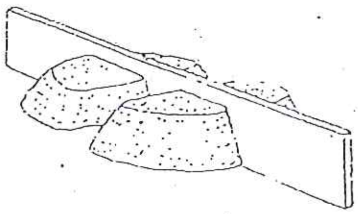

D. Second division

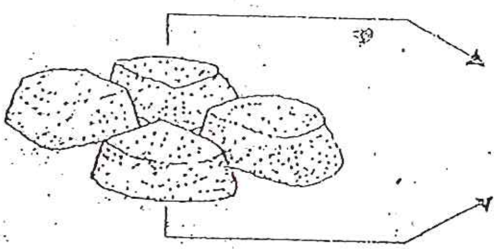

E. Opposite quarters taken for mixing and forming.

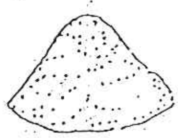

F. The reduced Sample

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू /
रायपुर (छ.ग.)

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

04. चावल विश्लेषणः—

विश्लेषण हेतु प्राप्त सेम्पल चावल को सेम्पल डिवाइडर से डिवाइड कर लगभग 120–150 ग्राम चावल को गोलाकार फैलाकर उसमें से 09 स्थानों से स्कूप से सेम्पल निकालकर उसका विश्लेषण करिये। सेम्पल डिवाइडर न होने की स्थिति में संलग्न चित्रानुसार सेम्पल को डिवाइड करना चाहिए। निर्धारित प्रकिया के अनुसार विश्लेषण कर विभिन्न मापदण्डों के आकड़ों को एकत्रित कर उनकी तुलना निर्धारित मापदण्डों के आकडे से की जाए जिसका उल्लेख पूर्व में किया गया। निर्धारित मापदण्डों में उल्लेखित विभिन्न रिफ्रेकशन की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है –

A. ब्रोकन (Broken)—

चावल में कनकी के प्रतिशत का निर्धारण संबंधित चावल की औसत लंबाई के अनुसार किया जायेगा, औसत लंबाई का 3/4 या उससे लंबा कनकी का टुकड़ा चावल माना जायेगा। 3/4 से 1/4 तक बड़ी कनकी एवं 1/4 से 1/8 लंबाई की छोटी कनकी मानी जायेगी।

B. विजातीय पदार्थ (Foreign matter)—

चावल के अतिरिक्त अन्य पदार्थ या अनाज, धान इत्यादि विजातीय पदार्थ माने जायेंगे। ये दो प्रकार के होते है—

अ– कार्बनिक – धान, धान का छिलका, अन्य अनाज, लकड़ी का टुकड़ा इत्यादि।

ब– अकार्बनिक(जैसे– मिट्टी, पत्थर)– अकार्बनिक फॉरेन मैटर 0.25 से अधिक नहीं होना चाहिए।

C. क्षतिग्रस्त दाने (Damaged grains)—

चावल के ऐसे दाने जो खराब हो गये है, अर्थात जिस दाने की फूड वेल्यू समाप्त हो गई है।

D. डिस्कलर दाने (Discolour grain)—

चावल के ऐसे दाने जो अपने प्रकृतिक रंग के न रहकर पीले रंग के हो गये है, यह परिवर्तन धान पानी से प्रभावित होने पर हो जाता है।

E. चाकी (Chalky grains)—

ऐसे दाने जो सफेद रंग के, वजन में हल्के एवं कमजोर होते हैं ये वे दाने होते है जो पूर्णतः पक नहीं पाते।

F. रेडग्रेन (Red Grain)—

ऐसे दाने जिनका 1/4 या उससे अधिक भाग लाल छिलके से ढका होता है, ये दाने चावल पर पॉलिश की कमी के कारण होते है।

G. लोअरग्रेड (Lowergrade) –

ऊंची किस्म के चावल में निम्न किस्म का चावल लोअरग्रेड कहलाता है, ग्रेड–ए चावल में मिले हुए कॉमन चावल के दाने लोअर ग्रेड कहलाते है।

रिमार्क–

चावल का वह दाना जिसकी लंबाई, चौड़ाई से 2½ गुना या उससे अधिक होती है वह दाना ग्रेड–ए चावल में आता है इससे कम अनुपात वाला चावल कॉमन होता है कॉमन चावल में लोअरग्रेड (Lower grade) नहीं होता है।

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

H. डिहस्क (Dehusk)–

चावल या उसके टुकड़े का ऐसा दाना जिसकी सतह का 1/4 या अधिक भाग कोढ़े (Bran) से ढका हुआ हो वह दाना बिना पॉलिश का मानां जायेगा। इसके विश्लेषण की विधि निम्न प्रकार है–

5 ग्राम चावल (Rice and Broken) एक 80X70 mm की पेट्रीडिश में लेकर उसमें 20 ml मिथाइल ब्लू घोल डालकर लगभग एक मिनट तक रखिये (चावल के दाने घोल में डूब जाना चाहिए) मिथाइल ब्लू (Methylene Blue) का घोल फेंककर उसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (Dil.HCl) से एक बार धोकर पानी से धोइये, फिर उसमें 20 ml मेटेनिल येलो घोल डालिये तथा उसे लगभग एक मिनट के लिये रखिये, फिर मेटेनिल येलो (Metanil Yellow)घोल को फेंक कर उस चावल को दो बार पानी से धोइये, फिर एक दूसरी डिश में पानी डालकर चिमटी की सहायता से स्टेनग्रेन (Parrot green) को रखकर उन्हें गिन लेते है, तीन टुकड़े को एक दाना माना जाता है। इसके उपरांत निम्न फार्मूले से Dehusked grain की गणना करते है–

01. Percentage of Dehusked grain – $\frac{N \times 100}{W}$

N = No. of Dehusk Grains
W = Total grain in 5 grams of sample

Concentration of Solution (विलयन की तीव्रता)–

01. Metanil Yellow 0.05% (500 mg powder + 1 liter Distil water)
02. Methylene Blue 0.05% (500 mg powder + 1 liter Distil water)
03. Dilute HCl acid 5% (1:6)

Moisture (नमी)--

किसी भी खाद्यान्न के लंबे एवं सुरक्षित भण्डारण के लिये नमी एक महत्वपूर्ण कारक है, यदि खाद्यान्न में नमी निर्धारित मात्रा से अधिक हो तो उसकी गुणवत्ता बहुत समय तक बनाये रखना कठिन होगा। अतः नमी के निर्धारण पर विशेष ध्यान देना चाहिये, विशेषकर उसना चावल में।

नमी का निर्धारण नमीमापक यंत्र द्वारा किया जाता है, प्रत्येक खाद्यान्न के लिये अलग--अलग मात्रा एवं दबाव निर्धारित है जो नमीमापक यंत्र के ऊपर दिया होता है। नमीमापक यंत्र के उचित उपयोग एवं रखरखाव हेतु निगम द्वारा जारी पत्र क. क्यू.सी./2011–12/उपकरण/437 रायपुर दिनांक 13.09.2012 के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करे, जिसकी प्रति संलग्न है।

05. लॉट की अस्वीकृति :–

राईस मिलर द्वारा लाया गया चावल विश्लेषण उपरांत यदि किसी भी रिफेक्शन में निर्धारित मापदण्ड से अधिक पाया जाता है तो उस लॉट को अस्वीकृत किया जाये, अस्वीकृत लॉट 48 घण्टे के अदर राईस मिलर द्वारा उठा लेना अनिवार्य है। अस्वीकृत लॉट न उठाने तक संबंधित मिलर से अन्य लॉट प्राप्त न किया जाये। (मुख्यालयीन पत्र क. क्यू. सी/निर्देश/2011–12/809 दिनांक 21.11.2011)

चावल अस्वीकृत होने पर यदि राइस मिलर्स को तक.सहा. के विश्लेषण पर आपत्ति है तो उससे आवेदन प्राप्त कर डुप्लीकेट में चावल के सेम्पल निकालकर दे दिया जाये, तत्पश्चात् जिला/मुख्यालय स्तर उसका विश्लेषण किया जायेगा, जो सर्वमान्य होगा।

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION RAIPUR

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

06. Preservation (अनुरक्षण)–

खाद्यान्न खरीदने से अधिक महत्वपूर्ण उसका अनुरक्षण करना है, खाद्यान्न के सुरक्षित लंबे भण्डारण के लिये निम्न महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिये–

Stacking (छल्लीकरण)– 01 स्टेक के नीचे Proper Dunnage का इस्तेमाल करना चाहिये।

02 स्टेक का साइज 30X20 फीट होना चाहिये।

03 दो स्टेक के बीच में कम से कम 03 फीट जगह छोड़ना चाहिये।

04 गेट के सामने दो स्टेक के बीच में 05 फिट जगह छोड़ना चाहिये, ताकि गोदाम कार्य करने (Godown operation) में सुविधा हो।

यदि नये गोदाम में भण्डारण किया जा रहा है तो भण्डारण के पूर्व उसे साफ–सफाई कर उसमें डीडीव्हीपी स्प्रे करवाने के बाद ही भण्डारण प्रारंभ करें।

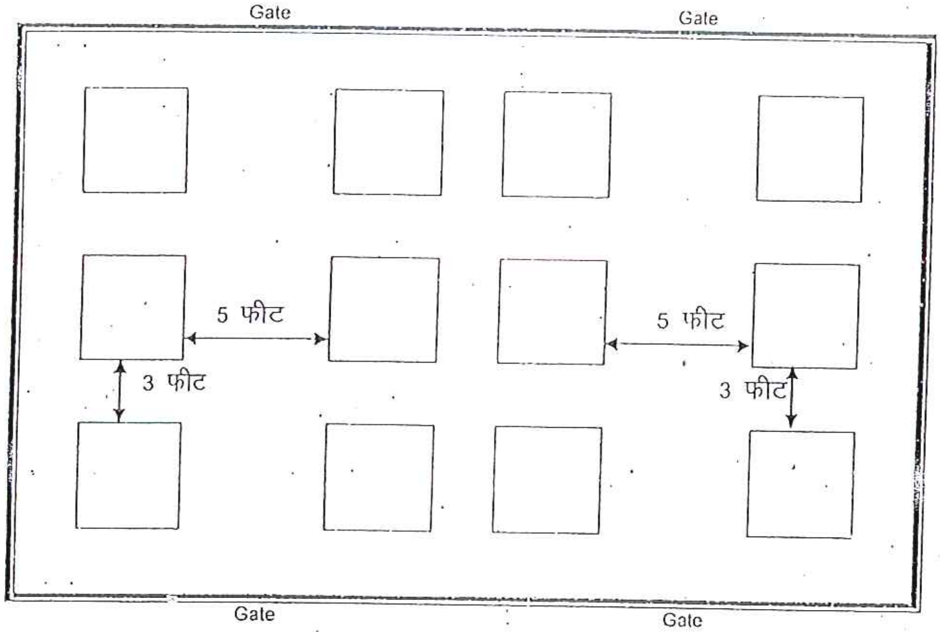

स्वीकृत किये गये चावल के बोरों को उचित ढंग से स्टेक किया जाये स्टेक में बोरे इस ढंग से लगाये जाये कि ऊपर से स्टेक अंदर की तरफ झुका हुआ हो।

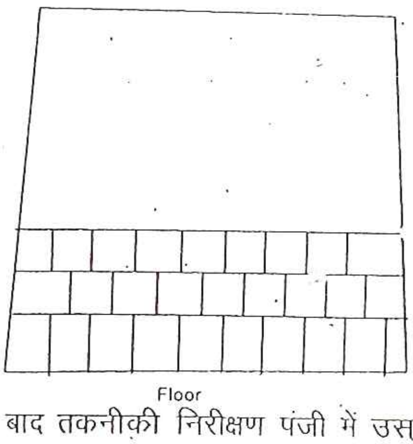

स्टेक पूरा हो जाने के बाद तकनीकी निरीक्षण पंजी में उसकी पूरी जानकारी (जैसे भण्डारण तिथि, वैराइटी, बोरो की संख्या, केटेगरी इत्यादि) लिखें, प्रत्येक 15 दिन में स्टेक के चावल का निरीक्षण

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक डब्लू / ए.सी.
(छ.ग.)

कर उसकी कीटग्रस्तता देंखे, स्टेक के चारों तरफ गिरने वाले अनाज के दानों को एकत्र करवाकर साफ करवाकर बोरों में भरवायें।

निरीक्षण :--

गोदामों में भण्डारित खाद्यान्न का पाक्षिक (F/N) निरीक्षण आवश्यक है, ताकि खाद्यान्न की गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त होती रहे, निरीक्षण करने के लिये परखी से स्टेक के चारो ओर से जिग--जेग विधि से सामान्य उचाई तक का सेम्पल निकालकर उसे छलनी (Sieve) से छान कर देखिये, यदि 500 ग्राम सेम्पल में 02 कीट है तो अल्प कीटयुक्त (Few), यदि दो से अधिक है तो अति कीटयुक्त (Heavy) तथा यदि कीट नहीं है तो उसे कीट रहित (clear) की श्रेणी में रखा जाये, Few तथा Heavy होने से तुरन्त उस स्कंध का धुमीकरण (Fumigation) करना आवश्यक है।

Treatment (उपचार)--

गोदामों में भण्डारित खाद्यान्न के लिये हवा संचार (Aeration) बहुत आवश्यक है हवा संचार के द्वारा खाद्यान्न को लंबे समय तक कीटमुक्त एवं गुणवत्ता युक्त रखा जा सकता है हवा संचार साफ मौसम में किया जाना चाहिये। हवा संचार खाद्यान्न के लिये एक प्राकृतिक उपचार माना जाता है।
खाद्यान्न का उपचार दो प्रकार से किया जाता है--

01. Pro-phylactic Treatment (प्रोफेलेटिक)--

प्रोफेलेटिक के द्वारा फर्श पर रेंगते हुए कीड़े एवं कास इन्फेस्टेशन को नियंत्रित किया जा सकता है, इस Treatment में मेलाथियान, डी.डी.व्ही.पी. एवं डेल्टामिथरिन का प्रयोग किया जाता है।

001 *मेलाथियान* (Malathion)--

इसका छिड़काव 15 दिन में एक बार किया जाता है (नवंबर से फरवरी तक 20 दिन में एक बार) इसका छिड़काव खाद्यान्न के बोरे पर किया जाता है।

002 *डी.डी.व्ही.पी.*(Dimethyl dichloro vinyl phosphate) --

इसका छिड़काव 21 दिन में एक बार या आवश्यकतानुसार किया जा सकता है इसे गोदाम में खाली स्थान पर छिड़का जाता है, इसे छिड़कने के बाद यदि गोदाम को बंद कर दिया जाये तो यह Fumigent का कार्य करता है, गोदाम में बोरों के बाहर पाये जाने वाले कीड़ों को समाप्त कर देता है, इसका छिड़काव सीधे बोरों एवं अनाज पर नहीं करना चाहिये, धुमीकरण करने के समय Cross infestation रोकने के लिये इसका उपयोग करना चाहिये, DDVP का छिड़काव सायंकाल गोदाम बंद करने के समय करने से अच्छा परिणाम प्राप्त होता है।

003. डेल्टा मिथरिन--

इसका छिड़काव तीन माह में एक बार किया जाता है एवं बोरों के उपर किया जाता है, इसका छिड़काव उन्हीं स्टेक पर करना चाहिये, जिनको तीन माह तक प्रदाय न किया जाना हो।

Concentration of Solution sprayed (छिड़काव किये जाने वाले घोल की सांद्रता)--

1. Malathion 50% EC- 1:100 (Dilution with water)
2. DDVP 76% EC- 1:150(Dilution with water)
3. Deltamethrin 2.5%wp- 40g/liter

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवरथले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर

H.O. RAIPUR
C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION

(176)

100 sq.m. में छिड़काव करने के लिये उपरोक्त तीनों रसायनों का 03 लीटर बना हुआ घोल चाहिये।

02. Curative Treatment (क्यूरेटिव उपचार)–

क्यूरेटिव उपचार अर्थात् धुम्रीकरण तब किया जाता है जब खाद्यान्न में जीवित कीट दिखाई देता है, फ्यूमीगेशन में एल्युमीनियम फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है, एल्युमीनियम फॉस्फाइड वातावरण में हवा पानी से किया कर फॉस्फीन गैस बनाती है जो श्वसनतंत्र के लिए हानिकारक होती है, धुम्रीकरण से दिखाई देने वाले कीड़ों के साथ छुपे हुए कीट एवं उनके अण्डे इत्यादि भी समाप्त हो जाते है।

एल्युमीनियम फॉस्फाइड 03 टेबलेट प्रति टन के हिसाब से डाली जाती है, एक स्टेक में जितनी टेबलेट डालना हो उसमें से आधी मात्रा स्टेक के ऊपर एवं शेष मात्रा स्टेक के चारों तरफ डालना चाहिये, क्योंकि फॉस्फीन गैस हवा से भारी होती है अतः वह स्टेक में चारों ओर फैलकर कीड़ों को समाप्त करती है।

धुम्रीकरण में नये या सेवा योग्य कव्हर्स का उपयोग किया जाना चाहिये ताकि गैस लीक न हो लोहे रोन्ड स्नेक की दो लेयर द्वारा कवर को दबाना चाहिये, धुम्रीकरण के पूर्व गोदाम का पाला इत्यादि एकत्र कर बोरों में भर देना चाहिये।रोन्ड स्नेक उपलब्ध न हो तो गीली मिट्टी का प्रयोग किया जा सकता है परंतु उसे प्रयोग करते समय एवं उठाते समय सावधानी रखना चाहिये, धुम्रीकरण में कवर 5–8 दिन के बाद खोलना चाहिये।

धुम्रीकरण के बाद स्टेक पर से कवर हटाने के बाद ब्रश से बोरो के ऊपर एल्युमीनियम फॉस्फाइड की टेबलेट की राख साफ करना चाहिए।

Categorization and Classification (श्रेणीकरण एवं वर्गीकरण)–

कस्टम मिलिंग/लेव्ही में स्वीकृत किये गये चावल की स्टेकिंग होने के पश्चात् जब स्टेक पूर्ण हो जाये तो उस स्टेक का सेम्पल निकालकर उसका वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण किया जाना चाहिये।

Categorization (श्रेणीकरण)– खाद्यान्नों को चार श्रेणियों में बांटा जाता है–A,B,C एवं D

01. Categorization of Rice-

Category	Damaged grain	Discolour grain
Category 'A' Raw Rice Parboiled rice	Upto 3% Upto 3%	Upto 3% Upto 3%
Category 'B' Raw Rice Parboiled rice	above 3% upto 4% above 3% upto 4%	above 3% upto 5% above 3% upto 5%
Category 'C' Raw Rice Parboiled rice	above 4% upto 5% above 4% upto 5%	above 5% upto 7% above 5% upto 7%
Category 'D' Raw Rice Parboiled rice	Loose bran more than 0.5% & giving unpleasant smell.	

02. Categorization of Wheat-

Category	Percentage of weevilled grains
A	Upto 1%
B	Above 1% and upto 4%
C	Above 4% and upto 7%
D	Above 7% and upto 10%

A,B श्रेणी का गेहूं एवं A,B,C श्रेणी का चावल PFA सीमा के अंतर्गत प्रदाय योग्य है।

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी
रायपुर (छ.ग.)

...Infestation – निकाले हुए सेम्पल में से 500 ग्राम खाद्यान्न को छलनी से छानकर उसमें ...स्थिति देखे यदि

कीट न हो तो Clear कीटरहित,
दो कीट तक Few अल्पकीटयुक्त,
दो से अधिक कीट Heavy अतिकीटयुक्त।

Few या Heavy होने से शीघ्र ही स्कंध का धुमीकरण करना चाहिये, धुम्रीकरण ...गोदाम में बिखरे हुए चावल (पाला) को एकत्र कर बोरों में भर लेना चाहिए।

...न/भण्डारण के दौरान विभिन्न अभिलेखों का संधारण –

चावल उपार्जन की प्रकिया के दौरान तैयार किये जाने वाले विभिन्न प्रपत्रों को ...र्जन कम्प्यूटर प्रोग्राम से तैयार किया जाना है इस हेतु समय–समय पर मुख्यालय से जारी ...के अनुसार अभिलेखों का संधारण करे। साथ ही मुख्यालय द्वारा प्रदत प्रारूप में तकनीकी ...र जिसमें प्रत्येक स्टेक के निरीक्षण एवं निराकरण की जानकारी हो, को अद्यतन संधारित ...था मुख्यालय से जारी विभिन्न दिशा–निर्देशों के अनुसार अभिलेखों का संधारण सुनिश्चित

...रित चावल की जांच हेतु विभिन्न संस्था/व्यक्तियों द्वारा सेम्पल लिये जाने के संबंध में –

नागरिक आपूर्ति निगम के भण्डारण केन्द्रों में चावल के नमूने विभिन्न संस्था, ...ओं व व्यक्तियों द्वारा लिये जाते है, उपार्जन एवं भण्डारण केन्द्रों में उपलब्ध चावल के स्टॉक ...गुणवत्ता की जांच के संबंध में नमूना लेने की प्रकिया (पत्र क. क्यू.सी./2006/748 रायपुर ...क 20.07.2006 एवं क./क्यू.सी./2012/572 रायपुर दिनांक 02.11.2012) मुख्यालय स्तर से ...ी निर्देशों के अनुरूप ही सुनिश्चित की जावे।

उपरोक्त दिशा–निर्देश खाद्यान्न उपार्जन/भण्डारण/अनुरक्षण आदि में किये ...ने वाले विभिन्न कार्यो के सम्पादन हेतु सामान्य दिशा–निर्देश हैं। इनके अतिरिक्त विशेष ...परिस्थितियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्यालय से सम्पर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति
(एस.डी. देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

(78)

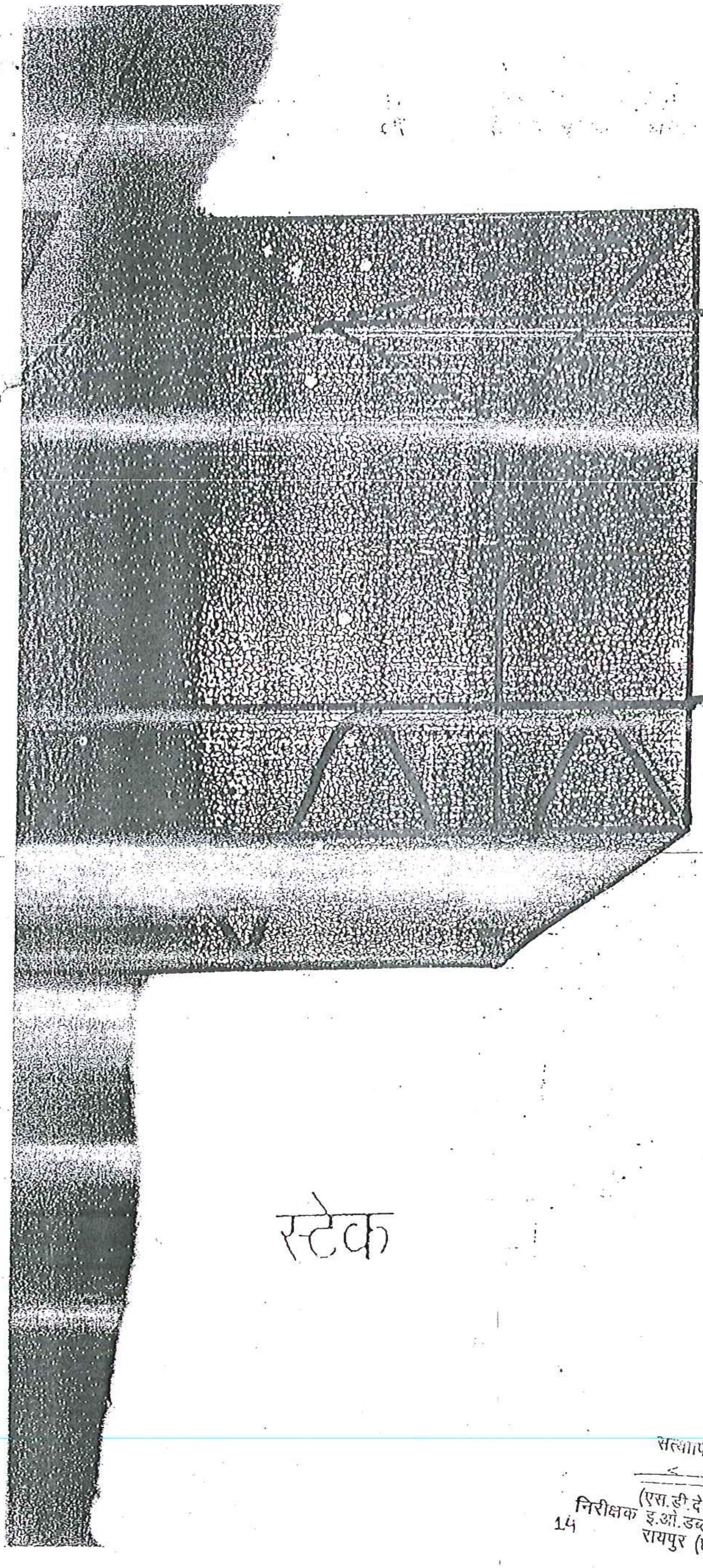

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

71

70

—छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन —::—

—————— प्रधान कार्यालय ...अवन्ति विहार रायपुर ——————

...0/ छगवेका / मुख्या0 / तक0 / 2012–13 / 9314 रायपुर दिनांक 01-09-12

प्रति,

समस्त शाखा प्रबंधक
छ.ग.स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन
छत्तीसगढ़

विषय – नमीमापक यंत्र के उपयोग एवं रखरखाव बाबत।

विषयान्तर्गत दिनांक 17.08.2012 को सचिव (खाद्य) महोदय व्दारा भण्डारगृह शाखा कुरूद ...ला धमतरी का निरीक्षण किया गया तथा भण्डारित स्कंध की दशा, शाखा की कार्य प्रक्रिया एवं ...खा में प्रायोगिक स्तर पर किये जा रहे आन लाईन साफ्टवेयर की कार्य प्रक्रिया का अवलोकन ...या गया। निरीक्षण के समय शाखा प्रबंधक नमी मापनक यंत्र का संचालन उचित ढंग से नहीं कर ...ये एवं अत्यधिक समय लगाया। अतएव नमी मापक यंत्र के उपयोग हेतु पुनः निर्देश जारी करने ...की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

प्रधान कार्यालय के व्दारा प्रदाय किये गये नमी मापक यंत्रों का उपयोग एवं रख रखाव दिये जा रहे निर्देशों के अनुसार किया जावे। जमाकर्ता के व्दारा स्कंध के जमा समय, शाखा में भण्डारण ...रान पाक्षिक निरीक्षण के समय तथा स्कंध के भुगतान के समय स्कंध में नमी के प्रतिशत का ... किया जावे तथा पूर्व प्रसारित निर्देशों के अन्तर्गत समस्त संबंधित लेखा में जमाकर्ता के हस्ताक्षर सहित इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रधान कार्यालय के व्दारा शाखाओं के उपयोग हेतु मे0 ओसा इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट से नवीनतम तकनीक के नमीमापक यंत्र माडल नंबर 2008 क्रय कर प्रदाय किये गये हैं जिनमें ...रे केलीब्रेशन की सुविधा प्रदान की गई है। यंत्र के उपयोग हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया का संपादन किया जाना चाहिये।

अ. उपयोग पूर्व जीरो सेटिंग की जांच प्रक्रिया –

1. यंत्र में टेस्ट कप को हाउसिंग में ठीक तरह से रखें।
2. सर्कुलर स्केल से जुड़े व्हील के हैन्डल को धुमा कर टेस्ट कप को ऊपर लाकर प्लंजर से स्पर्श स्थिति में लायें।
3. टेस्ट कप हाउसिंग में लगे प्वाइन्टर को वर्टिकल स्केल पर देखें, यदि प्वाइन्टर वर्टिकल स्केल के जीरो निशान के ऊपर या नीचे की स्थिति में हो तो वर्टिकल स्केल के सेटिंग स्क्रू को एलंकी से लूज करें तथा वर्टिकल स्केल के जीरो को प्वाइन्टर की स्थिति में सेट कर स्क्रू को वापस कस दें।
4. उपरोक्त स्थिति में ही सर्कुलर स्केल को देखें कि सर्कुलर स्केल के ... का मिलान बाडी में बने संकेतक निशान से मिल रहा है या नहीं। बाडी के संकेतक निशान

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक ...ओ.डब्ल्यू / ए.सी...
रायपुर (छ.ग.)

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

(88)

...ने मिलने की स्थिति में सर्कुलर स्केल के सेटिंग स्क्रू को एलंकी से लूज ... सर्कुलर स्केल के जीरो को बाडी में बने संकेतक से मिलान कर स्क्रू को वापस ... दें।

(आपरेटिंग मेनुअल पृष्ठ क्र0 14 के अन्तर्गत)

...आपरेटिंग चेकिंग –

खाली टेस्ट कप को प्लंजर से स्पर्श स्थिति में लाकर प्रेस बटन दबायें Er 3 दर्शित होना चाहिये।

खाली टेस्ट कप को पूरी तरह नीचे लायें तथा प्रेस बटन दबायें Er 1 दर्शित होना चाहिये। अन्य संकेत दर्शित होने पर तकनीकि शाखा में संपर्क करें।

...केलीब्रेशन परीक्षण –

...मी मापक यंत्र से नमी का मापन वास्तविक हो इसके लिये आवश्यक है कि नमी मापक ...ही केलीब्रेशन किया गया हो। केलीब्रेशन की स्थिति परीक्षण करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया

...प 01–

...मोडिटी सलेक्टर पर 8800 सलेक्ट करें।

...AL स्विच 1 पर प्रेस करें तथा PRESS स्विच को दबाये रखें।

...दि डिस्प्ले YES दर्शित होने पर केलीब्रेशन रेंज सही है, NO दर्शित होने पर रीकेलीब्रेशन प्रक्रिया संपादित करें।

स्टेप 02 –

कमोडिटी सलेक्टर पर 8900 सलेक्ट करें।

CAL स्विच 2 पर प्रेस करें तथा PRESS स्विच को दबाये रखें।

यदि डिस्प्ले YES दर्शित होने पर केलीब्रेशन रेंज सही है, NO दर्शित होने पर रीकेलीब्रेशन प्रक्रिया संपादित करें।

यंत्र का रीकेलीब्रेशन –

स्टेप 01–

कमोडिटी सलेक्टर पर 9800 सलेक्ट करें।

CAL स्विच 1 पर प्रेस करें तथा PRESS स्विच को दबाये रखें।

यदि डिस्प्ले YES दर्शित होने पर केलीब्रेशन रेंज सही है, NO दर्शित होने पर तकनीकि शाखा को सूचित करें।

स्टेप 02 –

कमोडिटी सलेक्टर पर 9900 सलेक्ट करें।

CAL स्विच 2 पर प्रेस करें तथा PRESS स्विच को दबाये रखें।

यदि डिस्प्ले YES दर्शित होने पर केलीब्रेशन रेंज सही है, NO दर्शित होने पर तकनीकि शाखा को सूचित करें।

टेम्परेचर सेटिंग –

01 – कमोडिटी सलेक्टर पर 0000 सलेक्ट करें तथा PRESS स्विच को दबायें दर्शित तापमान नोट करें।

02– तापमान में भिन्नता होने पर कमोडिटी सलेक्टर पर 9645 सलेक्ट करें तथा PRESS स्विच को दबायें

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

(81) (81)

...टी सलेक्टर पर 97XX सलेक्ट करें (XX तापमान जिसे इन्द्राज किया जाना है)
...PRESS स्विच को दबायें, स्क्रीन पर XX दर्शित होगा।
...डिटी सलेक्टर पर 9654 सलेक्ट करें तथा PRESS स्विच को दबायें स्क्रीन पर
... दर्शित होने पर इन्द्राज तापमान लाक हो जावेगा।
(आपरेटिंग मेनुअल पृष्ठ क्र0 19 के अन्तर्गत)

...की रखरखाव –
...यंत्र की नियमित साफसफाई की जाना चाहिये।
2. उपयोग के पूर्व एवं पश्चात टेस्ट कप एवं प्लंजर को साफ करना चाहिये।
3. नमी मापक यंत्र को सूखे एवं साफ स्थान में रखें।
4. नमी मापन के बाद टेस्ट कप में रखे सेम्पल को तुरंत खाली करें।
5. बैटरी कम्पार्टमेंट में बैटरी लम्बी अवधि तक न लगी रहने दें अन्यथा बैटरी के लीकेज से कम्पार्टमेंट क्षतिग्रस्त हो सकता है।
6. यंत्र का उपयोग न होने पर विद्युत स्विच बंद रखें तथा यंत्र के कनेक्शन को स्विच बोर्ड से पृथक कर देवें।
7. यंत्र को नम कपड़े से साफ न करें।
8. उपयोग के उपरांत यंत्र को ढंक कर रखें।
9. टेस्ट कप में निर्धारित सीमा से अधिक दबाव न देवें।
10. यंत्र का उपयोग यंत्र के साथ दी गई निर्देश पुस्तिका में दिये गये निर्देशों के अनुसार करें

ddb 01/9/12
प्रबंध संचालक

...गवेका/मुख्या0/तक0/2012–13/ 9314 रायपुर दिनांक 01-09-12

...पि:–

1. सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर।
2. निज सहायक प्रबंध संचालक छ0ग0स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन प्रधान कार्यालय रायपुर।
3. प्रबंधक तकनीकि/कार्मिक/वाणिज्य एवं लेखा छ0ग0स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन प्रधान कार्यालय रायपुर।
4. क्षेत्रीय प्रबंधक, छ0 भ0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन क्षेत्रीय कार्यालय –रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/जगदलपुर एवं सरगुजा, उपरोक्त निर्देशों का पालन क्षेत्र में कराया जाना सुनिश्चित करें।

ddb
प्रबंध संचालक

सत्यापित प्रति
(एस.डी. देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

(82)

(82)

...स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
"द हितवाद परिसर" अवंति विहार, रायपुर

...12/572 रायपुर दिनांक 02.11.2012

...जिला प्रबंधक
...छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लिमि.
...............................समस्त।

...उपार्जन एवं भण्डारण केन्द्रों में उपलब्ध चावल के स्टाक के गुणवत्ता की जांच के संबंध ... नमूने लेने की प्रकिया बाबत्।

...विषयान्तर्गत प्रायः यह देखा जा रहा है कि निगम की विभिन्न गोदामों में भण्डारित ...नमूने विभिन्न एजेंसियों एवं व्यक्तियों द्वारा लिये जा रहे है। साथ ही केन्द्रों में पदस्थ ...अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी/उपस्थिति के बिना ही सेम्पल लिये जाने की ...हो रही है, जिससे प्राप्त सेम्पलों के वैज्ञानिक ढंग से लिये जाने की सम्भावना नहीं है ...प्रकार लिये गये सेम्पल से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट की विश्वसनीयता संदेहजनक होती है।

...गोदामों में भण्डारित खाद्यान्न के सेम्पल लिये जाने हेतु व्यवस्था निर्धारण बाबत् निगम ...द्वारा पत्र क./क्यू.सी./2006/748 दिनांक 20.07.2006 के द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये ...जिनकी छायाप्रति संलग्न है। संबंधित पत्र में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार ही गोदामों ...निकाले जाने हेतु सर्वसंबंधितों को सूचित करे एवं तदनुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित ...ए। चावल का नमूना लेने वाले संस्था, अधिकारी या व्यक्ति द्वारा यदि उपरोक्त प्रकिया का ...नहीं किया जाता है तो ऐसे स्थिति में चावल के लिये गये नमूने की रिपोर्ट को मान्य नहीं ...जायेगा। इन निर्देशों से स्थानीय जिला प्रशासन, खाद्य अधिकारी एवं अन्य संबंधित एजेंसियों ...अवगत करायें।

...– उपरोक्तानुसार

(कौशलेन्द्र सिंह)
प्रबंध संचालक

...सी/2012/572 रायपुर दिनांक 02.11.2012

...सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लिमि. मुख्यालय ...र।
..., खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय रायपुर।
...श, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय रायपुर।
...टर ....समस्त।

प्रबंध संचालक

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति
(एस.डी. देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
आश्रम परिसर कचहरी चौक मुख्यालय रायपुर

(83)

क्रमांक/क्यू सी/2006/748 रायपुर दिनांक 20-7-2006

प्रति,
जिला प्रबंधक
छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लि
जिला.....................

विषय:- उपार्जन एवं भण्डारण केन्द्रों में गुणवत्ता संबंधी जांच के संबंध में।

विषयान्तर्गत प्रायः देखा जा रहा है कि नागरिक आपूर्ति निगम के भण्डारण केन्द्रों में नमूने विभिन्न एजेंसियों व व्यक्तियों द्वारा लिये जा रहे है। जिला/केन्द्रों में पदस्थ कर्मचारीयों जिनको तकनीकी ज्ञान है, उनकी अनुपस्थिति में जांच कर्ता द्वारा चांवल का नमूना विधी से नहीं निकाला जाता है। जिसके कारण चांवल की गुणवत्ता के संबंध में अधिकारी द्वारा रिपोर्ट की विश्वसनीयता संदेह जनक होती है। निगम के द्वारा किये जा रहे चावल उपार्जन के नियंत्रण एवं इसकी प्रक्रिया की पारदर्शिता अत्यन्त आवश्यक है।

अतः एतद् द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम के उपार्जन केन्द्रों एवं भण्डारण केन्द्रों से चांवल गुणवत्ता की जांच हेतु नमूना लिए जाने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है।

नमूना लिए जाने हेतु कोई भी संस्था, अधिकारी एवं व्यक्ति इस आशय की सूचना संबंधीत उपार्जन/भण्डारण केन्द्रों के प्रभारी एवं तकनीकी कर्मचारी को देगा।

केन्द्र प्रभारी या तकनीकी कर्मचारी को सूचना प्राप्त होने पर उस संस्था, व्यक्ति एवं अधिकारी की सूचना का विवरण एक पंजी में दर्ज करेगा तथा वैज्ञानिक विधि (एक स्टेक के चारो तरफ से जिक-जैक विधी से लगभग 6-7 फीट तक परखी से एवं उपरी भाग से क्रास विधि जिसका चित्र पत्र के साथ संलग्न है।)से नमूना निकालेगा, नमूना निकाले जाते समय खाद्य विभाग, निगम अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत किसी ऐसे अधिकारी का उपस्थित रहना आवश्यक है जिसे नमूना निकालने की वैज्ञानिक विधि ज्ञात हो।

जब भी चावल का नमूना निकाला जाएगा, उसके 03 सेम्पल तैयार किये जावेंगे। एक नमूना नमूना चाहने वाले व्यक्ति या जांच कर्ता को दियां जावेगा, शेष 02 नमूना शाखा/जिला कार्यालय में ही रखा जावेगा। जांच कर्ता के द्वारा नमूना लेजाकर विश्लेषण के पश्चात् रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित किये जाने के उपरान्त अगर नमूना का चावल अमानक स्तर का पाया जाता है तो उक्त शेष 02 नमूनें जो शाखा या जिला कार्यालय में रखे गये थे, उन में से एक नमूना का मुख्यालय स्थिति प्रयोगशाला में विश्लेषण कराया जायेगा एवं दोनो रिपोर्ट की तुलना की जायेगी, जिसके आधार पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

चांवल का नमूना लेने वाला संस्था अधिकारी या व्यक्ति उपरोक्त प्रक्रिया पालन नहीं है ऐसी स्थिति में चांवल के लिये गये नमूने के रिपोर्ट को मान्य नहीं किया जावेगा।

प्रबंध संचालक

क्रमांक/क्यू सी/2006/ 748 A रायपुर दिनांक, 20-7-2006

प्रतिलिपि-1 निज सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लि. मुख्यालय रायपुर

2 सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

3 कलेक्टर समस्त.........................

4 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभाक्ता संरक्षण, संचालनालय, आन्नद नगर, रायपुर।

5 महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम वरिष्ठ क्षेत्रीय कार्यालय, कापा, रायपुर।

6 महाप्रबंधक(उपार्जन/साविप्र/प्रशासन/क्यू.सी.), छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लि.मुख्यालय रायपुर।

प्रबंध संचालक

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू.
रायपुर (छ.ग.)

(90)

(84)

(84)

ध्वज – स

छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

...म परिसर, कचहरी चौक, मुख्यालय – रायपुर

...नि0 75 रायपुर दिनांक 08.2006

// परिपत्र //

नागरिक आपूर्ति निगम के चावल स्कंध से नमूना निकालने की प्रकिया, नमूना का परीक्षण उपरांत अमानक स्तर के चावल के लाटस् के पहचान की प्रकिया ।

एतद् द्वारा उपरोक्त के संबंध में निम्नानुसार प्रकिया निर्धारित की जाती है:--

...क से नमूना लेने की प्रक्रिया –

छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के स्कंध का नमूना लेने की प्रकिया प्रबंध संचालक, छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर के पत्र क्र0/क्यू0सी0/06/748 दिनांक 20. . . के द्वारा स्पष्ट किया गया है, सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की प्रतियाँ संलग्न है । उक्त पत्र में वर्णित प्रकिया का पालन नमूना लेने समय किया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत –

1 किसी स्टाक से जिगज़ेक पद्धति से रेण्डम आधार पर नमूना निकाला जाना चाहिए । (संलग्न चित्र अनुसार)

2 स्टाक से नमूना निकालते समय तीन नमूने तैयार किये जाने चाहिए । प्रत्येक नमूना लगभग आधा किलो मात्रा का होना चाहिए । जिसमें से एक नमूना, नमूना लेने वाले के द्वारा भारतीय खाद्य निगम की संबंधित प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजा जाना चाहिए । शेष 2 में से एक नमूना छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के व एक नमूना राज्य भण्डार गृह निगम के गोदाम प्रभारी के पास रखा जाना चाहिए ।

3 लिये गये नमूने को नमूना लेने वाले दल के द्वारा सील बंद किया जाना चाहिए ।

4 नमूना लेने वाले दल में छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड/राज्य भण्डार गृह निगम अथवा खाद्य विभाग के एक अधिकारी अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना चाहिए, ताकि रेण्डम आधार पर नमूना निकालने की पद्धति सुनिश्चित की जा सके ।

5 नमूना लेने वाले दल के द्वारा नमूना सील बंद करने के पूर्व नमूने की थैली में संयुक्त हस्ताक्षर युक्त एक पर्ची डाली जानी चाहिए, जिसमें गोदाम परिसर का नाम/गोदाम का कमांक/स्टेट क0 जिससे नमूना लिया गया/चावल का प्रकार (अरवा/उसना तथा मोटा/पतला)

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

सेंपल निकालने की तिथी तथा बारदानों की संख्या अंकित किया जाना चाहिए ।

07 जिन बोरों से नमूना लिया गया उन पर परखी लगाए गए स्थान को लाल रंग से घेर दिया जाए ।

08 निकाले गये नमूने को पहले पारदर्शी पॉलिशीन बैग में पर्ची डालकर ... दिया जाए । तद उपरांत इस थैली को कपडे की थैली में सील लिया जावे तथा कपडे की थैली पर भी पर्ची में अंकित सभी प्रविष्टियॉ अंकित की जाएं । छ0ग0 राज्य भण्डार गृह निगम की प्रत्येक गोदाम में इस प्रकार लिये जाने वाले नमूनों को नमूना पंजी में संधारित कराया जावे । नमूना लेने वाले दल द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जावे कि गोदाम में संधारित नमूने के पंजी में विभिन्न नमूने का विवरण दर्ज कर दिया गया है ।

02 स्टेक से निकाले गए नमूना का परीक्षण ।

नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक का उत्तरदायित्व है कि वे भारतीय खाद्य निगम की प्रयोगशाला से सतत् संपर्क में रहे व सतत् रूप से लिये गये सेम्पल की रिपोर्ट प्राप्त करें एवं परीक्षण हेतु शेष नमूनों की संख्या का विवरण ... । जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम यह भी ध्यान रखें कि सामान्यतः ... नमूने का परीक्षण नमूना लेने की तिथि से 07 दिवस के भीतर संपन्न हो जावे

03 नमूना अमानक स्तर का होने पर की जाने वाली प्रकिया

1 नमूना अमानक स्तर का होना पाये जाने पर सर्वप्रथम जिला प्रबंधक का ... उत्तरदायित्व होगा कि वे तत्काल स्टाक में से लिये गये नमूने में से एक नमूने को निगम के तकनीकी सहायक की उपस्थिति में पुनः भारतीय खाद्य निगम की प्रयोगशाला में गुणवत्ता विश्लेषण करायें जिला प्रबंधक द्वारा तत्काल इसकी सूचना मुख्यालय को दी जावे एवं गोदाम प्रभारी के पास रखे सेम्पल को मुख्यालय स्तर प्रयोगशाला में भेजा जावे, मुख्यालय स्तर पर पदस्थ अधिकारियों का दायित्व होगा कि वे सूचना प्राप्त होने पर 02 दिवस के भीतर सेम्पल प्राप्त कर परीक्षण कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करावें तथा जिला प्रबंधक को भी सूचित करें ।

2 यह स्पष्ट हो जाने पर कि स्टेक में अमानक स्तर का चावल है जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम स्टेक में जिन राईस मिलर का चावल जमा है उन्हें तिथि नियत कर सूचना देगा कि वे नियत तिथि में उपस्थित होकर स्वयं के खर्चे पर अपने लाट की छटनी स्टेक से करायें तथा इस प्रकार छटनी के उपरांत लाटवार सेम्पल मिलर की उपस्थिति में पुनः उसी प्रकिया के अनुसार निकाला जावे जो प्रकिया स्टेक से सेम्पल निकालने हेतु उल्लेखित की गई है ।

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

(86)

(48)

यदि मिलर जिला प्रबंधक, छ०ग० स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित नहीं होता है तो भी लाटवार सेम्पल निकाला

अमानक स्टेक से राइस मिलर का ... कार्पोरेशन व संबंधित राईस मिलर के नागरिक आपूर्ति निगम, स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन व संबंधित राईस मिलर के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से कलेक्टर का एक प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा, तथा कलेक्टर के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा भी सभी नमूना व पंजियों में यह तथ्य का सत्यापन किया जायेगा। कि सेम्पल निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही निकाला गया है। नमूना पर्चियों में संबंधित राईस मिलर (उपस्थित रहने की दशा में) तथा कलेक्टर के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से कराए जाएं।

04 लाटवार निकाले गए सेम्पाल की जॉच –

जिला प्रबंधक के द्वारा इस प्रकार निकाले गया सेम्पल उसी दिन कलेक्टर के प्रतिनिधि के सामने सेम्पल निकाले जाने के तत्काल उपरांत विश्लेषण किया जायेगा। परंतु यह विश्लेषण उस प्रदाय केन्द्र पर संबंधित लाट को जमा कराने के समय पर पदस्थ तकनीकी सहायक के द्वारा नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला प्रबंधक जिले में उपलब्ध किसी भी अन्य तकनीकी सहायक से अथवा आवश्यकतानुसार मुख्यालय स्तर से तकनीकी सहायक की व्यवस्था करेगा।

05 नमूना के परीक्षण के उपरांत जिन राईस मिलर का चावल मानक स्तर का पाया जाता है उनके लाट के बोरे पुनः स्टेक में लगाये जायेंगे। स्टेक खोलने, बोरों की छटनी एवं मानक स्तर के चावल के बोरों को स्टेक में पुनः लगाने का व्यय भी उन राईस मिलर के मध्य बराबर आरोपित एवं वसूल किया जावेगा जिनका चावल अमानक स्तर का पाया गया है। यह हैण्डलिंग व्यय अमानक स्तर के चावल जमा करने वाले राईस मिलर पर उनके द्वारा संबंधित स्टेक में जमा किये गये चावल की बोरियों के अनुपात में निर्धारित किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

(विकास शील)
प्रबंध संचालक

रायपुर, दिनांक 08.08.2006

क्रमांक/प्रसं/निरा/06/78
प्रतिलिपि–
1 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय रायपुर।
2 महाप्रबंधक/प्रबंधक (समस्त) छ०ग० स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय रायपुर।
3 जिला प्रबंधक, छ०ग० स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड समस्त।

प्रबंध संचालक

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवरथले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

22

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 4-5/खाद्य/2013/29/2380 रायपुर, दिनांक 25 सितंबर, 2013

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः— खरीफ विपणन वर्ष 2013-14 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग नीति विषयक ।

खरीफ वर्ष 2013-14 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 से प्रारंभ होगा । खरीफ वर्ष 2013-14 में समर्थन मूल्य पर 72.13 लाख मेट्रिक टन धान का उपार्जन अनुमानित है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं भारत सरकार की अन्य योजनाओं तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए हमारे प्रदेश को लगभग 24 लाख मेट्रिक टन चावल की वार्षिक आवश्यकता है । अतः धान की आवक को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त योजनाओं के लिए आवश्यक लगभग 24 लाख मेट्रिक टन चावल के लिए लगभग 36 लाख मेट्रिक टन धान कस्टम मिलिंग हेतु मार्कफेड द्वारा रखा जाएगा । शेष धान का चावल बनाकर भारतीय खाद्य निगम को अंतरित किया जाएगा । उपार्जित धान के त्वरित निराकरण हेतु कस्टम मिलिंग की प्रकिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है —

1. सी.एम.आर. डिलेवरी समयावधि —

खरीफ वर्ष 2013-14 के दौरान कस्टम मिलिंग के उपरांत निर्मित चावल के छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन अथवा भारतीय खाद्य निगम को डिलीवरी की समयावधि 1 अक्टूबर, 2013 से 30 सितंबर, 2014 तक होगी ।

2. सी.एम.आर. उपार्जन एजेंसी —

2.1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य कल्याणकारी योजनाओं तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना हेतु राज्य के लिए आवश्यक चावल का उपार्जन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा किया जाएगा । जिलेवार कस्टम मिलिंग चावल का लक्ष्य पृथक से सूचित किया जायेगा ।

2.2. छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा भारत सरकार की योजनाओं तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए उपार्जित चावल का पृथक-पृथक लेखा संधारित किया जाएगा ।

2.3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत

(एस.डी. देवरथले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

जायेगी । यह राशि छः माह की मिलिंग क्षमता से अतिरिक्त मिलिंग कर जमा किये गये चावल की मात्रा के धान पर प्रदाय की जायेगी ।

5. कस्टम मिलिंग प्रकिया –

खरीफ वर्ष 2013–14 में कम्प्यूटरीकृत प्रकिया के माध्यम से समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की मिलिंग का कार्य पूर्ण किया जाएगा । खरीफ वर्ष 2013–14 में कस्टम मिलिंग हेतु प्रकिया निम्नानुसार होगी –

5.1 कस्टम मिलिंग हेतु मिल पंजीयन अनिवार्य रहेगा तथा मात्र पंजीकृत मिलों को ही कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति कलेक्टर द्वारा दी जाएगी । प्रत्येक मिल में विद्युत कनेक्शन स्थापित है इसका प्रमाणीकरण विद्युत मंडल के द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाए । ऐसी राईस मिलें जिनके संचालक द्वारा राज्य शासन के कस्टम मिलिंग निर्देशों का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित होता है अथवा विगत 3 वर्षो में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध में दोषसिद्ध पाए गए हैं, को पंजीकृत नहीं किया जाये तथा उन्हें कस्टम मिलिंग की अनुमति नहीं दी जाये। कृपया यह सुनिश्चित करें कि जिले के सभी मिलों का पंजीयन दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 तक पूर्ण हो जाए । तथापि मिलों के पंजीयन की सुविधा धान उपार्जन अवधि के दौरान भी जारी रहेगी । राईस मिलों के पंजीयन हेतु विस्तृत शासन निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे ।

5.2 खरीफ वर्ष 2013–14 में कस्टम मिलिंग हेतु मार्कफेड द्वारा संचालित किसान राईस मिलों को धान प्रदाय किया जा सकेगा, किन्तु इसके लिए किसान मिल का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।

5.3 पंजीकृत मिल द्वारा आवेदन (लिखित अथवा ऑनलाईन) करने पर मिल को धान कस्टम मिलिंग की अनुमति मिल की क्षमता के आधार पर पहली अनुमति दो माह की मिलिंग क्षमता के बराबर (1 मेट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली मिल हेतु 800 मेट्रिक टन दो माह हेतु) अनिवार्य रूप से दी जावे एवं मिल को दिनांक 30.04.2014 तक चावल जमा करने एवं धान उठाने हेतु अवधि प्रदाय की जावे । मिल यदि दो माह की क्षमता से अधिक धान की अनुमति यदि एक ही बार में लेना चाहता है, तो उसे अनुमति प्रदाय की जावे । मिल की तीन माह की क्षमता की अनुमति प्रदान करने पर अनुबंध अवधि 7 माह, 4 माह की क्षमता की अनुमति प्रदान करने पर अनुबंध अवधि 8 माह, 5 माह की क्षमता की अनुमति प्रदान करने पर अनुबंध अवधि 9 माह, 6 माह की क्षमता की अनुमति प्रदान करने पर अनुबंध अवधि 10 माह एवं 6 माह की क्षमता से अधिक की अनुमति प्रदान करने पर अनुबंध अवधि 30 सितंबर 2014 तक प्रदाय किया जावे । किसी भी स्थिति में अनुबंध की अवधि 30 सितंबर 2014 से अधिक प्रदाय न की जावे । एक मिलिंग सीजन में मिल की वार्षिक मिलिंग क्षमता तक अनुबंध करने की अनुमति दी जा सकेगी । किसी भी मिल से अगला अनुबंध करने के पूर्व पिछले अनुबंध की मिलिंग पूरी

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू. / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

5.11 मिलर यदि अनुमति में उल्लेखित पतला धान की मात्रा के विरूद्ध यदि मोटा धान का उठाव करना चाहता है, तो मिलर के द्वारा मोटा चावल जमा कराकर मोटा धान का उठाव किया जा सकता है ।

5.12 धान के उठाव हेतु पूरा स्टेक हस्तांतरित किया जावे । किसी भी स्थिति में मिलर्स को स्टेक तोड़कर अथवा बोरों की छटाई कर धान जारी नहीं किया जावे ।

5.13 धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग प्रकिया के कम्प्यूटरीकरण किए जाने के उपरांत से मिलर को धान के प्रदाय हेतु डिलेवरी आर्डर एवं अन्य आवश्यक एकरूप अभिलेख कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं । मार्कफेड द्वारा ऐसे आवश्यक अभिलेखों को एकरूप प्रारूप में आवश्यक संख्या में मुद्रित कराकर जिलों को उपलब्ध कराया जाए ताकि यदि किसी अपरिहार्य कारण से किसी अभिलेख को मेनुअल रूप में जारी किया जाना हो तो पूरे राज्य में इसकी एकरूपता बनी रहे ।

5.14 कस्टम मिलिंग पश्चात मिलर चावल की डिलेवरी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन या भारतीय खाद्य निगम को निकटतम चावल उपार्जन केन्द्र पर देंगे । छत्तीसगढ़ स्टेट सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा जिस जिले का मिलर है उसी जिले के निकटतम चावल उपार्जन केन्द्र में चावल प्राप्त किया जावे । जिले में गोदाम में स्थान का अभाव होने की स्थिति में संलग्न **परिशिष्ट– 2** अनुसार अन्य जिले के निकटतम गोदाम में चावल जमा कराया जावे । परिशिष्ट में उल्लेखित जिले के अतिरिक्त यदि किसी जिले में उपरोक्तानुसार अन्य जिले के निकटतम गोदाम में चावल जमा कराये जाने की आवश्यकता यदि है, तो संबंधित जिले के कलेक्टर, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को प्रस्ताव भेजेगा । प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन उक्त प्रस्ताव पर आदेश जारी कर सकेगें ।

5.15 चावल की कमी वाले जिलों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य शासकीय योजनाओं हेतु आवश्यक चावल की आपूर्ति आधिक्य वाले जिलों से परिवहन कराकर की जावे ।

5.16 मिलर्स से अनुबंध में मिलिंग हेतु निर्धारित अवधि में ही मिलिंग कार्य अनिवार्यतः पूरा कराया जावे । आकस्मिक परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा अनुबंध में वृद्धि हेतु प्रस्ताव प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को भेजा जावेगा, जिसमें अनुबंध में वृद्धि का कारण उल्लेखित हो । प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर गुण--दोष के आधार पर अनुबंध में वृद्धि की कार्यवाही की जावेगी । बिना युक्तियुक्त कारण के धान की मिलिंग में विलंब को रोकने हेतु अनुबंध में दण्ड का प्रावधान रखा जावे । अनुबंध अवधि की वृद्धि खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिये ही की जा सकेगी ।

5.17 मिलर को धान की अरवा मिलिंग पर 67 प्रतिशत एवं उसना मिलिंग पर 68 प्रतिशत

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू. / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

हेतु निर्धारित दर के आधार पर किया जावे । भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा करने पर परिवहन व्यय का भुगतान भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियमानुसार किया जायेगा ।

7.2 समिति स्तर से मिलर्स द्वारा धान उठाव पर लोडिंग–अनलोडिंग का 4 रूपये प्रति क्विंटल की कटौती नहीं की जायेगी । संग्रहण केन्द्र से धान उठाव करने पर लोडिंग–अनलोडिंग हेतु 4 रूपये प्रति क्विंटल की राशि परिवहन व्यय में से कटौती की जावे । कस्टम मिलिंग चावल के परिवहन देयकों में 4 रूपये प्रति क्विंटल की कटौती लोडिंग–अनलोडिंग व्यय के रूप में किया जावे ।

7.3 समितियों से सीधे मिलर्स को कस्टम मिलिंग के लिए धान प्रदाय हेतु प्रत्येक समिति से मिल की दूरी के मान से एक नक्शा इस प्रकार तैयार करें कि न्यूनतम परिवहन व्यय के साथ ही परिवहन करने में कम समय लगे । जिले की सीमावर्ती समितियों से यदि जिले के भीतर की मिलों की दूरी अधिक हो और सीमावर्ती जिले में कम दूरी पर मिलें उपलब्ध हों तो, न्यूनतम व्यय अनुसार अनुबंध किया जाए । जिले में उपलब्ध राईस मिलों की क्षमता के आधार पर वहां भण्डारित धान की कस्टम मिलिंग का कार्य कराया जाए । जिले के धान का निराकरण होने पर विगत वर्ष की भांति समीपवर्ती जिलों के कलेक्टर एवं प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ से चर्चा कर वहां उपलब्ध धान की कस्टम मिलिंग कराई जाए ।

7.4 संग्रहण केन्द्र से कस्टम मिलर्स को धान इस प्रकार दी जावे कि परिवहन व्यय न्यूनतम हो । मिलर्स के नजदीक जो संग्रहण केन्द्र है प्रथमतः उन केन्द्रों से कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति दी जावे । नजदीक के संग्रहण केन्द्रों का धान समाप्त होने पर अगले नजदीक के संग्रहण केन्द्रों से कस्टम मिलिंग हेतु धान दी जावे ।

7.5 मिलर द्वारा संग्रहण केन्द्रों से धान उठाव करने पर धरमकांटा में तौल का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किया जावेगा ।

8. समितियों से धान का सीधे उठाव –

8.1 विगत वर्ष की भांति उपार्जन केन्द्रों से सीधे मिलर्स को अधिक से अधिक धान मिलिंग हेतु प्रदाय किया जावे जिससे भण्डारण, परिवहन एवं सूखत आदि मदों में मितव्ययता सुनिश्चित हो सके । समितियों में उपार्जित धान को सीधे कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स को देने की निम्नानुसार व्यवस्था की जावे –

8.1.1 पंजीकृत चावल मिलों को सबसे नजदीक की सहकारी समितियों से संबद्ध किया जावे और उन समितियों में उपार्जित धान का पूरा निराकरण होने तक उन मिलर्स को अन्य स्थान से धान न दिया जाए ।

8.1.2 मिलों का समितियों से संबद्धीकरण, समितियों की मिलों से दूरी, समितियों में उपार्जित धान की मात्रा एवं मिल की मिलिंग क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

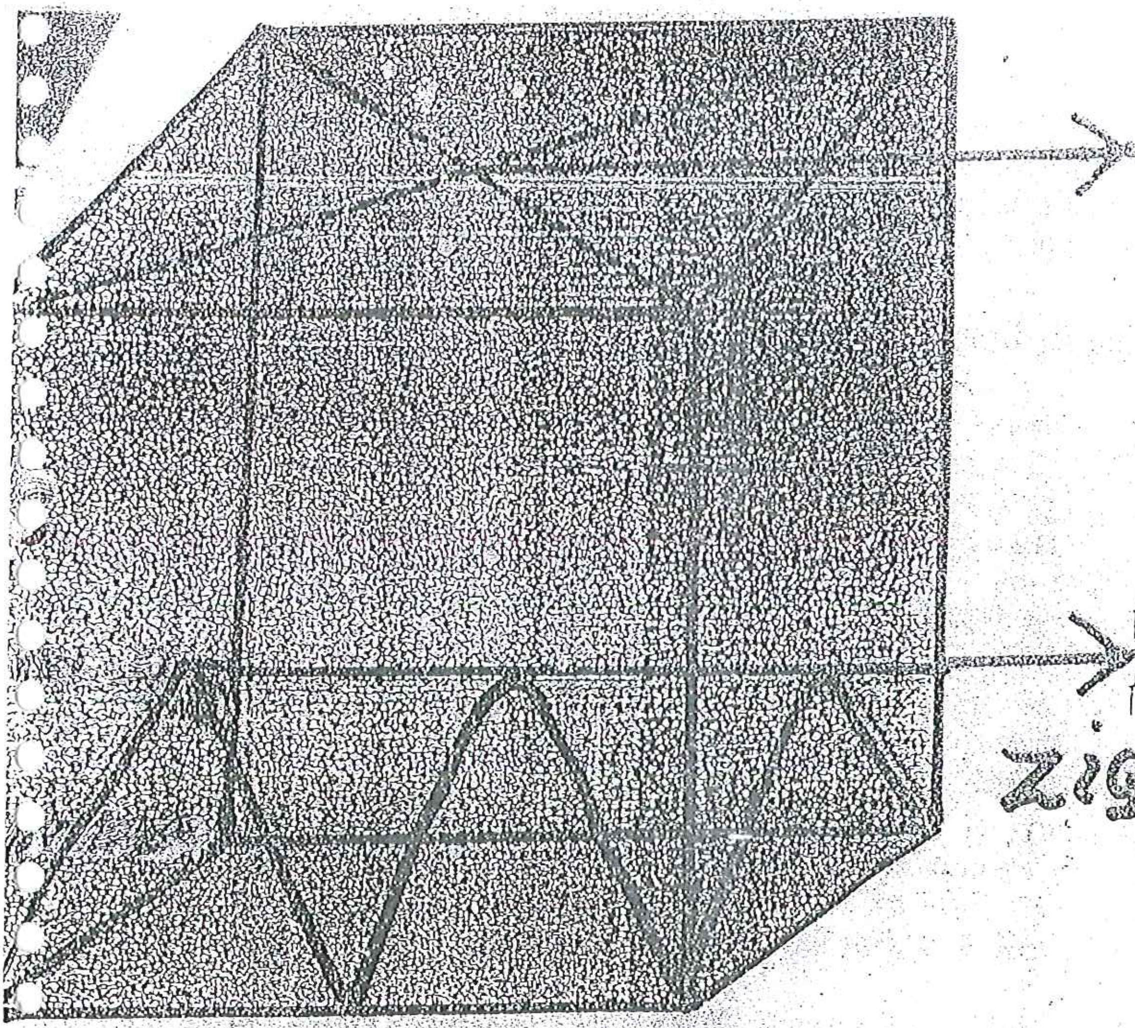

स्टेक

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सेंपल निकालने की तिथी तथा बारदानों की संख्या अंकित किया जाना चाहिए ।

जिन बोरों से नमूना लिया गया उन पर परखी लगाए गए स्थान को लाल रंग से घेर दिया जाए ।

निकाले गये नमूने को पहले पारदर्शी पॉलिथीन बैग में पर्ची डालकर [illegible] लिया जाए । तद उपरांत इस थैली को कपड़े की थैली में सील किया जावे तथा कपड़े की थैली पर भी पर्ची में अंकित सभी प्रविष्टियाँ अंकित की जाए । छ0ग0 राज्य भण्डार गृह निगम की प्रत्येक गोदाम में इस प्रकार लिये जाने वाले नमूनों को नमूना पंजी में संधारित कराया जावे । नमूना लेने वाले दल द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जावे कि गोदाम में संधारित नमूने के पंजी में विभिन्न नमूने का विवरण दर्ज कर दिया गया है ।

02 स्टेक से निकाले गए नमूना का परीक्षण ।

[illegible] नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक का उत्तरदायित्व है कि वे भारतीय खाद्य निगम की प्रयोगशाला से सतत संपर्क में रहे व सतत रूप से लिये गये [illegible] नमूनों की संख्या का विवरण [illegible] की रिपोर्ट प्राप्त करें एवं परीक्षण हेतु शेष नमूनों की संख्या का विवरण [illegible] जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम यह भी ध्यान रखे कि सामान्यतः [illegible] परीक्षण नमूना लेने की तिथि से 07 दिवस के भीतर संपन्न हो [illegible]

03 नमूना अमानक स्तर का होने पर की जाने वाली प्रकिया

1 नमूना अमानक स्तर का होना पाये जाने पर सर्वप्रथम जिला प्रबंधक [illegible] का उत्तरदायित्व होगा कि वे तत्काल स्टाक में से लिये गये नमूने में से एक [illegible] नागरिक आपूर्ति निगम के तकनीकी सहायक की उपस्थिति में पुनः भारतीय खाद्य निगम की प्रयोगशाला में गुणवत्ता विश्लेषण करायें जिला प्रबंधक द्वारा तत्काल इसकी [illegible] की दी जावे एवं गोदाम प्रभारी के पास रखे सम्पल को मुख्यालय स्तर [illegible] प्रयोगशाला में भेजा जावे, मुख्यालय स्तर पर पदस्थ अधिकारियों का दायित्व होगा कि वे सूचना प्राप्त होने पर 02 दिवस के भीतर सेंपल प्राप्त कर परीक्षण कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करावें तथा जिला प्रबंधक को भी सूचित करें ।

2 यह स्पष्ट हो जाने पर कि स्टेक में अमानक स्तर का चावल है जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम स्टेक में जिन राईस मिलर का चावल जमा हैं उन्हें तिथि नियत कर सूचना देगा कि वे नियत तिथि में उपस्थित होकर स्वयं के खर्चे पर अपने लाट की छटनी स्टेक से करायें तथा इस प्रकार छटनी के उपरांत लाटवार सेंपल मिलर की उपस्थिति में पुनः उसी प्रकिया के अनुसार निकाला जावे जो प्रकिया स्टेक से सेम्पल निकालने हेतु उल्लेखित की गई है ।

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

(963)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड

बाल आश्रम परिसर कचहरी चौक मुख्यालय रायपुर

रायपुर दिनांक, 20-7-2006

क्रमांक/क्यू सी/2006/ 748

प्रति,

जिला प्रबंधक

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लि

समस्त.....................

विषयः- उपार्जन एवं भण्डारण केन्द्रों में गुणवत्ता संबंधी जांच के संबंध में।

विषयान्तर्गत प्रायः देखा जा रहा है कि नागरिक आपूर्ति निगम के भण्डारण केन्द्रों में चावल के नमूने विभिन्न एजेंसियों व व्यक्तियों द्वारा लिये जा रहे है। जिला/केन्द्रों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारीयों जिनको तकनीकी ज्ञान है, उनकी अनुपस्थिति में जांच कर्ता द्वारा चावल का नमूना वैज्ञानिक विधी से नहीं निकाला जाता है। जिसके कारण चावल की गुणवत्ता के संबंध में अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट की विश्वसनीयता संदेह जनक होती है। निगम के द्वारा किये जा रहे चावल उपार्जन के गुणवत्ता नियंत्रण एवं इसकी प्रक्रिया की पारदर्शिता अत्यन्त आवश्यक है।

अतः एतद् द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम के उपार्जन केन्द्रों एवं भण्डारण केन्द्रों से चावल की गुणवत्ता की जांच हेतु नमूना लिए जाने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है।

1. नमूना लिए जाने हेतु कोई भी संस्था, अधिकारी एवं व्यक्ति इस आशय की सूचना संबंधित उपार्जन/भण्डारण केन्द्रो के प्रभारी एवं तकनीकी कर्मचारी को देगा।

2. केन्द्र प्रभारी या तकनीकी कर्मचारी को सूचना प्राप्त होने पर उस संस्था, व्यक्ति एवं अधिकारी की सूचना का विवरण एक पंजी मे दर्ज करेगा तथा वैज्ञानिक विधि (एक स्टेक के चारो तरफ से जिक-जेक विधी से लगभग 6-7 फीट तक परखी से, एवं उपरी भाग से क्रास विधि जिसका चित्र पत्र के साथ संलग्न है।)से नमूना निकालेगा, नमूना निकाले जाते समय खाद्य विभाग, निगम अथवा कलेक्टर द्वारा अधिकृत किसी ऐसे अधिकारी का उपस्थित रहना आवश्यक है जिसे नमूना निकालने की वैज्ञानिक विधि ज्ञात हो।

3. जब भी चावल का नमूना निकाला जाएगा, उसके 03 सेम्पल तैयार किये जावेंगे। एक नमूना, नमूना चाहने वाले व्यक्ति या जांच कर्ता को दिया जावेगा, शेष 02 नमूना शाखा/जिला कार्यालय मे ही रखा जावेगा। जांच कर्ता के द्वारा नमूना लेजाकर विश्लेषण के पश्चात रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित किये जाने के उपरान्त अगर नमूना का चावल अमानक स्तर का पाया जाता है तो उक्त शेष 02 नमूने जो शाखा या जिला कार्यालय में रखे गये थे, उन में से एक नमूना का मुख्यालय स्थिति प्रयोगशाला से विश्लेषण कराया जायेगा एवं दोनो रिपोर्ट की तुलना की जायेगी, जिसके आधार पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

चावल का नमूना लेने वाला संस्था अधिकारी या व्यक्ति उपरोक्त प्रक्रिया पालन नहीं करता है ऐसी स्थिति में चावल के लिये गये नमूने के रिपोर्ट को मान्य नहीं किया जावेगा।

प्रबंध संचालक

रायपुर दिनांक, 20-7-2006

क्रमांक/क्यू सी/2006/ 748 A

प्रतिलिपिः-1 निज सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लि. मुख्यालय रायपुर

2 सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

3 कलेक्टर समस्त..........................

4 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, संचालनालय, आन्नद नगर, रायपुर।

5 महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम वरिष्ठ क्षेत्रीय कार्यालय, कापा, रायपुर।

6 महाप्रबंधक(उपार्जन/साविप्र/प्रशासन/क्यू.सी.), छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लि.मुख्यालय रायपुर।

प्रबंध संचालक

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

09-06-2013 13:15 From: To:07714066214 P.1

परिशिष्ट - II (A)

(1)

To: D.S. Kushwaha, Officer C.G.S.C.S.C.

No.15(1)/2012-Py.III
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

Krishi Bhavan, New Delhi.
Dated the 16th April, 2013

To

The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttaranchal, Uttar Pradesh, West Bengal, Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Delhi and Pondicherry

Subject: Colour Coding of Gunny Bags to facilitate identification of crop year of stock for KMS 2013-2014

Sir,

I am directed to say that it has been decided to adopt BLUE Colour Coding for gunny bags for KMS 2013-14. The colour coding will be in the manner indicated below:

1. Colour coding or identification marking on every bag at a distance of about 150 mm away from any one side of the selvedge shall be in "Blue" colour;
2. Stencil or Branding as per indentors' requirements shall be in "Blue" colour;
3. Marking or stitching on the mouth of the bag after filling the grain will be done by the FCI/State Agencies in "Blue" colour;
4. A single blue stripe running along the length of the bag at the centre shall be kept unchanged.

Yours faithfully,

(K.C. Yadav)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 23384448

Rec/2.38
23/4/2013

Copy to:

1. Chairman, FCI, New Delhi.
2. ED (General), FCI, New Delhi.
3. ED (Procurement) FCI, New Delhi.
4. DD (QC), Deptt. of F&PD, New Delhi.
5. DG, DGS&D, New Delhi.
6. Jute Commissioner, Kolkata.
7. Chairman, IJMA, Kolkata.
8. DDG, DGS&D, Kolkata.

C.G. State Civil Supplies Corporation H.O. Raipur

(79) परिशिष्ट - I

छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

हितकाद भवन परिसर, अवंति विहार मुख्यालय--रायपुर

क्र./क्यू.सी./निर्देश/2011--12/145 रायपुर दिनांक 23.05.2012

प्रति,

जिला प्रबंधक
छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो.लिमि.
जिला--.............................. समस्त

विषय :-- कनिष्ठ तकनीकी सहायकों द्वारा चावल एवं मक्का उपार्जन के अतिरिक्त अन्य कार्य संपादित करने बाबत्।

संदर्भ :-- मुख्यालयीन आदेश क्र./क्यू.सी./निर्देश/2011--12/720 रायपुर दि. 16.9.2011

विषयांतर्गत संदर्भित आदेशानुसार कनिष्ठ तकनीकी सहायकों द्वारा चावल एवं मक्का उपार्जन के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य संपादित किये जायेंगे--

1. चावल/मक्का उपार्जन के पश्चात उसे गोदामों में स्टेकिंग करवाना।
2. प्रतिदिन प्राप्त होने वाले खाद्यान्न गेहूं, चावल, मक्का, चना का निरीक्षण करना एवं निरीक्षण नस्ती में आवश्यक एन्ट्री करना।
3. खाद्यान्न का कोई भी स्टेक ऊपर छत से या नीचे से पानी से प्रभावित न हो पाये, ऐसी व्यवस्था करवाना।
4. खाद्यान्न कीट से प्रभावित (Infested) न हो सकें, यदि कीट लगना प्रारंभ हो गया हो, तो तुरंत भण्डार गृह निगम को सूचित कर कीटोपचार कराकर खाद्यान्न को कीटमुक्त करें एवं मासिक प्रतिवेदन जिला कार्यालय को भेजें।
5. भण्डारण से पूर्व गोदामों का निरीक्षण करना कि गोदाम भण्डारण के योग्य हैं या नहीं एवं प्रतिवेदन देना।
6. चावल/गेहूं/मक्का के पाले की सफाई करवाकर निर्धारित मापदण्ड का हो जाने पर बोरों में भरवाना एवं स्टेकिंग करवाना।
7. स्टेक पर लगे स्टेक कार्ड में पाक्षिक निरीक्षण की एन्ट्री कर हस्ताक्षर करना।
8. मुख्यालय के पत्र क्र. क्यू.सी./निर्देश/2011/81, दिनांक 11/19.05.2011 द्वारा भेजे गये प्रारूप में निरीक्षण नस्ती संधारित करना।

दिनांक 18.05.2012 को जिला प्रबंधकों की बैठक में हुई चर्चानुसार तकनीकी कार्यों के अतिरिक्त आवश्यकता होने पर कनिष्ठ तकनीकी सहायकों को केन्द्र प्रभारी की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। समस्त कनिष्ठ तकनीकी सहायकों से उपरोक्तानुसार कार्यों का संपादन सुनिश्चित करावें।

कंपनी सचिव

क्र./क्यू.सी./निर्देश/2011--12/145A रायपुर दिनांक 23.05.2012

प्रतिलिपि:--

1. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लिमि. मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक महोदय, छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लिमि. मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. महाप्रबंधक(उपार्जन), छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लिमि. मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. प्रबंधक(साविप्र), छ.ग.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. लिमि. मुख्यालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

कंपनी सचिव

H Q C Letter i doc

Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd- Raipur (HO)

Requirement of Districtwise DCP Rice For Crop Year 2013-14 (Qty in Metric Tons)

S.L.	Districts	Target For Own Distt	LRT Target For Other Distt	Round Off Target for KMS 13-14	Transfer to Karnataka 2013-14	Total Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Raipur	109478	40000	149000	45000	194000
2	Baloda Bazar	138604	0	139000	30000	169000
3	Gariyaband	48432	0	48000	0	48000
4	Dhamtari	40422	0	40000	45000	85000
5	Mahasamund	106121	0	106000	30000	136000
6	Durg	70223	22000	92000	22500	114500
7	Balod	71928	0	72000	0	72000
8	Bemetara	80000	0	80000	0	80000
9	Rajnandgaon	138327	0	138000	30000	168000
10	Kawardha	80482	0	80000	0	80000
11	Bilaspur	187926	0	188000	15000	203000
12	Mungeli	72740	0	73000	0	73000
13	Janjgir	166149	16000	182000	37500	219500
14	Korba	70909	0	71000	0	71000
15	Raigarh	121630	40000	162000	45000	207000
16	Surguja	82254	0	82000	0	82000
17	Surajpur	63736	20000	84000	0	84000
18	Balrampur	35076	0	35000	0	35000
19	Korea	39320	0	39000	0	39000
20	Jashpur	74073	0	74000	0	74000
21	Bastar	64988	0	65000	0	65000
22	Kondagaon	40315	0	40000	0	40000
23	Narayanpur	9275	0	9000	0	9000
24	Kanker	32535	61000	94000	0	94000
25	Dantewada	10363	0	10000	0	10000
26	Sukma	9676	0	10000	0	10000
27	Beejapur	0	0	0	0	0
	Total	1964982	199000	2162000	300000	2462000

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

Guarantee Fee, if it is actually paid by the agencies to the State Government for obtaining credit, would be payable on actual basis, subject to a maximum of 1/8% of MSP worked out on the estimated quantity of paddy delivered to FCI procured under Price Support Scheme (PSS) for the Central Pool. *No interest on delayed payment on this account will be payable.*

Milling charges have been allowed @ Rs.10 per qtl. for raw and Rs.20 per qtl. for par-boiled rice, excluding Rs.5.00 per qtl. as transportation charges upto 8 kms from purchase centre to mill to FCI godowns on paddy as well rice.

The Custom Milled Rice would be delivered by the procuring agencies to FCI, in new 50 kg bags only, in its local godowns upto the scale point and the stacking in the FCI godown will be done by FCI.

The rate/cost of Custom Milled Rice (CMR) and other elements as indicated above are provisional. The State Government should send its claims for final incidentals alongwith accounts audited by the auditors appointed by the Comptroller and Auditor General and documentary proof and detailed justification for each item at the earliest after the end of the season.

To ensure proper utilization of funds/subsidy being released by the Government of India, the FCI may insist on previous year requisite certificates from the State Government and its agencies before release of incidentals on account of statutory charges i.e. Market Fee, RD Cess etc. as per past practice.

These rates/cost sheets are only for paddy/CMR procured by the State agencies/FCI and not for any other party acting either on behalf of such State agency or the FCI. These rates would not be benchmarked to fix rate for such parties.

This issues with the approval of the Integrated Finance Division vide their Dy. No.1934/FA/13 dated 15.10.2013.

Dated: 17.10.2013

Yours faithfully,

(Sanjay Kumar)
Under Secretary to the Government of India
Tele: (011) 23073798

Copy to:

1. The Executive Director (Procurement), FCI, 16-20, Barakhamba Lane, New Delhi-110001.
2. The Executive Director (Finance), FCI, 16-20, Barakhamba Lane, New Delhi-110001.
3. The Senior Regional Manager, FCI Regional Office-Chhattisgarh, Raipur.
4. The Director of Commercial Audit & Ex-Officio Member Audit Board – IV, 10 Bahadur Shah Zaffar Marg, New Delhi – 110002.
5. The Principal Director of Commercial Audit & Ex-Officio Member Audit Board – IV, North Zone, 2nd Floor, Khadya Sadan, 16-20, Barakhamba Lane, New Delhi-110001.
6. Adviser (Cost)/DS (Py. II)/DS (Finance)/US (Finance)/US(FC.A/Cs)
7. Guard File.

(Sanjay Kumar)
Under Secretary to the Government of India

C.G. STATE CIVIL ... H.O. RAIPUR

Annexure –II (Contd.)

No.192 (13)/2013-FC-A/cs
Government of India
Department of Food and Public Distribution
Provisional Rates of Custom Milled Rice (FAQ) retained for distribution under the decentralised procurement operations during the Kharif Marketing Season 2013-14 in respect of Government of Chhattisgarh and its agencies
****

(Rs/qtl)

S.No.	Items of incidentals	Raw rice		Par-boiled	
		Common	Grade 'A'	Common	Grade 'A'
A.	ACQUISITION COST				
1.	Cost of CMR	2408.78	2468.05	2370.48	2428.36
B.	DISTRIBUTION				
1.	Storage charges @Rs.5.40 per qtl. per month for 4 months (covered) #	21.60	21.60	21.60	21.60
2.	Handling & Transportation charges	33.62	33.62	33.62	33.62
3	Interest Charges @11.79% p.a. for 4 months on acquisition cost minus interest	93.03	95.32	91.55	93.79
4	Transit and Storage loss @0.35% of acquisition cost excluding cost of gunnies, internal transportation of gunnies and gunny depreciation.	8.04	8.25	7.90	8.11
5	Administrative Charges @ 2.5% of MSP of paddy equivalent to 1 qtl. of rice or actuals which ever is less for the quantity retained by the State Government for distribution under PDS	48.88	50.19	48.16	49.45
6	Total Distribution Cost	205.17	208.98	202.83	206.57
C	ECONOMIC COST OF CMR				
7	Acquisition cost+ Distribution cost (A+B)	2613.95	2677.03	2573.31	2634.93

Note: The Food Secretary of the State is required to give a certificate that the CMR has been kept under covered storage.

Custody and Maintenance Charges would be released on production of certificate by the State Government that these charges have been incurred by it.

Dated: 17.10.2013

(Sanjay Kumar)
Under Secretary to the Government of India

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES H.O. RAIPUR

72

No. 192(13)/2013-FC.A/Cs
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public distribution
Department of Food and Public Distribution

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated: 17th October, 2013.

To,

The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of Chhattisgarh,
Raipur.

पत्र क्रमांक 719 .... 21st october
सचिव, खाद्य, 2012
दिनांक 29.10/ 2012

Subject: Fixation of the Provisional rates of Custom Milled Rice (CMR) (FAQ) and cost of new 50 kg. Gunny Bags used by the Government of Chhattisgarh and its agencies for the procurement of Custom Milled Rice (FAQ) for the Central Pool and for DCP scheme during the Kharif Marketing Season 2013-14.

Sir,

I am directed to convey the approval of the Government of India for payment of the following provisional rates of Custom Milled Rice (CMR) (FAQ) and the economic cost for the Central Pool and DCP scheme under the price support operation to the Government of Chhattisgarh and its agencies during the Kharif Marketing Season 2013-14.

For Central Pool Operations:

(i) Incidentals for the stocks of CMR, which are handed over to the Food Corporation of India for the Central Pool (item wise details of procurement incidentals are enclosed at Annexure-I):

Commodity	Common	(Rs./qtl) Grade 'A'
Raw-rice	2389.96	2450.02
Par-boiled rice	2351.93	2410.59

(For central pool stocks for transportation of paddy from purchase centres/mandis to mills and for rice from mills to storage godowns, transportation charges from 0 kms onwards will be payable based on the rates fixed by the District Collectors of the State or FCI's rate whichever is lower.)

For DCP Operation

(ii) Economic Cost for the stocks of CMR retained by the State Government for distribution under the scheme of decentralised procurement operation (Item wise details of the economic cost are enclosed at Annexure-II):

Commodity	Common	(Rs./qtl.) Grade 'A'
Raw-rice	2613.95	2677.03
Par-boiled Rice	2573.31	2634.93

Note:

(i) **This costing is for new gunny bags only. In case procurement of paddy is done in once used gunnies, separate order will be issued for the same.**

2. The payment of commission to Societies will be subject to the conditions laid vide this Deptt.'s Order no. 192(4)/2003-FC A/Cs (Vol.II) dated 26.07.2013

3. In addition to the above, the following elements/items are also to be reimbursed to the State Government:

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

711 29/10/13

Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd- Raipur (HO)

quirement of Districtwise DCP Rice For Crop Year 2013-14 (Qty in Metric To

S.L.	Districts	RoundOff Target for KMS 13-14	Target State pool	Estimated paddy	Paddy State pool	Paddy Central pool	%age state pool
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Raipur	194000	47000	600000	70000	530000	12
2	Baloda Bazar	169000	108000	600000	161000	439000	27
3	Gariyaband	48000	12000	265000	18000	247000	7
4	Dhamtari	85000	46000	430000	69000	361000	16
5	Mahasamund	136000	73000	690000	109000	581000	16
6	Durg	114500	23000	350000	34000	316000	10
7	Balod	72000	23000	425000	34000	391000	8
8	Bemetara	80000	46000	395000	69000	326000	17
9	Rajnandgaon	168000	77000	450000	115000	335000	26
10	Kawardha	80000	30000	200000	45000	155000	23
11	Bilaspur	203000	87000	380000	130000	250000	34
12	Mungeli	73000	29000	225000	43000	182000	19
13	Janjgir	219500	108000	800000	161000	639000	20
14	Korba	71000	42000	80000	63000	17000	79
15	Raigarh	207000	77000	520000	115000	405000	22
16	Surguja	82000	29000	100000	43000	57000	43
17	Surajpur	84000	17000	120000	25000	95000	21
18	Balrampur	35000	35000	125000	52000	73000	42
19	Korea	39000	19000	60000	28000	32000	47
20	Jashpur	74000	22000	60000	33000	27000	55
21	Bastar	65000	10000	90000	15000	75000	17
22	Kondagaon	40000	3000	35000	12000	23000	34
23	Narayanpur	9000	2000	5000	3000	2000	60
24	Kanker	94000	1000	170000	1000	169000	1
25	Dantewada	10000	5000	7000	7000	0	100
26	Sukma	10000	7000	12000	10000	2000	83
27	Beejapur	0	0	19000	0	19000	0
	Total	2452000	983000	7213000	1465000	5748000	20

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

Chhattisgarh State Civil Supplies Corporation Ltd- Raipur (HO)

Requirement of Districtwise DCP Rice For Crop Year 2013-14 (Qty in Metric Tons)

S.L.	Districts	Target For Own Distt	LRT Target For Other Distt	Round Off Target for KMS 13-14	Transfer to Karnataka 2013-14	Total Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Raipur	109478	40000	149000	45000	194000
2	Baloda Bazar	138604	0	139000	30000	169000
3	Gariyaband	48432	0	48000	0	48000
4	Dhamtari	40422	0	40000	45000	85000
5	Mahasamund	106121	0	106000	30000	136000
6	Durg	70223	22000	92000	22500	114500
7	Balod	71928	0	72000	0	72000
8	Bemetara	80000	0	80000	0	80000
9	Rajnandgaon	138327	0	138000	30000	168000
10	Kawardha	80482	0	80000	0	80000
11	Bilaspur	187926	0	188000	15000	203000
12	Mungeli	72740	0	73000	0	73000
13	Janjgir	166149	16000	182000	37500	219500
14	Korba	70909	0	71000	0	71000
15	Raigarh	121630	40000	162000	45000	207000
16	Surguja	82254	0	82000	0	82000
17	Surajpur	63736	20000	84000	0	84000
18	Balrampur	35076	0	35000	0	35000
19	Korea	39320	0	39000	0	39000
20	Jashpur	74073	0	74000	0	74000
21	Bastar	64988	0	65000	0	65000
22	Kondagaon	40315	0	40000	0	40000
23	Narayanpur	9275	0	9000	0	9000
24	Kanker	32535	61000	94000	0	94000
25	Dantewada	10363	0	10000	0	10000
26	Sukma	9676	0	10000	0	10000
27	Beejapur	0	0	0	0	0
	Total	1964982	199000	2162000	300000	2462000

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

मक्का के लिए एक-समान विनिर्दिष्टियां
(विपणन मौसम 2013-14)

मक्का शुष्क और जिया मेज के पक्के दाने होंगे। इसका रूप और रंग एक समान होगा। यह विक्रय योग्य ठोस होगा और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

मक्का मीठा, कठोर, साफ, सम्पूर्ण और किसी भी रूप में आर्जिमोन मेक्सिकाना, लेथिरस सेटिबस (खेसरी), रंजक तत्वों, फफूंदी, घुनों, दुर्गन्ध, एवं विषाक्त तत्वों के सम्मिश्रण और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित सीमाओं को छोडकर सभी प्रकार की अन्य अशुद्धताओं से मुक्त होगा।

विनिर्दिष्टियों की अनुसूची

क्रम संख्या	अपवर्तन	अधिकतम सीमा (प्रतिशत)
1	विजातीय तत्व•	1.0
2	अन्य खाद्यान्न	2.0
3	क्षतिग्रस्त दाने	1.5
4	मामूली रूप से क्षतिग्रस्त और बदरंग और लगे हुए दाने	4.5
5	सिकुड़े और कच्चे दाने	3.0
6	घुने दाने	1.0
7	नमी	14.0

• भार द्वारा खनिज तत्व 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे और भार द्वारा जीवजनित अशुद्धियां 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।

नोट:

1. उपर्युक्त अपवर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधि का अनुसरण समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की खाद्यान्नों का विश्लेषण करने की विधि संख्या आईएस-4333 (भाग-1):1996, आईएस-4333 (भाग-2):2002 और खाद्यान्नों की शब्दावली आईएस-2813-1995 में दी गई विधि के अनुसार करना होगा।
2. नमूने लेने की इस विधि का अनुसरण समय समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की "अनाजों और दालों के नमूने लेने की विधि" संख्या आईएस-14818-2000 के अनुसार करना होगा।
3. "विजातीय तत्वों" के लिए 1.0 प्रतिशत की समूची सीमा के अंदर रहते हुए विषाक्त बीज 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे, जिसमें से धतूरे और अकरा के बीज (वीसिया प्रजातियां) क्रमशः 0.025 और 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।
4. मक्का का छोटा आकार, यदि वह अन्यथा पूर्ण रूप से विकसित होता है तो इसे सिकुड़ा हुआ और अपरिपक्व अनाज नहीं समझा जाना चाहिए।

****

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

(64)

15. उपार्जित मक्का समितियों द्वारा परिवहन कराकर, निगम के भंडारण केन्द्रों पर परिदान दी जावेगी। समिति से भंडारण केन्द्रों तक परिवहन हेतु परिवहन व्यय राशि जिले में धान उपार्जन हेतु संबंधित समिति के लिये निर्धारित परिवहन दर अनुसार देय होगा। समिति द्वारा भण्डारण केन्द्र में जमा कराये गये मक्का के लिए एक्सप्टेंस नोट जिला प्रबंधक के पास प्रस्तुत किया जावेगा, इसके आधार पर जिला प्रबंधक द्वारा परिवहन व्यय राशि का भुगतान, जिला सहकारी बैंक में संचालित निगम के खाते में जमा राशि से भुगतान किया जावेगा।

16. जिला प्रबंधक से अपेक्षा है कि वे समितियों से भंडारण हेतु प्राप्त होने वाले मक्का के लिए गोदामों में स्थान हेतु आरक्षण की आवश्यकता का आकलन कर ले, व छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम से लिया जावें।

17. मक्का उपार्जन हेतु समिति को भारत सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन देय होगा। उपार्जन अवधि की समाप्ति के उपरांत समितियों से उपार्जन का लेखा 15 दिवस के भीतर होने पर राशि का भुगतान जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से किया जावें।

18. जिले में समर्थन मूल्य अंतर्गत उपार्जित मक्का का हिसाब-किताब पूर्व निर्धारित पंजियों के प्रारूप में संधारण कराया जावे तथा जिले से प्रतिदिन उपार्जित मक्का की जानकारी निगम मुख्यालय को उपलब्ध कराई जावे, साथ ही शासन के वेबसाइट पर जिले में प्रतिदिन उपार्जित मक्का की प्रविष्टि कराई जावें।

शासन द्वारा जारी संदर्भित पत्र में उल्लेखित निर्देशों/व्यवस्था अंतर्गत उपरोक्त निर्देशों का पालन करते हुए संबंधितों से जिले में उपार्जन व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(कौशलेन्द्र सिंह)
प्रबंध संचालक

क्रमांक/मक्का/उपार्जन/2013-14/257 A रायपुर, दिनॉक 28/09/2013

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 मुख्यालय रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्त संरक्षण विभाग मंत्रालय नया-रायपुर।
3. आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, ब्लाक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, संचालनालय नया-रायपुर।
4. प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. रायपुर, मक्का उपार्जन हेतु उपयोगी बारदाने कृपया उपलब्ध करायें।
5. कलेक्टर .... समस्त छत्तीसगढ़ की ओर।
6. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, कोपा रायपुर।
7. कंपनी सचिव, (क्यू.सी.) प्रबंधक, (साविप्र) लेखाधिकारी, (अंकेक्षण), छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 मुख्यालय की ओर समुचित निर्देश प्रसारण हेतु।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित .... समस्त।
9. जिला विपणन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित .... समस्त।

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

प्रबंध संचालक

(62)

परिशिष्ट– 2

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन में चावल जमा कार्य योजना

क्र.	जिले जहां से मिलर्स द्वारा चावल जमा किया जायेगा	ज़िले जहां पर चावल जमा करना प्रस्तावित है
1.	सरगुजा	सूरजपुर (प्रतापपुर, विश्रामपुर) बलरामपुर (रामानुजगंज)
2.	जांजगीर (फगुरम)	रायगढ़ (खरसिया)
3.	महासमुंद	रायपुर (मंदिरहसौद)
4.	रायपुर (नयापारा)	गरियाबंद (राजिम)
5.	धमतरी	बालोद (चिटौद)
6.	कोण्डागाव	नारायणपुर
7.	बस्तर	दंतेवाड़ा
8.	बेमेतरा	दुर्ग (बोरई / हथखोज)
9.	मुंगेली	बिलासपुर

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

UNIFORM SPECIFICATION FOR GRADE 'A' & 'COMMON' RICE

(MARKETING SEASON 2013-2014)

Rice shall be in sound merchantable condition, sweet, dry, clean, wholesome, of good food value, uniform in colour and size of grains and free from moulds, weevils, obnoxious smell, admixture of unwholesome poisonous substances, *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (Khesari) in any form, or colouring agents and all impurities except to the extent in the schedule below. It shall also conform to Food Safety and Standard norms.

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No	Refractions		Maximum Limit (%)	
			Grade 'A'	Common
1.	Brokens*	Raw	25.0	25.0
		Parboiled/single parboiled rice	16.0	16.0
2.	Foreign Matter**	Raw/ Parboiled / single parboiled rice	0.5	0.5
3.	Damaged # / Slightly Damaged Grains	Raw	3.0	3.0
		Parboiled/ single parboiled rice	4.0	4.0
4.	Discoloured Grains	Raw	3.0	3.0
		Parboiled/ single parboiled rice	5.0	5.0
5.	Chalky Grains	Raw	5.0	5.0
6.	Red Grains	Raw/Parboiled/ single parboiled rice	3.0	3.0
7.	Admixture of lower class	Raw/ Parboiled/ single parboiled rice	6.0	-
8.	Dehusked Grains	Raw/ Parboiled/ single parboiled rice	12.0	12.0
9.	Moisture content @	Raw/ Parboiled/ single parboiled rice	14.0	14.0

* Not more than 1% by weight shall be small broken.

** Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by weight shall be impurities of animal origin.

\# Including pin point damaged grains.

@ Rice (both Raw and Parboiled/Single Parboiled) can be procured with moisture content upto a maximum limit of 15% with value cut. There will be no value cut up to 14%. Between 14% to 15% moisture, value cut will be applicable at the rate of full value.

******

STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION R.O. RAIPUR C.G.

(58)

No.8-5/2013-S&I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

******

Krishi Bhawan, New Delhi.
Dated: 20th August, 2013

To,

The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of.....................(All State Governments/UT Administrations)

Subject. Uniform Specifications of paddy, rice and coarse grains for the Kharif Marketing Season 2013-2014.

Sir,

I am directed to forward herewith the Uniform Specifications of paddy, rice and coarse grains for procurement for the Central Pool during Kharif Marketing Season (KMS) 2013-14.

2. It is requested that wide publicity of the Uniform Specifications be made among the farmers in order to ensure that they get due price for their produce and rejection of the stocks is avoided. The procurement of paddy, rice and coarse grains during KMS 2013-14 may be ensured by all the States/Union Territories and Food Corporation of India strictly in accordance with the Uniform Specifications.

Encl.: As Above

Yours faithfully,

(Dr. Subhash Gupta)
Joint Commissioner (S&R)
Tele : 23389625

Contd-

ग्रेड 'ए' और साधारण श्रेणी के चावल के लिए एक-समान विनिर्दिष्टियां

(विपणन मौसम 2013-14)

चावल ठोस, विक्री योग्य, मीठा, सूखा, साफ, सम्पूर्ण और आहार सम्पूर्णता से समृद्ध, रंग और आकार में एक-समान होगा और फफूंदी, घुनों, दुर्गंध, विषाक्त तत्वों के सम्मिश्रण, किसी भी रूप में आर्जीमोन मेक्सिकाना और लेथिरस सेटिवस (खेसरी) अथवा रजक एजेंटों और निम्नलिखित अनुसूची में दी गई सीमा को छोड़कर सभी अशुद्धताओं से मुक्त होगा। यह खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के भी अनुरूप होगा।

विनिर्दिष्टियों की अनुसूची

क्रम सं.	अपवर्तन		अधिकतम सीमा (प्रतिशत) ग्रेड 'ए'	अधिकतम सीमा (प्रतिशत) साधारण
1	टोटा•	अरवा	25.0	25.0
		सेला	16.0	16.0
2	विजातीय तत्व••			
		अरवा/सेला	0.5	0.5
3	क्षतिग्रस्त दाने@/मामूली क्षतिग्रस्त दाने			
		अरवा	3.0	3.0
		सेला	4.0	4.0
4	बदरंग दाने			
		अरवा	3.0	3.0
		सेला	5.0	5.0
5	चाकी दाने			
		अरवा	5.0	5.0
6	लाल दाने			
		अरवा/सेला	3.0	3.0
7	निम्न श्रेणी का सम्मिश्रण			
		अरवा/सेला	6.0	-
8	चोकर सहित दाने			
		अरवा/सेला	12.0	12.0
9	नमी तत्व @@			
		अरवा/सेला	14.0	14.0

• छोटे टोटे तौल में 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

•• खनिज तत्व तौल में 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे और भार द्वारा जीव-जनित अशुद्धियां तौल में 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।

@ पिन की नोक जितने क्षतिग्रस्त चावल सहित

@@ मूल्य कटौती के साथ 15 प्रतिशत तक की अधिकतम सीमा तक नमी तत्व वाले चावल (अरवा और सेला, दोनों) की खरीद की जा सकती है। 14 प्रतिशत तक कोई मूल्य कटौती नहीं होगी। 14 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की नमी के बीच पूर्ण कीमत की दर पर मूल्य कटौती लागू होगी।

•••••

क्रमांक एफ 4-5 / खाद्य / 2013 / 29 / 2918) रायपुर, दिनांक 25 सितंबर, 2013

प्रतिलिपि --

01. सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
02. प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम 16–20 बारह खम्बा लेन, नई दिल्ली ।
03. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
04. निज सहायक, माननीय मंत्री, समस्त छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
05. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
06. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, रायपुर ।
07. समस्त प्रभारी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर ।
08. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ ।
09. संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, रायपुर ।
10. आयुक्त, जनसंपर्क, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर प्रकाशनार्थ ।
11. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, रायपुर ।
12. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, रायपुर ।
13. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्या., रायपुर ।
14. महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
15. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मंत्रालय, रायपुर ।
16. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राईस मिल एसोसिएशन, रायपुर ।

O/C

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा धान की पावती समिति प्रबंधक को तत्काल दी जावेगी ।

8.6 धान उपार्जन हेतु गठित संग्रहण केन्द्र स्तरीय समिति व उपार्जन केन्द्रों हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी को निर्देश जारी करें कि वे प्रत्येक समिति से कस्टम मिलर्स द्वारा उठाए गए धान की प्रतिदिन समीक्षा करें तथा उपार्जन केन्द्रों में नियमित रूप से धान का भौतिक सत्यापन करें । यह सुनिश्चित किया जावे कि किसी भी परिस्थिति में मिलर द्वारा समिति से उठाव किए गए धान का पुनर्चक्रण (Recycling) संभव न हो ।

8.7 विभागीय पत्र क्रमांक एफ 4—4 / खाद्य / 2013 / 29 / 2891 दिनांक 17.09.2013 की कंडिका 4 में उल्लेखित परिशिष्ट—1 में दिये गये लक्ष्य अनुसार समितियों से मिलर द्वारा सीधे धान का उठाव कराया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

8.8 भारतीय खाद्य निगम को कस्टम मिल्ड चावल के बिल छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के स्थानीय कार्यालय द्वारा शीघ्र प्रस्तुत कर उसका भुगतान 15 दिन के अंदर करा लिया जाए ताकि राज्य शासन पर अनावश्यक ब्याज व्यय भार न आये ।

8.9 मार्कफेड द्वारा मिलर्स से किए जाने वाले अनुबंध में यह प्रावधान किया जावे कि मिलर्स द्वारा अग्रिम में जमा कराये गये ऐसे चावल पर जिसके एवज में मार्कफेड द्वारा प्रदेश में धान उपलब्ध नहीं होने पर धान प्रदाय नहीं किया जा पाता है, उस चावल का भुगतान मार्कफेड द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2013—14 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित लेव्ही दर पर किया जावे ।

9. कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति —

9.1 कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं भारतीय खाद्य निगम के कस्टम मिल्ड चावल उपार्जन केन्द्रों पर की जाएगी । कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति किस चावल उपार्जन केन्द्र पर की जाना है, इसका स्पष्ट उल्लेख अनुबंध में होगा । कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति उसी जिले के चावल उपार्जन केन्द्र में की जाएगी जिस जिले में मिल स्थित हैं ।

9.2 कस्टम मिल्ड चावल मिलर द्वारा लाए जाने पर चावल उपार्जन केन्द्र में इंटरनेट पर उपलब्ध अनुबंध की इलेक्ट्रानिक प्रति से मिलान किया जाएगा और उसी स्थिति में चावल स्वीकार किया जाएगा जब अनुबंध में चावल उस उपार्जन केन्द्र में जमा कराना दर्शाया गया हो ।

9.3 मिलर द्वारा चावल लाये जाने पर, सेम्पल लेने, सेम्पल पर्ची बनाने, सेम्पल का विश्लेषण करने तथा चावल प्राप्त करने का पूरा कार्य कम्प्यूटर साफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा तथा इसी साफ़्टवेयर से चावल की अभिस्वीकृति जारी की जाएगी । अभिस्वीकृति की एक प्रति प्रिंट करके मिलर को दी जाएगी । छत्तीसगढ़ स्टेट

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

हेतु निर्धारित दर के आधार पर किया जावे । भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा करने पर परिवहन व्यय का भुगतान भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियमानुसार किया जायेगा ।

7.2 समिति स्तर से मिलर्स द्वारा धान उठाव पर लोडिंग–अनलोडिंग का 4 रूपये प्रति क्विंटल की कटौती नहीं की जायेगी । संग्रहण केन्द्र से धान उठाव करने पर लोडिंग--अनलोडिंग हेतु 4 रूपये प्रति क्विंटल की राशि परिवहन व्यय में से कटौती की जावे । कस्टम मिलिंग चावल के परिवहन देयकों में 4 रूपये प्रति क्विंटल की कटौती लोडिंग--अनलोडिंग व्यय के रूप में किया जावे ।

7.3 समितियों से सीधे मिलर्स को कस्टम मिलिंग के लिए धान प्रदाय हेतु प्रत्येक समिति से मिल की दूरी के मान से एक नक्शा इस प्रकार तैयार करें कि न्यूनतम परिवहन व्यय के साथ ही परिवहन करने में कम समय लगे । जिले की सीमावर्ती समितियों से यदि जिले के भीतर की मिलों की दूरी अधिक हो और सीमावर्ती जिले में कम दूरी पर मिलें उपलब्ध हों तो, न्यूनतम व्यय अनुसार अनुबंध किया जाए । जिले में उपलब्ध राईस मिलों की क्षमता के आधार पर वहां भण्डारित धान की कस्टम मिलिंग का कार्य कराया जाए । जिले के धान का निराकरण होने पर विगत वर्ष की भांति समीपवर्ती जिलों के कलेक्टर एवं प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ से चर्चा कर वहां उपलब्ध धान की कस्टम मिलिंग कराई जाए ।

7.4 संग्रहण केन्द्र से कस्टम मिलर्स को धान इस प्रकार दी जावे कि परिवहन व्यय न्यूनतम हो । मिलर्स के नजदीक जो संग्रहण केन्द्र है प्रथमतः उन केन्द्रों से कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति दी जावे । नजदीक के संग्रहण केन्द्रों का धान समाप्त होने पर अगले नजदीक के संग्रहण केन्द्रों से कस्टम मिलिंग हेतु धान दी जावे ।

7.5 मिलर द्वारा संग्रहण केन्द्रों से धान उठाव करने पर धरमकांटा में तौल का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा किया जावेगा ।

8. समितियों से धान का सीधे उठाव –

8.1 विगत वर्ष की भांति उपार्जन केन्द्रों से सीधे मिलर्स को अधिक से अधिक धान मिलिंग हेतु प्रदाय किया जावे जिससे भण्डारण, परिवहन एवं सूखत आदि मदों में मितव्ययता सुनिश्चित हो सके । समितियों में उपार्जित धान को सीधे कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स को देने की निम्नानुसार व्यवस्था की जावे –

8.1.1 पंजीकृत चावल मिलों को सबसे नजदीक की सहकारी समितियों से संबद्ध किया जावे और उन समितियों में उपार्जित धान का पूरा निराकरण होने तक उन मिलर्स को अन्य स्थान से धान न दिया जाए ।

8.1.2 मिलों का समितियों से संबद्धीकरण, समितियों की मिलों से दूरी, समितियों में उपार्जित धान की मात्रा एवं मिल की मिलिंग क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

5.11 मिलर यदि अनुमति मे उल्लेखित पतला धान की मात्रा के विरूद्ध यदि मोटा धान का उठाव करना चाहता है तो मिलर के द्वारा मोटा चावल जमा कराकर मोटा धान का उठाव किया जा सकता है ।

5.12 धान के उठाव हेतु पूरा स्टेक हस्तांतरित किया जावे । किसी भी स्थिति में मिलर्स को स्टेक तोड़कर अथवा बोरों की छटाई कर धान जारी नहीं किया जावे ।

5.13 धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग प्रक्रिया के कम्प्यूटरीकरण किए जाने के उपरांत से मिलर को धान के प्रदाय हेतु डिलेवरी आर्डर एवं अन्य आवश्यक एकरूप अभिलेख कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार किए जा रहे हैं । मार्कफेड द्वारा ऐसे आवश्यक अभिलेखों को एकरूप प्रारूप मे आवश्यक संख्या में मुद्रित कराकर जिलों को उपलब्ध कराया जाए ताकि यदि किसी अपरिहार्य कारण से किसी अभिलेख को मेनुअल रूप में जारी किया जाना हो तो पूरे राज्य में इसकी एकरूपता बनी रहे ।

5.14 कस्टम मिलिंग पश्चात मिलर चावल की डिलेवरी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन या भारतीय खाद्य निगम को निकटतम चावल उपार्जन केन्द्र पर देंगे । छत्तीसगढ़ स्टेट सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा जिस जिले का मिलर है उसी जिले के निकटतम चावल उपार्जन केन्द्र में चावल प्राप्त किया जावे । जिले में गोदाम में स्थान का अभाव होने की स्थिति में संलग्न परिशिष्ट– 2 अनुसार अन्य जिले के निकटतम गोदाम में चावल जमा कराया जावे । परिशिष्ट में उल्लेखित जिले के अतिरिक्त यदि किसी जिले में उपरोक्तानुसार अन्य जिले के निकटतम गोदाम में चावल जमा कराये जाने की आवश्यकता यदि है, तो संबंधित जिले के कलेक्टर, प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को प्रस्ताव भेजेगा । प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन उक्त प्रस्ताव पर आदेश जारी कर सकेगें ।

5.15 चावल की कमी वाले जिलों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य शासकीय योजनाओं हेतु आवश्यक चावल की आपूर्ति आधिक्य वाले जिलों से परिवहन कराकर की जावे ।

5.16 मिलर्स से अनुबंध में मिलिंग हेतु निर्धारित अवधि में ही मिलिंग कार्य अनिवार्यतः पूरा कराया जावे । आकस्मिक परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा अनुबंध में वृद्धि हेतु प्रस्ताव प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ को भेजा जावेगा, जिसमे अनुबंध में वृद्धि का कारण उल्लेखित हो । प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर गुण–दोष के आधार पर अनुबंध में वृद्धि की कार्यवाही की जावेगी । बिना युक्तियुक्त कारण के धान की मिलिंग में विलंब को रोकने हेतु अनुबंध में दण्ड का प्रावधान रखा जावे । अनुबंध अवधि की वृद्धि खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिये ही की जा सकेगी ।

5.17 मिलर को धान की अरवा मिलिंग पर 67 प्रतिशत एवं उसना मिलिंग पर 68 प्रतिशत

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

जायेगी । यह राशि छः माह की मिलिंग क्षमता से अतिरिक्त मिलिंग कर जमा किये गये चावल की मात्रा के धान पर प्रदाय की जायेगी ।

5. करटम मिलिंग प्रक्रिया –

खरीफ वर्ष 2013–14 में कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया के माध्यम से समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की मिलिंग का कार्य पूर्ण किया जाएगा । खरीफ वर्ष 2013–14 में कस्टम मिलिंग हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –

5.1 कस्टम मिलिंग हेतु मिल पंजीयन अनिवार्य रहेगा तथा मात्र पंजीकृत मिलों को ही कस्टम मिलिंग हेतु अनुमति कलेक्टर द्वारा दी जाएगी । प्रत्येक मिल में विद्युत कनेक्शन स्थापित है इसका प्रमाणीकरण विद्युत मंडल के द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाए । ऐसी राईस मिलें जिनके संचालक द्वारा राज्य शासन के कस्टम मिलिंग निर्देशों का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित होता है अथवा विगत 3 वर्षो में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध में दोषसिद्ध पाए गए हैं, को पंजीकृत नहीं किया जाये तथा उन्हे कस्टम मिलिंग की अनुमति नहीं दी जाये। कृपया यह सुनिश्चित करें कि जिले के सभी मिलों का पंजीयन दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 तक पूर्ण हो जाए । तथापि मिलों के पंजीयन की सुविधा धान उपार्जन अवधि के दौरान भी जारी रहेगी । राईस मिलों के पंजीयन हेतु विस्तृत शासन निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे ।

5.2 खरीफ वर्ष 2013–14 में कस्टम मिलिंग हेतु मार्कफेड द्वारा संचालित किसान राईस मिलों को धान प्रदाय किया जा सकेगा, किन्तु इसके लिए किसान मिल का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।

5.3 पंजीकृत मिल द्वारा आवेदन (लिखित अथवा ऑनलाईन) करने पर मिल को धान कस्टम मिलिंग की अनुमति मिल की क्षमता के आधार पर पहली अनुमति दो माह की मिलिंग क्षमता के बराबर (1 मेट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली मिल हेतु 800 मेट्रिक टन दो माह हेतु) अनिवार्य रूप से दी जावे एवं मिल को दिनांक 30.04.2014 तक चावल जमा करने एवं धान उठाने हेतु अवधि प्रदाय की जावे । मिल यदि दो माह की क्षमता से अधिक धान की अनुमति यदि एक ही बार में लेना चाहता है, तो उसे अनुमति प्रदाय की जावे । मिल की तीन माह की क्षमता की अनुमति प्रदान करने पर अनुबंध अवधि 7 माह, 4 माह की क्षमता की अनुमति प्रदान करने पर अनुबंध अवधि 8 माह, 5 माह की क्षमता की अनुमति प्रदान करने पर अनुबंध अवधि 9 माह, 6 माह की क्षमता की अनुमति प्रदान करने पर अनुबंध अवधि 10 माह एवं 6 माह की क्षमता से अधिक की अनुमति प्रदान करने पर अनुबंध अवधि 30 सितंबर 2014 तक प्रदाय किया जावे । किसी भी स्थिति में अनुबंध की अवधि 30 सितंबर 2014 से अधिक प्रदाय न की जावे । एक मिलिंग सीजन में मिल की वार्षिक मिलिंग क्षमता तक अनुबंध करने की अनुमति दी जा सकेगी । किसी भी मिल से अगला अनुबंध करने के पूर्व पिछले अनुबंध की मिलिंग पूरी

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 4–5/खाद्य/2013/29/2980 रायपुर, दिनांक 25 सितंबर, 2013

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय:— खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग नीति विषयक ।

खरीफ वर्ष 2013–14 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन का कार्य दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 से प्रारंभ होगा । खरीफ वर्ष 2013–14 में समर्थन मूल्य पर 72.13 लाख मेट्रिक टन धान का उपार्जन अनुमानित है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं भारत सरकार की अन्य योजनाओं तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए हमारे प्रदेश को लगभग 24 लाख मेट्रिक टन चावल की वार्षिक आवश्यकता है । अतः धान की आवक को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त योजनाओं के लिए आवश्यक लगभग 24 लाख मेट्रिक टन चावल के लिए लगभग 36 लाख मेट्रिक टन धान कस्टम मिलिंग हेतु मार्कफेड द्वारा रखा जाएगा । शेष धान का चावल बनाकर भारतीय खाद्य निगम को अंतरित किया जाएगा । उपार्जित धान के त्वरित निराकरण हेतु कस्टम मिलिंग की प्रकिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है —

1. सी.एम.आर. डिलेवरी समयावधि —

खरीफ वर्ष 2013–14 के दौरान कस्टम मिलिंग के उपरांत निर्मित चावल के छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन अथवा भारतीय खाद्य निगम को डिलीवरी की समयावधि 1 अक्टूबर, 2013 से 30 सितंबर, 2014 तक होगी ।

2. सी.एम.आर. उपार्जन एजेंसी -

2.1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य कल्याणकारी योजनाओं तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना हेतु राज्य के लिए आवश्यक चावल का उपार्जन छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन द्वारा किया जाएगा । जिलेवार कस्टम मिलिंग चावल का लक्ष्य पृथक से सूचित किया जायेगा ।

2.2. छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा भारत सरकार की योजनाओं तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए उपार्जित चावल का पृथक–पृथक लेखा संधारित किया जाएगा ।

2.3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

यदि राईस मिलर के द्वारा पंजीयन में नवीनीकरण हेतु आवेदन दिनांक 15.10.2013 तक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह मानते हुए कि कोई संशोधन नहीं है ऐसे मिलों की जानकारी वेबसाइट से प्राप्त कर उसका भौतिक सत्यापन 15 दिवस के भीतर करा लिया जावे । भौतिक सत्यापन में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पंजीयन के नवीनीकरण की कार्यवाही की जावे ।

2. आवेदन में जानकारियों की प्रविष्टि :–

मिल पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन में नागरिक आपूर्ति निगम एवं भारतीय खाद्य निगम के निकटतम चावल उपार्जन केन्द्र का नाम, विद्युत रीडींग तथा निकटतम धान संग्रहण केन्द्रों की जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित की जावे ।

3. मिल का भौतिक सत्यापन :–

3.1. जिले में मिल पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन का भौतिक सत्यापन कलेक्टर द्वारा नियुक्त राजस्व एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों के माध्यम से कराया जावे ।

3.2 कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी के द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का राईस मिल में जाकर मूल दस्तावेजों को देखकर सत्यापन किया जावेगा ।

3.3. कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी के द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मिल की भौगोलिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर प्रतिवेदन में अंकित किया जावेगा ।

3.4. आवेदन में दी गई जानकारियों का भौतिक सत्यापन एवं मिल पंजीयन का कार्य आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर सुनिश्चित की जावे, अन्यथा आवेदन में दी गई जानकारी को सही मानते हुए मिल स्वतः पंजीकृत मानी जायेगी एवं उसमें उल्लेखित जानकारियां सही नहीं पाये जाने पर संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे ।

4. पंजीयन पूर्व सावधानियां –

4.1. एक मिल परिसर में एक प्रकार की मिल का (अरवा या उसना) उसकी कुल मिलिंग क्षमता के आधार पर पंजीयन किया जाये । फर्म की अरवा एवं उसना मिलिंग यूनिट पृथक–पृथक होने की स्थिति में ही मिल का अरवा एवं उसना मिलिंग क्षमता हेतु पंजीयन किया जाए ।

4.2. खरीफ विपणन वर्ष 2011–12 या उसके पूर्व कस्टम मिलिंग का कार्य करने वाले कतिपय राईस मिल के संचालकों से मार्कफेड द्वारा राशि की वसूली किया जाना शेष हो तो, ऐसी राईस मिलों से वसूली योग्य राशि की प्राप्ति की पुष्टि जिला विपणन अधिकारी से होने के उपरांत ही उनके पंजीयन की कार्यवाही की जाए।

4.3. कलेक्टर, मार्कफेड, नागरिक आपूर्ति निगम या शासन द्वारा यदि किसी मिल का नाम काली सूची में दर्ज है तो उसका पंजीयन नहीं किया जावे व ऐसी मिलों के आवेदन, आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर निरस्त कर दिये जाएं ।

4.4 खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 में मिल को कस्टम मिलिंग हेतु प्रोत्साहन राशि मिल की मिलिंग क्षमता के उपयोग के आधार पर प्रदाय किया जावेगा । अतः भौतिक

STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

50 28
परिशिष्ट 5(2)

खरीफ विपणन वर्ष 2013-14 में मिलर को खरीदी केन्द्र से सीधे प्रदाय हेतु अंतर जिला धान स्थानांतरण हेतु कार्यक्रम

(मात्रा मे. टन में)

क्र०	धान देने वाले जिले का नाम	धान उपार्जन केन्द्रों से उठाव करने वाले जिले का नाम	उपार्जन केन्द्रों से उठाव मात्रा
1	2	3	4
1	मुंगेली	बिलासपुर	15000
2	बेमेतरा	दुर्ग	80000
4	बलौदाबाजार	रायपुर	100000
5	जांजगीर	कोरबा	10000
6	नारायणपुर	कोण्डागांव	4000
7	बीजापुर	बस्तर	500
8	बलरामपुर	सरगुजा	10000
9	गरियाबंद	रायपुर	30000
10	बालोद	धमतरी	10000
		दुर्ग	5000
		कोंडागांव	10000
योग :-			274500

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

36

प्रति प्रेषित:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली।
2. कार्यकारी निदेशक (खरीद), भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय, नई दिल्ली।
3. कार्यकारी निदेशक(क्यू.सी.), भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय, नई दिल्ली।
4. महा प्रबंधक (क्यू.सी.), भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय, नई दिल्ली।
5. महा प्रबंधक (विपणन एवं खरीद), भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय, नई दिल्ली।
6. सभी कार्यकारी निदेशक (अंचल), भारतीय खाद्य निगम।
7. प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली।
8. सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव(खाद्य और सार्वजनिक वितरण) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (नीति एवं एफसीआई)/संयुक्त सचिव (इम्पैक्स, एसआरए एवं ईओपी)/संयुक्त सचिव(भंडारण)/संयुक्त सचिव (बीपी एंड पीडी)/संयुक्त सचिव (डब्ल्यूडीआरए) ।
10. निदेशक (नीति)/निदेशक (एफसीआई)/ निदेशक (पीडी)/ निदेशक (वित्त)/संयुक्त आयुक्त (एस एंड आर)/उपायुक्त (एस एंड आर) ।
11. गुण नियंत्रण सैल/भारतीय अनाज संचयन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान के सभी कार्यालय।
12. अवर सचिव (बीपी-1)/ अवर सचिव (बीपी-2)/ अवर सचिव (नीति-1,2,3,4)
13. उप निदेशक (एस)/ उप निदेशक (क्यू.सी.)/ सहायक निदेशक (सीजीएएल)/ सहायक निदेशक (एस)/ सहायक निदेशक (क्यू.सी.-1)/सहायक निदेशक (क्यू.सी.-2)/सहायक निदेशक (क्यू.सी.-3)
14. निदेशक (तकनीकी), एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि सूचना को मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने की कृपा करें।

(बी०सी० जोशी)
उप निदेशक (एस एंड आर)
दूरभाष: 23070474

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

मक्का के लिए एक-समान विनिर्दिष्टियां
(विपणन मौसम 2013-14)

मक्का शुष्क और जिया मेज के पक्के दाने होंगे। इसका रूप और रंग एक समान होगा। यह विक्रय योग्य ठोस होगा और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

मक्का मीठा, कठोर, साफ, सम्पूर्ण और किसी भी रूप में आर्जिमोन मेक्सिकाना, लेथिरस सेटिवस (खेसरी), रंजक तत्वों, फफूंदी, घुनों, दुर्गन्ध, एवं विषाक्त तत्वों के सम्मिश्रण और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित सीमाओं को छोड़कर सभी प्रकार की अन्य अशुद्धताओं से मुक्त होगा।

विनिर्दिष्टियों की अनुसूची

क्रम संख्या	अपवर्तन	अधिकतम सीमा (प्रतिशत)
1	विजातीय तत्व•	1.0
2	अन्य खाद्यान्न	2.0
3	क्षतिग्रस्त दाने	1.5
4	मामूली रूप से क्षतिग्रस्त और बदरंग और लगे हुए दानें	4.5
5	सिकुड़े और कच्चे दाने	3.0
6	घुने दाने	1.0
7	नमी	14.0

• भार द्वारा खनिज तत्व 0.25 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे और भार द्वारा जीवजनित अशुद्धियां 0.10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी।

नोट:

1. उपर्युक्त अपवर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधि का अनुसरण समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की खाद्यान्नों का विश्लेषण करने की विधि संख्या आईएस-4333(भाग-1):1996, आईएस-4333(भाग-2):2002 और खाद्यान्नों की शब्दावली आईएस-2813-1995 में दी गई विधि के अनुसार करना होगा।
2. नमूने लेने की इस विधि का अनुसरण समय समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की "अनाजों और दालों के नमूने लेने की विधि" संख्या आईएस-14818-2000 के अनुसार करना होगा।
3. "विजातीय तत्वों" के लिए 1.0 प्रतिशत की समूची सीमा के अंदर रहते हुए विषाक्त बीज 0.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगें, जिसमें से धतूरे और अकरा के बीज (वीसिया प्रजातियां) क्रमश: 0.025 और 0.2 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।
4. मक्का का छोटा आकार, यदि वह अन्यथा पूर्ण रूप से विकसित होता है तो इसे सिकुड़ा हुआ और अपरिपक्व अनाज नहीं समझा जाना चाहिए।

****

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

(iii) Delivery of milled rice would be permitted only in new gunny bags of KMS 2012-13 in which paddy has been procured. The bags in which rice is accepted should bear the marking of the relevant marketing seasons i.e. KMS2012-13.

2. State Government will maintain separate accounts of old gunny bag used and such details will be submitted within a period of six months to Government of India. State Government will send a separate proposal to Government of India for issuing cost sheet for paddy (resultant CMR) procured in such old bags.

Yours faithfully,

(K.C. Yadav)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 23384448

Copy to : Chairman & Managing Director, Food Corporation of India, 16-20, Barakhamba Lane, New Delhi-110001.
2. FC Accounts Section, Department of Food & Public Distribution.

C.G. STATE CIVIL SUPPL... CORPORATION H.O. RAIPUR

परिशिष्ट 1

खरीफ विपणन वर्ष 2013-14 में धान उपार्जन एवं निराकरण की अनुमानित कार्ययोजना

(मात्रा मे. टन में)

क्र०	जिला	उपार्जन केन्द्र की संख्या	संग्रहण केन्द्र की संख्या	गतवर्ष की खरीदी	खरीफ विपणन वर्ष 2013-14 में उपार्जन का प्रारंभिक अनुमान	उपार्जन केन्द्रों से मिलर द्वारा सीधे उठाव	धान संग्रहण केन्द्रों में धान भण्डारण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रायपुर	123	7	592177	600000	350000	250000
2	बलौदा बाजार	142	4	590795	600000	225000	375000
3	गरियाबंद	59	1	260548	265000	100000	165000
4	धमतरी	80	5	429647	430000	300000	130000
5	महासमुंद	119	5	686985	690000	300000	390000
6	दुर्ग	76	4	349551	350000	200000	150000
7	बालोद	109	3	426376	425000	170000	255000
8	बेमेतरा	83	2	390487	395000	200000	195000
9	राजनांदगांव	110	8	449327	450000	200000	250000
10	कवर्धा	79	1	195658	200000	100000	100000
11	बिलासपुर	128	6	379961	380000	225000	155000
12	मुंगेली	85	2	224696	225000	105000	120000
13	जांजगीर-चाम्पा	206	10	796402	800000	300000	500000
14	कोरबा	40	2	80011	80000	80000	0
15	रायगढ़	119	5	518301	520000	300000	220000
16	सरगुजा	29	2	92809	100000	75000	25000
17	सूरजपुर	30	1	116300	120000	120000	0
18	बलरामपुर	34	0	120921	125000	50000	75000
19	कोरिया	19	0	57975	60000	60000	0
20	जशपुर	23	1	57304	60000	60000	0
21	बस्तर	58	1	85623	90000	70000	20000
22	कोंडागांव	43	1	32348	35000	35000	0
23	नारायणपुर	6	0	4862	5000	5000	0
24	कांकेर	111	3	161280	170000	120000	50000
25	दन्तेवाड़ा	11	1	6387	7000	7000	0
26	सुकमा	12	0	11698	12000	12000	0
27	बीजापुर	13	0	18233	19000	19000	0
योग :-		1947	75	7136662	7213000	3788000	3425000

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

उपलब्ध कराया जावे ।

18.7. समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन की समस्त कार्यवाही एवं व्यवस्था कलेक्टरों के निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में संपन्न की जावेगी। धान एवं मक्का के उपार्जन में कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन से सीधे संपर्क किया जा सकता है ।

19. <u>सुरक्षा व्यवस्था</u> --

धान उपार्जन के दौरान जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा स्थानीय बैंकों को उपलब्ध कराई जाने वाली राशि के परिवहन के दौरान समुचित सुरक्षा हेतु जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रबंधन द्वारा मांग किए जाने पर आवश्यकतानुसार संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक को सूचित किया जाये । पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा ।

20. <u>बीमा</u> --

20.1. प्राकृतिक आपदाओं, अग्नि दुर्घटना एवं चोरी से धान की गुणवत्ता अथवा मात्रा प्रभावित होने से राज्य शासन को होने वाली हानि से बचने के लिए मार्कफेड द्वारा धान का बीमा कराया जाये ।

20.2. यदि समिति स्तर पर हुई क्षति का क्लेम बीमा कंपनी द्वारा समिति की किसी गलती के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से अस्वीकार किया जाता है तो इसके फलस्वरूप होने वाली क्षति समिति द्वारा वहन की जाएगी।

20.3. धान उपार्जन केन्द्रों में कार्यरत समस्त व्यक्तियों का सामूहिक बीमा मार्कफेड द्वारा कराया जाये । इस हेतु उपार्जन केन्द्रों में कार्यरत व्यक्तियों की वांछित जानकारी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा मार्कफेड को उपलब्ध कराई जाये ।

कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन हेतु निर्धारित सभी आवश्यक कार्यवाहियां पूर्ण करते हुए समय-सीमा में विभाग को अवगत करावें ।

संलग्नः--उपरोक्तानुसार ।

13/9/13

(विकास शील)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

16.2.3. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समितियों को आवश्यक स्टेशनरी का मुद्रण कराकर उपलब्ध कराया जाएगा । इस कार्य हेतु व्यय राशि की प्रतिपूर्ति मार्कफेड द्वारा नहीं की जाएगी ।

16.2.4. मार्कफेड को मिलर्स को अरवा/उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि, बारदाना अवक्षयण के संबंध में राशि, समितियों से धान उठाव पर मिलर्स को लोडिंग–अनलोडिंग कटौती नहीं करने पर आये व्ययों की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जावेगी ।

17. कस्टम मिलिंग –

17.1. खरीफ विपणन मौसम 2013–14 में पंजीकृत मिलों द्वारा समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का कस्टम मिलिंग किया जाएगा । धान की कस्टम मिलिंग संबंधी समस्त कार्य का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है । इस संबंध में विस्तृत निर्देश कस्टम मिलिंग प्रकिया के संबंध में विभाग द्वारा जारी किए जा रहे हैं ।

17.2. विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजनांतर्गत राज्य की अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु चावल उपार्जन कार्य पूर्व की भांति नोडल एजेंसी के रूप में छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा किया जाएगा तथा सरप्लस चावल पूर्वानुसार भारतीय खाद्य निगम को प्रदाय किया जायेगा ।

18. पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण –

18.1. धान एवं मक्का उपार्जन के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जिले में प्रभारी सचिव को जिम्मेदारी दी जावेगी । इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जायेंगे ।

18.2. धान एवं मक्का उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग से संबंधित समस्याओं एवं कठिनाईयों को खाद्य विभाग के कॉल सेंटर नंबर 1800–233–3663 में दर्ज कराया जावे । कॉल सेंटर राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के रूप में संचालित किया जाएगा । कॉल सेंटर नंबर का प्रदर्शन प्रत्येक धान खरीदी केन्द्र में किया जावे । प्राप्त शिकायत का निराकरण 3 दिवस के भीतर में उपार्जन एजेंसी द्वारा राज्य स्तर पर एवं कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर किया जावे ।

18.3. जिला स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाये । इससे धान उपार्जन के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में सुविधा होगी, और उपार्जन के दौरान आने वाली समस्याओं/कठिनाईयों का निराकरण त्वरित गति से हो सकेगा .। जिलों में

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

प्रदाय, धान की गुणवत्ता, बारदाना में छपाई आदि व्यवस्था की निगरानी करेगा ।

14.5. मार्कफेड द्वारा उपार्जित धान को यथासंभव निकटतम मिलिंग केन्द्रों की मिलिंग क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए भण्डारित कराया जावे ।

14.6. खरीफ विपणन वर्ष 2013--14 में विगत वर्षों में कुछ जिलों में मिलिंग/भण्डारण की परेशानी को देखते हुए धान के त्वरित निराकरण हेतु कुछ जिलों में उपार्जित धान की कुछ मात्रा को शुरू से ही अन्य जिलों के संग्रहण केन्द्रों में भण्डारित किया जाए । उक्त हेतु अनुमानित भण्डारण की कार्ययोजना का प्रपत्र परिशिष्ट--4 (1) व परिशिष्ट--4 (2) पर संलग्न है ।

14.7. दिनांक 15 अप्रैल, 2014 के पश्चात खरीदी केन्द्र में यदि धान शेष रहता है तो समिति को 1 रूपये प्रति क्विंटल प्रति माह भण्डारण हेतु अतिरिक्त राशि मार्कफेड द्वारा प्रदान की जाएगी ।

14.8. धान उपार्जन केन्द्रों में संग्रहित धान के लिए कोई सूखत मात्रा मान्य नहीं होगी ।

15. <u>परिवहन व्यवस्था</u> –

15.1. खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 हेतु परिवहन की व्यवस्था मार्कफेड द्वारा किया जायेगा ।

15.2. खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 में चावल के परिवहन दर का भुगतान धान के परिवहन दर के आधार पर ही किया जाएगा ।

15.3. धान के परिवहन हेतु आवश्यकतानुसार स्वीकृत परिवहन दर पर किसी भी परिवहनकर्ता से परिवहन का कार्य कराया जा सकता है । मार्कफेड द्वारा परिवहन नहीं कराये जाने की स्थिति में समितियों के द्वारा स्वीकृत परिवहन दर पर धान का परिवहन कराया जावे । इस हेतु समिति उसे धान भण्डारण व सुरक्षा मद अथवा प्रासंगिक व्यय के मद में प्रदत्त अग्रिम राशि का उपयोग परिवहन देयकों के भुगतान हेतु कर सकेगी तथा ऐसे व्यय की प्रतिपूर्ति विपणन संघ द्वारा समिति को की जाएगी ।

15.4. खरीदी केन्द्रों से धान के उठाव हेतु एवं दोहरे परिवहन व्यय को रोकने हेतु अधिकाधिक मात्रा में धान सीधे मिलर्स को प्रदाय किया जाये । धान के त्वरित निराकरण हेतु आवश्यकतानुसार पुराने जिले के मिलर्स को संबंधित नये जिले के उपार्जन केन्द्रों से भी कस्टम मिलिंग हेतु सीधे धान प्रदाय किया जावे । मिलर्स को धान प्रदाय करने की प्रक्रिया कस्टम मिलिंग के निर्देश अनुसार की जाए ।

15.5. धान उपार्जन केन्द्रों से सहकारी समितियों के व्यय पर 10 प्रतिशत रेण्डम वजन

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

गुणवत्ता संबंधी विवादों का निराकरण किया जावेगा। संग्रहण केन्द्र प्रभारी समिति द्वारा भेजे गये धान को अमानक करने हेतु स्वयं अधिकृत नहीं होंगे । संग्रहण केन्द्र में तहसीलदार की अध्यक्षता में गठित दल द्वारा निरीक्षण कर विनिश्चय करने पर ही धान रिजेक्ट किया जायेगा। धान रिजेक्ट होने पर समिति द्वारा धान वापस ले जाया जायेगा तथा स्पेशीफिकेशन के अनुरूप साफ/परिवर्तित कर विपणन संघ को प्रदाय किया जायेगा ।

11 2.2. खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 में समिति स्तर पर निगरानी समितियों का नये सिरे से गठन न किया जावे अपितु 2012–13 में गठित निगरानी समितियों को ही निगरानी हेतु अधिकृत किया जाए ।

12. भुगतान व्यवस्था –

12.1. किसानों को धान की राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में राशि का अंतरण कर ही किया जाये । अंतरण के प्रमाण स्वरूप कृषकों को निर्धारित प्रारूप में उपार्जन केन्द्र पर ही कम्प्यूटर द्वारा तैयार किए गए भुगतान प्रमाण पत्र प्रदान किया जावे ।

12.2. धान उपार्जन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से ही किया जाना है, अतः उनकी साख सीमा गत वर्ष की तरह पांच लाख रूपए निर्धारित किए जाने हेतु आवश्यक आदेश सहकारिता विभाग द्वारा जारी किए जायेंगे ।

12.3. जिन समितियों में अधिक मात्रा में धान आता है उन समितियों के खाते वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भी खोले जावें, जिससे किसानों द्वारा विक्रय किए गए धान के भुगतान प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो ।

12.4. केवल बस्तर, नारायणपुर, कोण्डागांव, सुकमा बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं कांकेर जिले में साप्ताहिक बाजारों में एक क्विंटल तक की चिल्हर धान खरीदी का भुगतान नगद रूप में की जा सकेगी । लेकिन इससे अधिक धान खरीदी का समस्त भुगतान किसानों के खाते में राशि अंतरण कर ही किया जावे ।

12.5. समर्थन मूल्य पर खरीदे गए मक्का हेतु किसानों को एक क्विंटल तक भुगतान नगद रूप में तथा इससे अधिक मात्रा की राशि का भुगतान किसानों के खाते में राशि अंतरण कर ही किया जावे ।

12.6. धान उपार्जन हेतु मार्कफेड द्वारा धान का समर्थन मूल्य, प्रासंगिक व्यय एवं धान भण्डारण व सुरक्षा व्यय की राशि जोड़कर अग्रिम के रूप में सहकारी समितियों को किसानों को भुगतान हेतु उपलब्ध कराई जाएगी । उपरोक्त उपलब्ध कराई

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू. / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

के व्ही.सेट को पूरी धान खरीदी अवधि के दौरान कार्यशील अवस्था में बनाए रखने हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही समय रहते पूर्ण कर ली जावे ।

9.2.7. खरीफ वर्ष 2013–14 के दौरान मार्कफेड के सभी धान संग्रहण केन्द्रों में धान की प्राप्ति एवं प्रदाय की व्यवस्था पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत एवं वेब–बेस्ड होगी । धान के संग्रहण हेतु मार्कफेड द्वारा चिन्हांकित स्थलों में कम्प्यूटर के संचालन हेतु कक्ष निर्माण तथा व्ही.सेट की स्थापना हेतु पक्के चबूतरों के निर्माण संबंधी कार्य शीघ्र संपादित कर लिया जावे । खरीफ वर्ष 2013–14 में प्रारंभ होने वाले नए संग्रहण केन्द्र में यह कार्य समयानुसार पूर्ण कर लिया जावे ।

9.2.8. जिले में संचालित किए जाने वाले धान उपार्जन केन्द्रों से मार्कफेड के जिन संग्रहण केन्द्रों में धान का प्रदाय किया जावेगा, उनका संलग्नीकरण संबंधित संग्रहण केन्द्रों से शीघ्र कर लिया जावे। कस्टम मिलिंग कम्प्यूटराईजशेन से संबंधित समस्त प्रक्रिया की जानकारी विभाग द्वारा कस्टम मिलिंग के संबध में जारी किए जा रहे आदेश में विस्तृत रूप से दिए जा रहे हैं ।

9.2.9. धान के उपार्जन की खरीफ वर्ष 2013–14 में कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था का प्रशिक्षण कार्य मार्कफेड द्वारा कराया जावे । कृपया मार्कफेड द्वारा जारी की जाने वाली समय सारिणी के अनुसार कम्प्यूटरीकरण कार्य से संबंधित सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण दिलावे ।

9.2.10. धान खरीदी के कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था का ट्रायल रन जिले के प्रत्येक धान उपार्जन केन्द्र में दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 से प्रारंभ होकर दिनांक 17 अक्टूबर, 2013 तक चलेगा । इस ट्रायल रन में सभी धान उपार्जन केन्द्र एवं संग्रहण केन्द्र भाग लेंगे । प्रत्येक धान उपार्जन केन्द्र का इसमें भाग लेना अनिवार्य होगा । जो केन्द्र इसमें भाग नहीं लेंगे वे कंडिका 13 में वर्णित इन्सेंटिव कमीशन हेतु पात्र नहीं होंगे । कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा स्वीकृत सभी धान उपार्जन केन्द्रों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 के पूर्व पूर्ण हो जाए, और सभी केन्द्र इस ट्रायल रन में भाग लें ।

9.2.11. धान उपार्जन कार्य प्रारंभ होने के पूर्व जिले में समितिवार प्रति हेक्टेयर अधिकतम उपार्जित की जाने वाली मात्रा का निर्धारण कर विभागीय पत्र एफ 4–4 / खाद्य / 2013 / 29 / 2871 दिनांक 16.09.2013 में दिये गये निर्देशानुसार विभाग को दिनांक 05.10.2013 तक जानकारी प्रेषित करें ।

9.2.12. बस्तर, कोण्डागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा एवं कांकेर जिलों में

सत्यापित प्रति
(एस.डी. देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू. / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से भौतिक सत्यापन कराकर इसकी पुष्टि करा ली जावे ।

9. उपार्जन व्यवस्था का कम्प्यूटरीकरण --

9.1. खरीफ वर्ष 2012--13 की भांति खरीफ वर्ष 2013--14 में भी धान उपार्जन एवं निराकरण की समस्त कार्यवाही कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के माध्यम से किया जाना है. जिस हेतु निम्न कार्यवाही निर्धारित समय--सीमा में पूर्ण कराई जावे --

9.1.1. विगत वर्षों में उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी हेतु प्रयुक्त किए गए कम्प्यूटर, प्रिंटर, जनरेटर एवं यू.पी.एस. का परीक्षण करा लिया जाए एव यदि कोई उपकरण चालू हालत में न हो तो तत्काल उसमें सुधार करा लिया जाए । ये सभी उपकरण चालू हालत में हैं एवं कम्प्यूटर के इस्टालेशन का कार्य उपार्जन केन्द्र में किया जा चुका है, इस आशय का प्रमाण--पत्र संबंधित सहकारी समिति के प्रबंधक से प्राप्त किया जाए । जिले के समस्त उपार्जन केन्द्रों की कम्प्यूटर, प्रिंटर, जनरेटर एवं यू.पी.एस. की ओ.के. रिपोर्ट प्रबंध संचालक, मार्कफेड को 30 सितंबर, 2013 तक प्रस्तुत की जाए । उपार्जन केन्द्रों में वर्ष 2013--14 के लिए साफ्टवेयर को अपलोड करने के संबंध में समस्त कार्यों हेतु आवश्यक निर्देश विभाग द्वारा पृथक से जारी किए जायेंगे ।

9.1.2. धान उपार्जन केन्द्र, जहां वास्तविक रूप में धान खरीदी का कार्य होता है, उस स्थान पर ही कम्प्यूटर स्थापित किया जावे ताकि किसान को भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो एवं धान खरीदी कार्य पर पर्यवेक्षण एव नियंत्रण बना रहे ।

9.1.3. कम्प्यूटर, प्रिंटर, डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं मोटर साईकल रनर्स का रिजर्व पूल आवश्यकतानुसार रखा जाए ताकि किसी भी आकस्मिक समस्या का तत्काल निराकरण किया जा सके ।

9.2. खरीफ विपणन वर्ष 2013--14 में जिन खरीदी केन्द्रों में नेटवर्क सुविधा उपलब्ध है वहां पर ऑनलाईन धान की खरीदी की जाए । इससे धान के लिये राशि एव बारदाने की व्यवस्था तथा धान के निराकरण में जानकारियों के त्वरित आदान--प्रदान होने के कारण सुविधा होगी। इंटरनेट कनेक्टीविटी हेतु आवश्यक राशि मार्कफेड द्वारा प्रशासकीय मद की राशि से समितियों को आवश्यकतानुसार अग्रिम में प्रदान की जावे ।

9.2.1. कम्प्यूटर में किसी प्रकार की खराबी आने की स्थिति में विगत वर्ष की भांति

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

समय जिस प्रकार के बारदाने जारी किये जा रहे है, उसकी एंट्री सॉफ्टवेयर में की जावे । समिति के भौतिक सत्यापन के दौरान बारदाने के स्टॉक सही नहीं पाये जाने पर कड़ी कार्यवाही की जावे ।

8. उपार्जन हेतु आरंभिक व्यवस्था --

8.1. खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिये किसानों का पंजीयन कराने के निर्देश विभाग द्वारा पूर्व में दिये गये हैं । खरीफ विपणन वर्ष 2013--14 में पंजीकृत किसानों से ही धान का उपार्जन किया जाएगा । किसानों के पंजीयन संबंधी जानकारी नियमिति रूप से विभागीय वेबसाइट में अपलोड की जावे । किसान पंजीयन के दौरान सभी कृषकों के बैंक खाता कमांक अनिवार्य रूप से लेकर उसकी एंट्री की जावे ।

8.2. इस वर्ष कृषकों को विक्रय किये गये धान की राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में राशि का अंतरण कर किया जायेगा । दिनांक 15 अक्टूबर, 2013 तक यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सभी कृषक के खाते सहकारी बैंक में खुल जायें तथा बैंक खातों की जानकारी की प्रविष्टि किसान डेटाबेस में कर ली जावे ।

8.3. सहकारी समितियों को दी जाने वाली राशि यदि मार्कफेड द्वारा सहकारी समिति के बैंक खाते में सीधे दी जाना हो तो कलेक्टर द्वारा समितियों के खाते की जानकारी सहित प्रस्ताव प्रबंध संचालक, मार्कफेड को दिनांक 30.09.2013 तक उपलब्ध कराया जावे, ताकि समितियों को राशि अंतरित की जा सके ।

8.4. भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2013--14 हेतु धान एवं मक्का के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य, खरीदी अवधि एवं औसत अच्छी गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) के मापदण्डों का बैनर, हैण्डबिल, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे ताकि राज्य के किसानों को उपरोक्त के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सके । सभी धान उपार्जन केन्द्रों में धान एवं मक्का के घोषित समर्थन मूल्य के बैनर के साथ--साथ भारत सरकार द्वारा एफ.ए.क्यू. धान एवं मक्का के लिए निर्धारित स्पेसिफिकेशन भी प्रदर्शित किया जावे । भारत सरकार द्वारा खरीफ वर्ष 2013–14 के लिए एफ.ए.क्यू. धान एवं मक्का हेतु निर्धारित स्पेसिफिकेशन की छायाप्रति परिशिष्ट--3 पर संलग्न है ।

8.5. धान खरीदी कार्य प्रारंभ होने के पूर्व सभी उपार्जन केन्द्रों के कांटे--बांट तथा जिलों के धरमकांटो का सत्यापन नियंत्रक नाप तौल द्वारा सुनिश्चित किया जाए । साथ ही धान खरीदी के दौरान आकस्मिक रूप से उपार्जन केन्द्रों के कांटे--बांट का सत्यापन

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवरथले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू. / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

में भी मात्र प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कृषकों से ही लिंकिंग योजना के अंतर्गत धान का क्रय किया जा सकेगा ।

6.7. जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के लेनदारों की सूची व अवशेष ऋण का इंद्राज कम्प्यूटर में किया जाए । संबंधित किसान द्वारा धान की उपज उपार्जन केन्द्र में लाये जाने पर उसके द्वारा लायी गई कुल उपज का अधिकतम 25 प्रतिशत ही लिंकिंग में जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक हेतु खरीदा जा सकता है ।

6.8. विगत वर्ष की भांति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा समितियों को धान खरीदी हेतु अग्रिम राशि प्रदाय की जावे जिससे किसानों को समय से भुगतान प्राप्त हो सके । समितियों को प्रदान की जाने वाली राशि सीधे, सहकारी बैंक में उनके बैंक खाते में, अंतरित कर प्रदाय करने की व्यवस्था की जाए । जिले में समितियों को राशि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के माध्यम से दिया जाना है या मार्कफेड द्वारा सीधे दी जानी है, इसके निर्धारण के लिये कलेक्टर अधिकृत होंगे ।

6.9. खरीदी केन्द्रों में धान के नियंत्रित एवं व्यवस्थित रूप से उपार्जन हेतु किसानों को टोकन जारी कर धान की खरीदी की जावे । धान खरीदी अवधि का पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जावे ताकि किसान उक्त अवधि के दौरान अपना धान लाकर धान विक्रय कर सके । धान खरीदी के अंतिम दिन पर्ची जारी नहीं की जावे । धान खरीदी की अंतिम दिन शाम 5 बजे तक जो धान खरीदी केन्द्र में विक्रय हेतु आयेगा उसे उसी दिन तौल कर खरीदी की जावेगी ।

7. <u>बारदानों की व्यवस्था</u> –

7.1. धान की भरती हेतु आवश्यक जूट बारदाने डी.जी.एस.एण्ड.डी से क्रय कर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा जिलों को आवश्यकतानुसार संख्या में उपलब्ध कराये जावेंगे । समर्थन मूल्य पर मक्का के उपार्जन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को मांग अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 या खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 के एक भरती बारदाना उपलब्ध कराया जावेगा, जिसकी राशि का भुगतान छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा शासन द्वारा निर्धारित दर पर किया जावेगा ।

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवरथले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

3.2. समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के द्वारा मात्र प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं लेम्पस के माध्यम से किया जावेगा । धान उपार्जन केवल उन्हीं प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं लेम्पस के माध्यम से किया जावेगा जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम में भाग लेंगी । प्रत्येक धान उपार्जन केन्द्र के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं खाद्य विभाग के निर्देशानुसार सहकारी समितियों को कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था धान उपार्जन प्रारंभ होने के पूर्व करनी होगी ।

3.3. यह सुनिश्चित किया जावे कि धान उपार्जन के कार्य में नियोजित सहकारी समितियों एवं राज्य की धान एवं मक्का उपार्जन हेतु अधिकृत एजेंसी के मध्य अनुबंध निष्पादित किया जावे ताकि अनावश्यक विवाद की स्थिति निर्मित न हो ।

3.4. प्राथमिक कृषि साख समितियों एवं लेम्पस को छोड़कर अन्य संस्था/समिति को किसी भी परिस्थिति में राज्य शासन अथवा कलेक्टर द्वारा समर्थन मूल्य पर धान अथवा मक्का की खरीदी हेतु अधिकृत नहीं किया जाएगा ।

3.5. राज्य की मंडियों मे राज्य शासन द्वारा अधिकृत उपार्जन एजेंसियों द्वारा धान एवं मक्का की खरीदी नहीं की जावेगी, किन्तु नियमानुसार देय मंडी शुल्क, निराश्रित शुल्क एवं क्रय शुल्क का भुगतान उपार्जन एजेंसी द्वारा किया जावेगा । मंडी प्रांगण का उपयोग आवश्यकतानुसार समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिये किया जा सकेगा ।

4. <u>उपार्जन की अनुमानित मात्रा</u> –

खरीफ वर्ष 2013–14 में राज्य के किसानों से समर्थन मूल्य पर 72.13 लाख टन धान एवं 10,000 मेट्रिक टन मक्का का उपार्जन अनुमानित है । जिलेवार धान के अनुमानित उपार्जन की जानकारी का पत्रक परिशिष्ट–1 पर संलग्न है ।

5. <u>साख--सीमा की व्यवस्था</u> --

समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन हेतु आवश्यक साख--सीमा की व्यवस्था राज्य शासन के निर्देशानुसार क्रमशः छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा की जावेगी ।

6. <u>उपार्जन की प्रक्रिया</u> –

6.1. खरीफ वर्ष 2012–13 की भांति खरीफ वर्ष 2013–14 में भी सहकारी समितियों द्वारा संचालित निकटस्थ उपार्जन केन्द्र में राज्य के किसानों द्वारा समर्थन मूल्य

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

UNIFORM SPECIFICATION FOR RAGI

(MARKETING SEASON 2013-2014)

The Ragi shall be dried and matured grains of *Eleusine coracana*. It shall have uniform size, shape and colour. It shall be in sound merchantable condition and also conforming to Food Safety and Standard norms.

Ragi shall be sweet, hard, clean, wholesome and free from moulds, weevils, obnoxious smell, *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (khesari) in any form, colouring matter, admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the schedule below:

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No	Refractions	Maximum Limits (%)
1.	Foreign matter*	1.0
2.	Other foodgrains	1.0
3.	Damaged grains	1.0
4.	Slightly damaged grains	2.0
5.	Moisture content	12.0

* Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by weight shall be impurities of animal origin.

N. B.

1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as given in Bureau of Indian Standard 'Method of analysis for foodgrains' Nos. IS: 4333 (Part-I): 1996 and IS: 4333 (Part-II): 2002 and 'Terminology for foodgrains' IS: 2813-1995 as amended from time to time.
2. The method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard 'Method of sampling of cereals and pulses' No. IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Within the overall limit of 1.0% for foreign matter, the poisonous seeds shall not exceed 0.5% of which Dhatura and Akara seeds (*Vicia* species) not to exceed 0.025% and 0.2% respectively.
4. Kernels with husk will not be treated as unsound grains. During physical analysis the husk will be removed and treated as organic foreign matter.

*****

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

NOTES APPLICABLE TO THE SPECIFICATION OF GRADE 'A' AND 'COMMON' VARIETIES OF RICE.

1. The definition of the above refractions and method of analysis are to be followed as given in Bureau of Indian Standard "Method of analysis for Foodgrains" No's IS: 4333 (Part-I):1996 and IS: 4333 (Part- II): 2002, "Terminology for Foodgrains" IS: 2813-1995 as amended from time to time. Dehusked grains are rice kernels whole or broken which have more than ¼th of the surface area of the kernel covered with the bran and determined as follows:-

ANALYSIS PROCEDURE:- Take 5 grams of rice (sound head rice and brokens) in a petri dish (80X70 mm). Dip the grains in about 20 ml of Methylene Blue solution (0.05% by weight in distilled water) and allow to stand for about one minute. Decant the Methylene Blue solution. Give a swirl wash with about 20 ml. of dilute hydrochloric acid (5% solution by volume in distilled water). Give a swirl wash with water and pour about 20 ml of Metanil Yellow solution (0.05% by weight in distilled water) on the blue stained grains and allow to stand for about one minute. Decant the effluent and wash with fresh water twice. Keep the stained grains under fresh water and count the dehusked grains. Count the total number of grains in 5 grams of sample under analysis. Three brokens are counted as one whole grain.

CALCULATIONS:

$$\text{Percentage of Dehusked grains} = \frac{N \times 100}{W}$$

Where N = Number of dehusked grains in 5 grams of sample
W= Total grains in 5 grams of sample.

2. The Method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard "Method of sampling of Cereals and Pulses" No IS: 14818-2000 as amended from time to time.

3. Brokens less than 1/8th of the size of full kernels will be treated as organic foreign matter. For determination of the size of the brokens average length of the principal class of rice should be taken into account.

4. Inorganic foreign matter shall not exceed 0.25% in any lot, if it is more, the stocks should be cleaned and brought within the limit. Kernels or pieces of kernels having mud sticking on surface of rice shall be treated as Inorganic foreign matter.

5. In case of rice prepared by pressure parboiling technique, it will be ensured that correct process of parboiling is adopted i.e. pressure applied, the time for which pressure is applied, proper gelatinisation, aeration and drying before milling are adequate so that the colour and cooking time of parboiled rice are good and free from encrustation of the grains.

****

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

(९)

UNIFORM SPECIFICATION OF ALL VARIETIES OF PADDY

(MARKETING SEASON 2013-2014)

Paddy shall be in sound merchantable condition, dry, clean, wholesome of good food value, uniform in colour and size of grains and free from moulds, weevils, obnoxious smell, *Argemone mexicana, Lathyrus sativus* (Khesari) and admixture of deleterious substances.

Paddy will be classified into Grade 'A' and 'Common' groups.

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No	Refractions	Maximum Limit (%)
1.	Foreign matter a) Inorganic b) Organic	 1.0 1.0
2.	Damaged, discoloured, sprouted and weevilled grains	4.0
3.	Immature, Shrunken and shrivelled grains	3.0
4.	Admixture of lower class	6.0
5.	Moisture content	17.0

N. B.

1. The definitions of the above refractions and method of analysis are to be followed as per BIS 'Method of analysis for foodgrains' Nos. IS: 4333 (Part -I): 1996, IS: 4333 (Part-II): 2002 and 'Terminology for foodgrains' IS: No. 2813 -1995, as amended from time to time.
2. The method of sampling is to be followed as per BIS method for sampling of Cereals and Pulses IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Within the overall limit of 1.0% for organic foreign matter, poisonous seeds shall not exceed 0.5% of which Dhatura and Akra seeds (*Vicia* species) not to exceed 0.025% and 0.2% respectively.

******

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति

(एस.डी. देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू. / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

(6)

No.8-5/2013-S&I
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution
****

क्र. 3790
दिनांक 31/8/

Krishi Bhawan, New Delhi.
Dated: 20th August, 2013

To,

The Secretary,
Food & Civil Supplies Department,
Government of......................(All State Governments/UT Administrations)

Subject: Uniform Specifications of paddy, rice and coarse grains for the Kharif Marketing Season 2013-2014.

Sir,

I am directed to forward herewith the Uniform Specifications of paddy, rice and coarse grains for procurement for the Central Pool during Kharif Marketing Season (KMS) 2013-14.

2. It is requested that wide publicity of the Uniform Specifications be made among the farmers in order to ensure that they get due price for their produce and rejection of the stocks is avoided. The procurement of paddy, rice and coarse grains during KMS 2013-14 may be ensured by all the States/Union Territories and Food Corporation of India strictly in accordance with the Uniform Specifications.

Encl.: As Above

Yours faithfully,

(Dr. Subhash Gupta)
Joint Commissioner (S&R)
Tele : 23389625

सत्यापित प्रति

निरीक्षक

Contd/-

29 08 13

UNIFORM SPECIFICATION FOR BAJRA

(MARKETING SEASON 2013-2014)

The Bajra shall be the dried and matured grains of *Pennisetum typhoides*. It shall have uniform size, shape and colour. It shall be in sound merchantable condition and also conforming to Food Safety and Standard norms.

Bajra shall be sweet, hard, clean, wholesome and free from *Argemone mexicana* and *Lathyrus sativus* (khesari) in any form, colouring matter, moulds, weevils, obnoxious smell, admixture of deleterious substances and all other impurities except to the extent indicated in the schedule below:

SCHEDULE OF SPECIFICATION

S. No	Refractions	Maximum Limits (%)
1.	Foreign matter*	1.0
2.	Other foodgrains	3.0
3.	Damaged grains	1.5
4.	Slightly damaged & discoloured grains **	4.5
5.	Shrivelled & Immature grains	4.0
6.	Weevilled grains	1.0
7.	Moisture content	14.0

* Not more than 0.25% by weight shall be mineral matter and not more than 0.10% by weight shall be impurities of animal origin.

** Bajra grains which are dull in appearance having changed the colour due to deteriorative changes are to be considered as decoloured grains and bajra grains having natural lustre and sound in condition, even of different colour due to genetic/varietal characteristic may be treated as sound kernels.

N.B.

1. The definitions of the above refractions and method of analysis are to be followed as given in Bureau of Indian Standard 'Method of analysis for Foodgrains' Nos. IS: 4333 (Part-I): 1996 and IS: 4333 (Part II) 2002 and "Terminology for foodgrains" IS: 2813-1995 as amended from time to time.
2. The method of sampling is to be followed as given in Bureau of Indian Standard 'Method of Sampling of Cereals and Pulses' No. IS: 14818-2000 as amended from time to time.
3. Within the overall limit of 1.0% for Foreign Matter, the poisonous seeds shall not exceed 0.5% of which Dhatura and Akra seeds (*Vicia* species) not to exceed 0.025% and 0.2% respectively.
4. Kernels with glumes will not be treated as unsound grain. During physical analysis the glumes will be removed and treated as organic foreign matter.
5. Within the overall limit of 1.5% for damaged grains the Ergoty kernels shall not exceed 0.05%.

******

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

आवश्यकता है ऐसे खरीदी केन्द्रों की जानकारी दिनांक 31 अगस्त, 2013 तक प्रेषित की जावे ।

5 खरीफ विपणन वर्ष 2013–14 हेतु किसान पंजीयन का निर्देश विभाग द्वारा जारी किया जा चुका है, जिसके अनुसार किसान पंजीयन का कार्य माह अगस्त, 2013 से प्रारंभ होना है । अतः समिति में कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सहकारी समिति द्वारा माह अगस्त, 2013 में ही कर ली जावे ।

(विकास शील)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

पृ.क्रमांक एफ 4–4 / खाद्य / 2013 / 29 / 2458 रायपुर, दिनांक 14 अगस्त, 2013

प्रतिलिपि –

1. संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, रायपुर ।
2. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, रायपुर
3. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन,रायपुर।
4. प्रबंध संचालक, अपैक्स बैंक, रायपुर ।
5. टेक्नीकल डॉयरेक्टर, एन.आई.सी., मंत्रालय, रायपुर ।
6. समस्त खाद्य नियंत्रक / खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.विभाग

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)